राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का दूसरा दिवस [संख्या २

शुक्रवार,

दिनांक १६ सितम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, वन, राजस्व, भाषा, कृषि, राजस्थान कैनाल, गृह, कारावास, श्रम, अकाल सहायता, उपनिवेशन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामानन्द अग्रवाल!

अलवर जिले के हरसोरा बांध के टूटने के कारणों की जांच

३१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले का हरसोरा बांध ३-९-६४ को टूट गया था?

(२) बांध के टूटने का कारण क्या था?

(३) क्या यह सही है कि बांध के गेज रीडर श्री बाबूलाल ने उच्च अधिकारियों को २५-८-६४ को ही सूचित कर दिया था कि बांध की हालत खराब है?

(४) क्या यह सही है कि बांध में २४-८-६४ को केवल १९ फीट पानी था और उस दिन की वर्षा से २५-८-६४ को १० फीट पानी बढ़कर २९ फीट हो गया था?

(५) क्या यह सही है कि श्री बाबूलाल गेज रीडर ने बांध की मोरी २५-८-६४ को खोलदी थी और पानी मोरी और उपराह दोनों से जाने लगा था?

(६) क्या यह भी सही है कि २६-८-६४ को ओवरसियर श्री रामनारायण और एस०डी० ओ० श्री शर्मा बांध पर गये और उन्होंने बांध की मोरी बन्द करा दी?

(७) क्या सरकार ने इस बांध के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये कोई जांच कमेटी नियुक्त की है? यदि हां, तो इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं?

(८) क्या इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो इस कमेटी ने बांध के टूटने के क्या कारण बतलाये है?

(९) क्या यह सही है कि गेज रीडर श्री बाबूलाल ने शिकायत की है कि उसको मारपीट कर उससे गलत बयानों पर दस्तखत कराये गए हैं और उसको मजबूर करके बांध गांव वालों द्वारा तोड़ा गया बतलाया है?

(१०) क्या यह सही हैं कि श्री बाबूलाल गेज रीडर के बांध टूटने के संबन्ध में बयान

Page No. 2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बहुरोड के मजिस्ट्रेट के सामने भी हुए हैं और उस बयान में श्री बाबूलाल ने बांध का आप टूटना बतलाया है ?

(११) क्या यह सही है कि श्री बाबूलाल गेज रीडर की तनख्वाह रोक ली गई है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) बांध के टूटने के कारण जांच कमेटी ने कहा है कि यद्यपि बांध को किसी द्वारा काटा जाना साबित नहीं हुआ फिर भी बान्ध के पुराने इतिहास को देखते हुए इस तरह की सम्भावना को पूर्णतया अपवर्जित नहीं किया जा सकता एवं टूटने का कारण बान्ध के अन्दर जिस स्थान पर कोरवाल नहीं थी उस स्थान पर किसी सुराख का बन जाना हो सकता है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) सम्बन्धित ओवरसियर ने बाध की मोरी खुलवाई थी और पानी मोरी व उपराह से जाने लगा था।

(६) जी नहीं।

(७) जी हां, जांच कमेटी के सदस्य जिलाधीश अलवर (२) अधीक्षक अभियंता, सिंचाई, जयपुर (३) अधीक्षक अभियन्ता, भवन एवं पथ निर्माण, जयपुर हैं।

(८) जी हां, टूटने के कारण प्रश्न २ के उत्तर में दिये जा चुके हैं।

(९) जी नहीं।

(१०) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(११) जी नहीं। जांच कमेटी ने श्री बाबूलाल, गेज रीडर व श्री रामनारायण, ओवरसियर को बांध की सुरक्षा हेतु सजग नहीं रहने के लिये दोषी ठहराया है; नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इस बात से इन्कार किया है कि बाबूलाल गेज रीडर ने यह शिकायत की है कि उससे जबर्दस्ती दस्तखत कराये गये। मेरे पास उनके हलफिया बयानों की नकल है जिसके अन्दर कहा गया है, मैं आपको उसका पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें साफ तौर से कहा है कि यह जो जांच कमेटी वहां पर इन्क्वायरी करने को आई तो उन लोगों ने उससे जबर्दस्ती दस्तखत कराये और दुर्गाप्रसादजी ने गर्दन पकड़ कर चांटे मारे और कहा कि महकमे की बदनामी होगी। महकमे की बदनामी को बचाने के लिये तुमको दस्तखत करने चाहिये। इस तरह से उस शख्स ने दस्तखत किये। इस तरह के बयान हल्फनामें में है। यह हल्फनामा १०-३-६५ का है। उसमें उन्होंने यह लिखा है :

"फिर अचानक तारीख २५-१०-६४ को श्री दुर्गाप्रसादजी, कलेक्टर साहब व एस. ई. साहब, एस. डी. ओ. व ओवरसियर साहब बन्ध हरसोरा पर पहुंचे इधर-उधर घूमने के बाद अंधेरा हो जाने पर मुझसे बयान देने को कहा और मैंने फिर वही बयान कह दिये; इस पर गुस्सा होकर श्री दुर्गाप्रसादजी ने मुझसे गाली गलौच की और मेरी गर्दन पकड़ कर मेरे कई थप्पड़ लगाये और कहा कि डिपार्टमेंट की बदनामी करते हो, यह क्यों

Page No. 3

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं कहते कि बन्ध काटा गया है। यह कहते रहे और मुझे मारते रहे। कलेक्टर साहब अलवर के यह कहने पर कि दुर्गाप्रसादजी इसे मार ही दोगे क्या, तब कहीं मुझे छोड़ा और डरा-धमका कर जीप की रोशनी में मुझसे एक पहिले लिखे कागज पर दस्तखत करा दिये, जिसे मैंने नहीं पढ़ा।''

अध्यक्ष महोदय, जो इस क्षेत्र के एम.एल.ए. श्री सतीशकुमारजी जो इलेक्शन पिटीशन में हार गये उनके बयान लिखित में मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस बांध पर टूटने से पहले गया। तो बजाय इस बांध को ठीक करने के जब कि गांव वाले कह रहे थे कि इसके टूटने का खतरा है, इसको ठीक नहीं करके गाड़ी जाने के लिये, इंजीनियर साहब की गाड़ी जा सके उस सड़क को ठीक करने में लगे रहे। जबर्दस्ती बयान लेने की कोशिश की। उन्होंने अपने बयानों में कहा है :

''मेरे सामने एक दिन इंजीनियर साहब से एस.पी. साहब बात कर रहे थे। मैं एस.-पी. साहब के पास बैठा था एस० पी साहब ने यह कहा कि हम इस प्रकार अन्याय नहीं कर सकते कि लोगों को इस संगीन मामले में झूठा फंसा दें और अगर तुम्हारे ओवरसियर वगैरहा इस प्रकार झूठे इल्जाम लगायेंगे तो हम उन्हें बन्द कर देंगे।''

यानि इंजीनियरिंग विभाग के लोग एस.-पी. साहब के पास पहुंचे और उनको इनफ्ल्युएन्स करने के लिए पहुंचे कि बांध गांववालों ने काटा है। इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि गांववालों ने नहीं काटा। फिर भी आपके इरिगेशन-वाले एस. पी. साहब पर दबाव देकर गांव वालों पर केस चलाना चाहते थे। तो एस.-पी. साहब ने साफ कह दिया कि हम इस तरह से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बताने की कृपा करें कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पुलिस में यह रिपोर्ट की थी या नहीं कि यह बांध गांववालों ने तोड़ा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पुलिस में यह रिपोर्ट की गई थी कि हमको यह खतरा है कि इस तरह से गांववाले कहीं इस बांध को तोड़ न दें। रात को २ बजे पुलिसवालों के पास पहुँचे। एस. पी. ने कहा कि एस. एच.-ओ. वहां पहुँच जावें। वह बंध उसी दिन टूट गया। इससे पहले गांववालों ने बांध की दीवार को डेमेज किया था मगर उसको इरिगेशन विभाग ने तैयार करवा दी थी। इस पर खतरा था। २ तारीख को रात के दो बजे कलेक्टर के पास गये और उन्होंने एस. पी. को कहा और एस. पी ने एस. एच.-ओ. को कहा और इसके साथ ही साथ आपने बहुत देर तक भाषण दे दिया और ऐसी कई बातें कह गये जो नहीं कहनी चाहिए थीं, उन पर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स भी इस कमेटी के मेम्बर थे। उनके बारे में जो आपने इल्जामात लगाये वे बिल्कुल झूठे, बोगस और गलत हैं। इसकी इन्क्वायरी ३ बड़े अफसरों ने की है, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा है कि इसकी डाइरेक्ट एविडेन्स हमारे पास नहीं है कि यह जतन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

द्वारा काटा गया है. इसीलिए हम किसी को रेस्पोन्सिबल नहीं बना सकते पर इस पोइन्ट को रूल आउट नहीं कर सकते इसलिए भी रूल-आउट नहीं कर सकते कि यह बांध बार बार टूटा, एक तो सन् १९१७ में टूटा, दूसरी बार १९४४ में टूटा, तीसरी बार सन् १९५५ में टूटा था और चौथी बार जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वह टूटा है। पहली बार टूटा तब भी इन्क्वायरी बैठी थी और उस इन्क्वारी की यह फाइंडिग्स थी कि काफी लोगों की जमीनें इसमें आती हैं, वे लोग नहीं चाहते कि यह बांध पूरा भर जाय, पूरा भर जाता है तो लोगों की जमीनें इसमे आ जाती हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी जमीनें पानी में जाय, इसलिए वे ऐसा कर देते हैं। पूर्व इतिहास को देखते हुए इस पोसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है। कोई एविडेन्स स्पेसिफिक नहीं आई इसलिए इस प्रकार की फाइंडिग्स दी। बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स के सुपरिन्टेण्डिग इन्जीनियर जिनका इरिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं उनको इस जांच में साथ रखा। उस कमेटी की यह फाइंडिग्स हैं। मुझे पता नहीं आपका इन्क्वायरिंग ऑफिसर कौन है जिसके सामने इस प्रकार की सारी कार्यवाही हुई जिसको आप हाउस में पेश कर रहे हैं।

बाबूलाल जिसको चार्जशीट कर दिया गया, बाबूलाल और रामनारायण के बारे में इल्जाम था कि वे सजग नहीं रहे, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। यह सारा क्वेश्चन उनको बचाने के लिए, उनको तनख्वाह दिलाने के लिए पूछा गया है, ऐसा इस सारे ट्रेण्ड से मालूम होता है।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : आपने अभी कहा कि बांध गांव वालों ने तोड़ा तो गांव वालों को बांध तोड़ने से क्या फायदा था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस इन्क्वायरी कमेटी ने श्री सतीशकुमार एक्स एम०एल०ए० से और जो पंचायत समिति के प्रधान हैं, जिन्होंने अखबारों में बयान दिये हैं उनसे जानकारी की, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई गवाह इन्क्वायरी कमेटी में पेश हुए हैं, सबके नाम तो मैं इस समय पेश नहीं कर सकता, सारों के बयानों का खुलासा रिपोर्ट में दर्ज किया है और उन सब के आधार पर कमेटी ने फाइन्डिंग्स डिराइव की हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूँ कि इनको नहीं बुलाया, इनके बयान नहीं लिये, श्री सतीशकुमार ने अपने बयानों में कहा है कि मैं सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से मिला हूँ ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने कहा कि श्री सतीशकुमार ने अपने बयान में ऐसा कहा है तो क्या उन्होंने आपके सामने कहा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको किसने नियुक्त किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नियुक्त न करें पर जनता ने हमको नियुक्त किया है। श्री सतीशकुमार पुलिस में गये, सारी बात रखी। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बचाने के लिये आप गेज रीडर पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। आपने कहा कि गेज रीडर ने कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस प्रकार की शिकायत नहीं की पर इस हलफनामे के आधार पर मैं आपसे कहता हूँ कि गेज रीडर ने शिकायत आपके डिपार्टमेंट में की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इस विभाग के पास इस प्रकार की शिकायत नहीं की गई। किसके पास इस प्रकार की शिकायत की, यह आप बता दीजिये, यह हलफनामा आपके पास ही रह गया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हुंडा (रायसिंहनगर) : क्या यह सत्य है कि श्री सतीशकुमारजी स्वयं मिले थे, वे स्वयं मिले तो उनके बयान लेने जरूरी थे। मैंने ब्रीच का एफ० आई० आर० पुलिस में चाक आउट करवाया और एक साल तक आपकी पुलिस ने मेरे कोई बयान नहीं लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी की सिटिंग्स तीन, चार बार हुई, अलग अलग जगहों पर हुई, सब गांव वालों को बुलाया और दूसरे लोगों को बुलाया गया, एक मजमा सा बन गया था, जिसने बयान देना चाहा उसके बयान लिये गये, हमको जिनको पूछना था उनको पूछा और उसी के आधार पर एन्क्वायरी कमेटी ने यह कन्क्लूजन्स एराइव एट किये। इन दो के बयान ले लेते तो आप और लोगों के लिये भी कह सकते थे कि इन इन लोगों के बयान नहीं लिये। हजारों के बयान तो लिये नहीं जा सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस बांध का केचमेंट एरिया कितना है और कितने लोगों की जमीनें ड्राउन होती हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इतना गम्भीर प्रश्न है, जितने पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्स हैं, आम जनता का व्यू दूसरा है। इस गेज रीडर ने पहले ही शिकायत कर दी थी और आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बचाने के लिये उनका दोष दूसरों पर थोप रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि दूसरी इन्क्वायरी कराने के लिये गवर्नमेंट को इन्सिस्ट करें और दुबारा इसकी जांच कर के निर्णय लिया जाय। स्पेसिफिक गवाही गेज रीडर की है, स्पेसिफिक गवाही एम० एल० ए० की है, प्रधान की है, स्पेसिफिक गवाहियां देहातवालों की हैं। इसके बावजूद इस प्रकार की फाइंडिंग्स दी गई हैं, जिसने शिकायत की उस ही को पेनेलाइज कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं इस सब के लिये उनको कमेटी के चेयरमैन बना कर दूसरों को पेनेलाइज उनसे करवा रहे हैं। इस प्रकार तो कोई न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इन्सिस्ट करें गवर्नमेंट को कि कोई जुडिशियल इन्क्वायरी इस सम्बन्ध में बैठायें।

श्री गोकुलचन्द : (कठूमर-सु०) इतना लम्बा क्वेश्चन चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि बान्ध टूटता है इसमें यह प्रश्न नहीं आया कि कितने गांव बह गये, कितने आदमी मर गये, कितना नुकसान हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अभी जो जांच चल रही है वह किस प्रकार की जांच है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस कमेटी को इस बांध के टूटने के सम्बन्ध में जो जांच

Page No. 6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
करनी थी वह तो हो चुकी, जिनको नेगिलजेंट पाया गया, उनकी फाइंडिंग्स थीं जिन लोगोंकी नेगिलजेंस के बारे में कहा गया, वह किस हद तक नेग्लिजेंट रहे, उनको इसके लिये क्या सजा दी जाय, इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। चार्जशीट फ्रेम कर दी है।

श्री अध्यक्ष : जांच समिति में कौन-कौन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच समिति में एक तो कलेक्टर, दूसरे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, इरिगेशन जयपुर इलाके के और तीसरे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स थे। इन तीन की कमेटी थी।

श्री अध्यक्ष : जो मर्जाद तथ्य माननीय सदस्य ने रखे हैं वे मुख्य अभियन्ता को भेजें तो क्या वे दूसरी बार जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनका कोई पोइन्ट ऐसा नहीं है जो नया हो, जिस पर कन्सीडर नहीं किया गया हो। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आपकी निगाह में बाबूलाल कहता है वह सही है और जो दुनिया कहती है वह झूठ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत कह रहे हैं............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी ने सारी जांच करके कहा है उसको झूठ नहीं मान सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत बयानी कर रहे है।

श्री योगेन्द्रनाथ हंडा: बांध के अन्दर जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो लोग डूबते हैं उनका इन्टरेस्ट यह होता है कि वे बांध तोड़ दें वे इसमें इन्ट्रेस्टेड होते हैं और जो नीचे कमांड एरिया होता है उनको नुकसान होता है। वे इस चीज में इन्टरेस्टेड होते हैं, वे स्टेटमेंट दे देते हैं और उनका माइंड यह होता है कि स्टेटमेंट दे देते हैं कि कैचमेंट एरिया-वालों ने बांध तोड़ा है, यह सब अपनी जमीन को बचाने के लिए करते हैं। इसलिए इस इन्क्वायरी में किसी भी इंजीनियर को ५० शहादतें हर समय मिल सकती हैं कि जिनकी जमीन डूबी है उनको हमेशा यह संदेह रहता है। अगर इन्क्वायरी कराई जाय तभी मान लिया जाय कि सतीशचन्द्र एक दिन पहले गया या नहीं, सतीशचन्द्र ने पुलिस को सूचित किया या नहीं सतीशचन्द्र ने इंजीनियर को सूचित किया या नहीं और इंजीनियर ने उस बांध को बचाने के लिए कोई प्रयत्न किए या नहीं, यह मेन इश्यू है और तथ्य है जिन पर इन्क्वायरी हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं कि मैं केवल बाबूलाल की बात पर रिलाई करता हूं। वास्तविकता यह है कि सतीशचन्द्रजी १०-१२ दिन पहले गए, असिस्टेंट इंजीनियर से १० १२ दिन पहले मिले। एक दिन पहले देहरोड़ के मजिस्ट्रेट और एस० डी० ओ० ने ए० डी० एम० को फोन किया कि बांध के अन्दर पानी भर गया है और खतरा है। तब भी सिंचाई विभागवाले कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। तो इसके बावजूद विभाग की नेग्लीजेंस नहीं हुई तो और किस की है ? ऐसी हालत में यह इन्क्वायरी फेक है। आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराएं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और सब लोगों के जो सम्बन्धित हैं, इसके अन्दर बयान लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टैंडिंग कमेटी सरकार ने १९५७ से बना रखी है कि जब भी इस तरह से बांध टूट जायं और घटना हो जाय तो उसकी इन्क्वायरी वह कमेटी करे और तभी से जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कमेटी इन्क्वायरी करती है। आपने कहा कि जब अचानक पानी भर गया तीन तारीख को और बांध में ऐसी स्थिति हो गई तो हम सोते रहे। इसके लिए मैं निवेदन करूं कि बांध के अन्दर २४ और २५ तारीख को करीब ढाई घण्टे में १० इंच वर्षा हुई है इससे पानी २६ फीट तक पहुँच गया जबकि उसकी क्षमता है २३ फीट।

तीन फीट पानी ऊपर पहुँच गया। तारीख ३ को घटना हुई है और २ तारीख को पानी जो तीन फीट ऊपर जा रहा था, घटते घटते दो फीट घट गया और एक फुट सरप्लस था। तो धीरे धीरे २५ और २ तारीख के बीच में वह कम हो रहा था। अगर उसको हैवी फ्लड से टूटना था तो वह २५ को भी टूट सकता था। यह तो धीरे धीरे रिसीड हो रहा था, फिर टूटा है तीन तारीख को। इसलिए यह कहना कि अचानक २ तारीख को पानी आ गया और हमने देखभाल नहीं की, यह असत्य है।

प्रश्न संख्या ३२

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के तहत भरतपुर शहर में जमीन

३३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—(१) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के क्रम में भरतपुर शहर में कुछ लोगों को जमीन दी गई थी ? यदि हां, तो कितनों को और उसका क्या परिणाम रहा ?

(२) क्या इस जमीन पर खेती हो रही है ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) जी हां। सम्वत् २००८ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में शहर भरतपुर के २२ व्यक्तियों को भूमि दी गई जिस पर उन्होंने खेती की।

(२) जी हां। खेती हो रही है।

श्री रामकिशन : उन २२ व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य :

किरोड़ी पुत्र फूसिया
कुंमरसैन पुत्र किशना
गिराज पुत्र बंशी
पं० छोटेलाल पुत्र दुरगाप्रसाद
तेजा जाटव, मथुरा दरवाजा
नानगा जाटव, मथुरा दरवाजा
प्रभाती पुत्र कान्हा जाटव
धन्ना जाटव
प्यारे व ताराचन्द
बदले पुत्र हरहेत खाती
बिहारी पुत्र रामजीलाल मैना

Page No. 8

(श्री कुम्भाराम आर्य)

भोला जाटव
मवासी पुत्र सुखदेव
सोमपाल पुत्र किरोड़ी
सोहनलाल पुत्र कलुवा
गोकुल पुत्र खरमा
नेकचन्द पुत्र कुवरसेन
रमचन्दी पुत्र सकटुमा
हुक्मी पुत्र दूल्हैया
हरचन्द पुत्र सरमन माली
सूखा पुत्र बिहारी
हीरालाल पुत्र चन्दन माली

श्री रामकिशन : आपने १६५८ की एलॉटमेंट बता दी। मैं पूछ रहा हूं कि "अधिक अन्न उपजाओ" जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने १६५० और १६५२ के बीच में चालू किया था, जो पहली पंच-वर्षीय योजना से पहले जो एलॉटमेंट की गई है, उसकी जानकारी मैं चाहता था।

श्री कुम्भाराम आर्य : प्रश्न से तो ऐसा ही समझ में आया।

श्री रामकिशन : बचने के लिए ऐसा समझ में आया। वास्तव में बड़े-बड़े व्यापारी और सेठों को जमीन एलॉट की गई है और उस पर खेती नहीं हो रही है। आपने हरिजनों के नाम लिए हैं हम उनको तो दिलाना चाहते हैं। आपने जो लिस्ट दी उससे तो मेरा उत्साह भंग हो गया। आप पहलेवाली १६५०-५२ की लिस्ट मंगायें।

श्री कुम्भाराम आर्य : मंगा ली जायगी।

श्री रामकिशन : इसका जवाब इसी सत्र में दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सब बता दें।

श्री रामकिशन : "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन जो राजस्थान सरकार ने १६५२ से पहले चलाया था जिसमें सुखाड़िया साहब के रिश्तेदारों को भी जमीनें मिली थीं। वहां तो कारखाने खुले हुए हैं, दो रुपये में मिली और हजारों रुपये में बेच रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अब तो उनको खातेदारी हकूक मिल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जुलाई, १६५१ में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अंतर्गत जिन लोगों ने जमीन ले ली थी वे लोग राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं कर सके हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह कानूनी मसला है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय "अधिक अन्न उपजाओ" आंदोलन में जमीन दी गई थी उस समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि जमीन पर किसी भी व्यक्ति को मालकाना हकूक हासिल नहीं हो सकेंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य : उसके बाद सरकार ने कानून भी बना दिया जो इस विधान सभा ने पास किया था कि अगर किसी ने छीन कर भी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह भी खातेदार बन जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केवल इस कानून के अन्तर्गत ही वे खाते-

(श्री भैरोंसिंह)
दार बन सकते थे बाकी और किसी कानून के अन्तर्गत उससे पहले उनको खातेदारी हकूक हासिल नहीं हो सकते थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : कानून की बात तो इस तरह से नहीं बतायी जा सकेगी। सब कुछ देखना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह लाखों रुपयों का मामला है। इसी सत्र में जवाब आ जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य व कृषि-मंत्री): आप नाम बता दें ?

श्री रामकिशन : हम तो दोनों तीर चलाना चाहते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं इसकी फिर जांच कराऊंगा और लिस्ट मंगवाकर पूरी जानकारी दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जल्दी ही इसी सेशन में।

श्री रामकिशन : हम तो आपको लड़ाना चाहते हैं। इसमें बड़े-बड़े लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सप्ताह के अन्दर मंत्री महोदय मंगा लेंगे

प्रश्न संख्या १४

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३५

श्री हुरलाल मीणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द।

तहसील पीपल्दा के काश्तकारों को फसलों का मुआवजा

३६. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) [श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु०) द्वारा पूछा गया]:

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में वर्ष १९६०-६१ में नहरें निकाले जाने के कारण काश्तकारों की खरीफ व रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा था ?

(२) क्या यह सही है कि प्रभावित किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। (२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

अंगूर दिवस पर व्यय

३७. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में इस वर्ष 'अंगूर दिवस' मनाया गया था ?

(२) यदि हां, तो कहां, किस तारीख को ? इस दिवस पर कृषि विभाग के कितने अफसर व कर्मचारी एकत्रित हुए थे तथा इस दिवस को मनाने में कितना खर्चा हुआ ?

Page No. 10

उप मंत्री, कृषि (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

कुछ माननीय सदस्य : कोई आवाज नहीं आ रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मंत्रीजी के मुंह में शायद अंगूर दिखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : घबरा क्यों रहे हैं? अंगूर खट्टे हैं क्या?

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां।

(२) अंगूर दिवस १३ जून, सन् १९६९ को जोधपुर में मनाया गया था तथा इसमें कृषि विभाग के करीब २०,२५ अफसर व २५ कर्मचारी एकत्रित हुए थे। इस दिवस पर १,४३१) रु० का व्यय हुआ है।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : इस दिवस को मनाने का क्या मकसद है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस दिवस को मनाने का यह मकसद था कि राजस्थान में अंगूर लगाने की काफी बड़ी गुन्जाइश है और उस गुन्जाइश की किसानों को सही रूप में जानकारी देने के लिये किन किन इलाकों में, किस किस किस्म के अंगूर उगाने से किसानों की माली हालत में सुधार हो सकता है और उसके लिये जो प्रयत्न हुए हैं और किसानों ने जो अंगूर लगाये थे, अंगूर लगे थे उसको किस्म और क्वालिटी का ज्ञान सामुहिक रूप से अच्छे किसानों को कराया जा सके और उसकी पब्लिसिटी हो सके इसलिये यह दिवस मनाया गया।

श्री मानसिंह (भरतपुर) : कितने किसान शामिल हुए?

श्री नाथूराम मिर्धा : १५० किसान शामिल हुए थे।

एक माननीय सदस्य : २५,२० अफसर....

श्री नाथूराम मिर्धा : २५,२० राज्य के कर्मचारी होंगे।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : अध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंगूरों की वेराइटी भी प्रदर्शित की गई थी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री डाबरिया।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : आपने जैसा फरमाया कि किसानों को अंगूरों की खेती के बारे में तजुर्बा हो सके और ज्यादा से ज्यादा वे उसका प्रोडक्शन कर सकें और अंगूरों की खेती कर सकें इसलिये यह प्रदर्शन किया गया, मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मंत्री महोदय बतायें कि किस किस जिले से किसान आये थे? जोधपुर वालों की बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिलेवार सूची मांगते तो मैं दे देता।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : यह तो सप्लीमेंटरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सप्लीमेन्टरी पूछेंगे कि १५० किसान किस किस जिले के हैं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)
राजस्थान में उदयपुर के किसान, गंगानगर के किसान, जयपुर के किसान, जोधपुर के किसान, जो भी अलग अलग पांच, छः सेन्टर हैं, जहां अंगूरों की खेती को इन्टेन्शली डेवलप करना चाहते हैं उस इलाके के वे काश्तकार जो अंगूर उगाने में रुचि रखते हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वे सब मौजूद थे।

श्री मर्त्यसिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी भी थे ?

श्री उमरावसिंह डाबरिया : यह जो अंगूर दिवस मनाया और जिन किसानों को आपने अंगूरों की खेती दिखायी, तो किस-किस काश्तकार के प्लॉट पर अंगूरों की खेती हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको बहुत गलत-फहमी है। सरकार का मंडोर का फार्म था। एक एकड़ के प्लॉट में फ्रूटस भी आये थे। वहां मेला लगाया था, वहां प्रदर्शनी लगाई थी। मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि मेरे फार्म को बताऊंगा। मेरे यहां के अंगूर का नमूना मैं उस प्रदर्शनी में ले गया था और जो भाई आये थे उनको चखाया था।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : मंडोर के उस प्लॉट के ऊपर कुछ जगहों से अंगूर आये..

श्री नाथूराम मिर्धा : मंडोर नहीं चोपासनी का फार्म था।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : जहां भी इसका प्रदर्शन हुआ, उस फार्म के ऊपर कितने किलो अंगूर इस फसल में पैदा हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किलो तो मुझे याद नहीं है। यह तो ठेकेदार ही जानता है। उसकी नीलामी बोली लगी। ८५ बेलों पर फसल थी। सरकारी फार्म है। १२५ बेलें हैं उनमें से ८५ पर अंगूर आये। ऑक्शन की हाइयेस्ट बोली १०,३०१) रु० पर खत्म हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी खत्म करें।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : जितना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : आज अंगूर की फसल के लिये दिवस मनाना चाहते हैं जिसमें अधिकारियों को बुलाया और सरकार की ओर से खर्चा किया गया जिस प्रान्त में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं खाने के लिये नहीं मिलता है वहां पर मिनिस्टरों के यहां पर अंगूरों की खेती होती है इसलिये इस प्रकार का खर्चा करना चाहते हैं, आप बताइये कि कितने किसानों के यहां पर अंगूरों की खेती हो रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस दृष्टिकोण को सुधारें। एक फीसदी आदमी भी इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : इसलिये तैयार नहीं हैं कि मैंने इसकी जांच की है कि आपके अंगूर अहमदाबाद में जाकर ३॥) रु० किलो बिकते हैं और वे ही अंगूर उदयपुर में ५॥) रु० किलो बिकते हैं। उदयपुर के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लोग रिप्रेजन्टेशन करते हैं तो कहते हैं कि हमारे मार्केट की वेल्यू कम नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! क्या भाषण दे रहे हैं ? क्या विषय है और आप क्या बोल रहे हैं ?

प्रश्न संख्या ३८

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

राजस्थान नहर की फीडर के लिए मेटल पाइप लाइन डालने का ठेका

३९. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्थान केनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान नहर की फीडर के निर्माण के लिये रायसिंहपुर में मेटल पाइप लाइन डाली जा रही है ? यदि हां, तो पाइप लाइन डालने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया है ?

(२) क्या उपरोक्त कम्पनी को पेशगी में कुछ राशि दी गई है यदि हां, तो कितनी ? एवं किन शर्तों पर ?

(३) क्या उपरोक्त कम्पनी ने कार्य प्रारम्भ करने से पहले ही सरकार से पाइप उतरते समय टूटे हो जाने का कारण बताकर एक भारी राशि पाइप सीधे करने के लिये क्लेम की है ? यदि हां, तो कितनी राशि क्लेम की है ? क्या सरकार यह राशि देने का विचार रखती है या दे चुकी है ?

(४) क्या यह सही है कि कम्पनी को ठेका देते समय राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने कम्पनी से कहीं कम कीमत पर उपरोक्त कार्य को पूरा कराने का दावा किया था ? यदि हां, तो फिर उपरोक्त कम्पनी को ठेका दिये जाने का क्या कारण है ?

राजस्थान कैनाल मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान नहर के निर्माण हेतु कुपली से पानी ले जाने के लिये लोहे की पाइप लाइन डाली जा रही है। इस पाइप लाइन को डालने का ठेका रोडसन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को दिया गया है ?

(२) उपरोक्त कम्पनी को ६,८५,७७०) रुपये की राशि पेशगी के रूप में दी गयी है। यह पेशगी बैंक की गारन्टी लेने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चालू निर्धारित ब्याज की दर पर दी गई है और उनमें जो एग्रीमेंट किया गया है उसके अनुसार है।

(३) जी हां। कम्पनी ने अपने टेण्डर में यह लिखा था कि जिन पाइप्स में मरम्मत करने की आवश्यकता होगी उस मरम्मत की लागत कम्पनी क्लेम करेगी। यह अनुमान है कि इस तरह की मरम्मत के दाम करीब रु० १२४,०००) होंगे।

(४) जी नहीं। राजस्थान नहर परियोजना के किसी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने कम्पनी से कम कीमत पर उपरोक्त कार्य को करने का दावा नहीं किया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस तरह के एडवान्सेज आये हैं

Page No. 13

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चुके हैं और इस मामले में कमल एण्ड कम्पनी को ३ लाख रुपया एडवान्स देने के बीटर एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हो चुके हैं । वहां उनके कुर्की की गई तो चार लालटेन और टूटी हुई खाटें दिल्ली में बरामद हुई । उसके बावजूद कोडसल कम्पनी को ७ लाख रुपया एडवान्स दिया, यह कहां तक उचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम बड़ा है । कम्पनी को एडवान्स देने के सम्बन्ध में जो शर्तनामा उसके साथ किया गया था उसके कारण निर्णय लेना पड़ा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्जीक्युटिव इन्जीनियर शान्तिस्वरूप ने मैं, चैलेन्ज कर के कहता हूं, डिपार्टमेंट में लिख कर दिया था कि मैं २८ हजार रुपये में इसको ठीक कर सकता हूं जिसको सदन में दिखाई कर रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके कहने से हां कैसे कर दूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जांच कराइये । यह तथ्य है कि शान्तिस्वरूप ने यह लिख कर दिया था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या टेन्डर इस काम के लिये निकाले गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : टेन्डर में यह कन्डीशन रखी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक ही टेन्डर था । टेन्डर भी एक ही कम्पनी का आया, जहां तक मेरी जानकारी है । यह कम्पनी बहुत रेपुटेशन की है - बड़ी पाइप लाइन ले—डाउन करने में । सारी शर्तों के साथ इकरारनामा किया गया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि आपने टेण्डर में यह शर्त लिखी थी क्या कि जो उस टेण्डर देने वाले को आपने अब दी है कि हम उनको एडवान्स देंगे और ७ लाख एडवान्स देंगे, १२४ हजार बैंक का देंगे ? या फिर सरकार ने पार्टी के साथ निगोशियेट करके ये शर्तें बाद में एग्रीमेन्ट में डलवाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत सी निगोशियेट भी की हैं । यह बड़ी रेपुटेशन वाली फर्म है । इसने ऐसे बड़े-बड़े काम किये हैं । विभागीय काम भी चल रहा था उनका भी एस्टीमेट इतना ही था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी चिन्ता का विषय यह है कि कहीं ऐसा न हो कि वह फर्म काम न कर पाये और पेनल्टी क्लॉज के नहीं होने से हम उससे बाद में कुछ भी क्लेम न कर सकें और झगड़ा अलग खड़ा हो जाय, जैसे अजमेर में पानी की लाइन लानेवाली कम्पनी के साथ हो गया । आज तक पानी नहीं आया । छः साल हो गये । आप बता दें पेनल्टी क्लॉज आपने इसमें रखा है या नहीं और रखा है तो क्या है, वह कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अजमेर की वाटर सप्लाई की बात तो जानता नहीं इसलिये उस पर कोई राय नहीं दे सकता । पर जहां तक इस बड़ी पाइप लाइन को ले करने का सवाल है यह काम बहुत ही सन्तोष-

Page No. 14

(श्री नाथूराम मिर्धा)
जनक तरीके से चल रहा है। अगर हम भी करते तो इतने कम खर्च में इतना अच्छा नहीं कर सकते थे, हमारे पास न इक्विपमेन्ट हैं, न कुछ और है। दूसरा भी करता तो बहुत अधिक खर्च आता। फिर यह बड़ी रेपुटेड फर्म है। इतने सूने इलाके में जिस प्रकार की पाइप लाइन जिन हालतों में ले-डाउन यह फार्म कर रही है वह सन्तोषजनक गति से चल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पेनल्टी क्लॉज इसमें है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : है इसमें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एग्रीमेन्ट की इन शर्तों को आप सदन की टेबल पर रखिये। १ लाख, २४ हजार रुपया बैंड के लिये देने का प्रश्न नहीं था और न एडवान्स देने का प्रश्न था। जहां पर भी इस कम्पनी ने काम किया है किसी जगह भी इसको एडवान्स नहीं दिया गया है राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है कि जिसने बैंड करने के लिये १२४ हजार रुपया दिया है।

दूसरी बात, इस कम्पनी को किसी स्टेट ने भी एडवान्स नहीं दिया। यह बहुत रिच कम्पनी है। काफी पैसा है इसके पास। यह राजस्थान ही ऐसी स्टेट है कि जिसने अपनी फाइनेन्स डेफीसिट होते हुए भी, और रात दिन जहां जिसको आप फाइनेन्स, फाइनेन्स की कमी चिल्लाते रहते हैं उसने सात लाख का एडवान्स इसको दिया है। एडवान्स की कन्डीशन नहीं थी, बैंड की कन्डीशन नहीं थी, आप कन्डीशन्स सदन की टेबल पर रखिये।

पाइप जहां बैंड करने का सवाल था, आपके खुद के इन्जीनियरिंग विभाग के वर्कशाप के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने कहा था कि ये बेण्डस रिमूव करना मामूली बात है, हम स्वयं कर लेंगे। इसके बावजूद भी १२४ हजार की इनायत इस फर्म को की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह कर यह बताना चाहते हैं शायद कि इस कम्पनी के साथ में सरकार ने कोई बहुत बड़ा फेवर किया है। मैं बहुत नम्रता से यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह पाइप लाइन १८, १६, १४ और पौने तेरह इन्ची डलवाने का सवाल था इसके लिए प्रारम्भ में हमने अपने एस्टीमेट्स लगाये वे लगभग ३३।३४ लाख के करीब थे। पर यह काफी बड़ा पेचीदा काम था, विभाग के पास इसके लिए न इक्विपमेन्ट्स थे, न और साधन। फिर जो ओपन टेण्डर मांगे गये तो जिन्होंने टेण्डर दिये उनमें दूसरों के तो फीगर इस समय मेरे पास नहीं हैं, पर स्वयं इस कम्पनी ने ५४ लाख, ७५४ के टेण्डर दिये थे जो हमारे एस्टीमेट्स से काफी ऊंचे थे। दूसरे टेन्डर भी काफी ऊंचे थे फिर वे इस फर्म के मुकाबले में न उतने रेपुटेड ही थे, न उनका कोई तजुर्बा ही था। यह सबसे बड़ी कम्पनी थी जिसने इतना ऊंचा टेण्डर दिया। फिर हमने सारी बातचीत की और उनके इतने ऊंचे टेण्डर को हमारे एस्टीमेट तक यानि ३४ लाख, २८ हजार और ८५० रुपये में फाइनल किया जो कि ५४ लाख के मुकाबले में काफी कम है।

फिर बैंड ठीक करने के लिए आप जिस इन्जीनियर की बात करते हैं तो न तो

Page No. 15

(श्री नाथूराम मिर्धा)
विभाग के पास उस तरह के इक्विपमेन्ट्स ही थे, न वे कर सकते हैं, न इसकी व्यवस्था है वर्क शाप में। तो इनको बंड्स को ठीक करने का जो काम उसने १२४ हजार में उठाया वह रीजनेबल था। आज भी वह उस काम को जिस योग्यता से और जिस सस्ते ढंग से और उत्तम ढंग से कर रही है, मैं समझता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : Next ! श्री लक्ष्मण पटेल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे इनके उत्तर से संतोष नहीं हुआ, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपको सन्तोष तो घण्टे भर में भी न होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आठ लाख एडवान्स देने का।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके यह चार, पांच दफे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने फिर अपना यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्यों मेन्टेन किया ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट का है।

श्री अध्यक्ष : बीस मिनट तक माननीय सदस्य शान्त बैठे रहते हैं, और फिर चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

एक ही है साहब। यह निगोशियेशन इस फर्म के साथ विभागीय लेवल पर हुआ या मिनिस्टर लेवल पर हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कैनाल बोर्ड की प्रायोरिटीज के लेवल पर हुआ, इसके बाद में भारत सरकार के सी. डब्लू. सी. के लेवल पर और फिर उससे ऊंचे लेवल पर तीन, चार जगह पर हुआ।

श्री रामकिसन (बैर) : इसके बाद कहां लेवल रहा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें बहुत डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन थी। पर एक खास आदमी की यह कम्पनी होने से इसे आप पैट्रोनाइज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्डिविजुअल केस को आप एक हद तक ही उठावें।

Next !

तहसील सिकराय में सैटलमेंट

४०. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार तहसील सिकराय में नया सैटलमेंट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) जी नहीं।

भू-प्रबन्ध विभाग के पास पहले से ही कार्य अधिक होने के कारण तहसील सिकराय

(श्री कुम्भाराम आर्य)
में नया सेटलमेन्ट कराना अभी संभव दिखाई नहीं देता।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : कब तक नहीं देता ?

श्री कुम्भाराम आर्य : जरूरी तौर से ध्यान दिया जावे, ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : राजस्थान के किसानों से यह प्रश्न सम्बन्धित है। इससे तहसील में २००१ का सेटलमेन्ट हुआ है तो नया सेटलमेंट करने से किसानों को और राज को दोनों को फायदा है।

श्री कुम्भाराम आर्य : सदस्य महोदय की आधी बात ठीक समझता हूं। सरकार को तो फायदा है पर किसान का निश्चय ही नुकसान होगा। २००१ के सेटलमेंट की बात कही जा रही है, वह सही नहीं है। सैटलमेंट ८५ गांवों का २००३ में हुआ है। ४६ का २००८ में और एक का २०१५ में हुआ है। उनकी अवधि जो है २०२३ रखी हुई है जो अभी अभी समाप्त हुई है। इससे अधिक अवधि के भी क्षेत्र हैं, हमें उधर भी ध्यान देना है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : अध्यक्ष महोदय, २३ नहीं है २२ है। गलत आप बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : चलो बराबर रहे साहब।

अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

४१. श्री अवणलाल (हिण्डोन-सु.) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जगर बांध (तहसील हिण्डोन) में जो जमीनें नहरों में आ गई हैं उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उन किसानों से उनका लगान भी लिया जा रहा है ?

(३) क्या यह भी सच है कि मन्त्री महोदय ने एक साल में मुआवजा चुकाने का आदेश दिया था ?

(४) यदि हां, तो मुआवजा क्यों नहीं चुकाया गया और अब कब तक चुकाया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) ऐसे मामलों को ही जल्दी निबटाने के लिए आम आदेश जारी किये हुए हैं।

(४) भूमि की अवाप्ति की भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पूर्ण न होने की वजह से अभी तक अवार्ड जारी नहीं किया गया है जिसके कारण अभी तक मुआवजा नहीं चुकाया जा सका है। अवार्ड जारी होते ही मुआवजा का चुकारा कर दिया जावेगा।

श्री अवणलाल : जैसा कि आपने प्रश्न के भाग (१) में कहा "जी हां" तो क्या कारण है, मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

Page No. 17

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसका जवाब भाग (४) में दे दिया है।

श्री दलपतसिंह (माबू) : किसानों की जमीन कितने दिनों पहले आई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन तो किसान की ही है।

श्री श्रवणलाल : कितने साल हो गए हैं इसके लिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे यहां कार्यवाही १९६० में आरम्भ हुई और हमने कलेक्टर, सवाई माधोपुर को लिखा था और तब से इसका लगान तो बन्द कर दिया गया है लेकिन अवार्ड अभी जारी नहीं हुए।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री महोदय १९६० बता रहे हैं, जब कि करीब १९५८ में यह जमीन आई है और उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया जा रहा है और लगान को आज तक भी वसूल किया जा रहा है, जब कि मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनसे लगान नहीं लिया जा रहा है। अगर मंत्री महोदय मेरे साथ चलें तो मैं बता सकता हूं कि उस जगह पर उनसे अभी लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक अध्यक्ष महोदय, लगान लेने का सवाल है मेरे पास तहसील से लिखित रूप में सूचना २४-१२-६४ को है कि लगान वसूल नहीं किया जा रहा है और इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि लगान वसूल किया जा रहा है आज भी, तो माननीय सदस्य यदि मुझे पूरी तहकीक सूचना दे दें हाउस के बाहर भी, तो मैं इन्क्वायरी करके जो भी कार्यवाही होगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक अवार्ड का सवाल है लेण्ड एक्विजीशन ऑफिसर लेण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत अवार्ड जल्दी दे, इसकी व्यवस्था की है और यद्यपि हमने आदेश दे दिये हैं इसके बावजूद भी इस मामले में अभी तक अवार्ड जारी नहीं हुए हैं। जहां तक इस विभाग का संबंध है, मैं एक डॉक्यूमेंट, जो कि लेटर्स हमने मुतवातिर इसको जल्दी कराने के लिये उनको लिखें हैं उनकी भी लम्बी सूची तारीखवार मेरे पास है तो लेण्ड एक्विजीशन ऑफिसर खुद अवार्ड देता है और सिंचाई विभाग ने जितना उनसे बन सका और जितना जल्दी करने की कोशिश कर सकते थे वह कर रहे हैं और अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसका जल्दी-से-जल्दी अवार्ड जारी हो जाये, इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री दलपतसिंह : एक प्रश्न है कि आज ६ साल हो गये हैं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, किसानों को कम्पन्सेशन नहीं दिया जा रहा है और फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आदेश दिए हैं मंत्री महोदय को कि जिस काश्तकार की जमीन नहर के नीचे आ जाये या डेवलपमेंट के कार्य के लिए ले ली जाये उसे जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाना चाहिए। आज वह फिर प्रश्न आया है कि किसानों को ६ साल से मुआवजा नहीं मिला है और फिर लगान भी वसूल किया जा रहा है। तो खैर, लगान वसूल करने की बात तो एक तरफ है लेकिन कलेक्टर को कह देना चाहिए कि उनसे वसूल नहीं किया जाये। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना

Page No. 18

(श्री दलपतसिंह)

पड़ता है कि हाउस में हमेशा यह सुनना पड़ता है। काश्तकारों की चाहे सड़क के नीचे की जमीन आई हो, चाहे बंध के नीचे की हो या नहर के नीचे की हो, अभी तक ६ साल हो गये और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी हालत में हम अध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि कोई मंत्री महोदय को स्ट्रिक्ट आदेश दें और इसके लिए एक लिमिटेशन ऑफ दी पीरियड होना चाहिये कि जिसके अंदर काश्तकारों को मुआवजा मिल जाये।

श्री श्रवणलाल : इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी आश्वासन दिया था कि कम्पन्सेशन के जितने भी केसेज हैं उनको हम एक साल के अन्दर निपटा देंगे और आज भी कह रहे हैं कि उनके ऑफिसर्स की अवहेलना के कारण नहीं चुकाया जा रहा है। पहले भी और कई बार बार-बार इस प्रकार के आश्वासन दिये जाते रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह चाहूंगा कि इस मसले में मंत्रीजी यह आश्वासन दिलायें कि महीने में या दो महीने में या ६ महीने में यह मुआवजा चुका दिया जायगा और अगर किसी प्रकार की अनियमितता बरती जायगी तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ, जो कि इस रकम को चुकाने वाले हैं, उनको यदि मुआवजे की रकम नहीं चुकाई गई तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ केसेज चला कर उनको सस्पेन्ड कर दिया जायेगा, इस प्रकार का आश्वासन मंत्री महोदय दें।

श्री अध्यक्ष : कई अर्से से यह सवाल आता है और आश्वासन दिये जाते हैं लेकिन अभी तक इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है इस मामले को जल्दी निपटाने के लिये, कितने निपट गये हैं और क्या कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, इस बीच में और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं, यह मंत्री महोदय बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी हर्डल यह है कि लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत सेक्शन ४ के तहत नोटिफिकेशन इश्यू होता है उसमें देरी होती है। नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद जो कि बीच में कार्यवाही होती है उसमें देरी होती है। सेक्शन ६ का नोटिफिकेशन निकलता है और उसके बाद में अवार्ड की कार्यवाही होती है। यह नोटिफिकेशन निकालने और उसके बीच में सैटलमेंट करने आदि मामले में बहुत देरी होती है। मैंने बहुत से केसेज में मालूम किया और फैक्ट्स एण्ड फीगर्स देखे तो उससे मालूम पड़ा कि नोटिफिकेशन वाले मामले में ही साल, १॥ साल की देरी हो जाती है। इसलिए गये सेशन में लैण्ड एक्विजीशन एक्ट में तरमीमात हुई थीं और उसके बाद में जो पास होकर नियम बनाये वह लागू हुए या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं—इसका जवाब दूसरा है। लेकिन उससे कई कठिनाइयां जो डिले की हैं उसके हल होने की सम्भावना है। एक तो यह व्यवस्था हुई है।

दूसरी बात यह है कि पहले कलेक्टर लैण्ड एक्विजीशन ऑफिसर हुआ करता था। यह सोचा गया कि कलेक्टर के पास बहुत कम काम होता है इसलिए इनको डेलीगेट कर दिया जावे तो लैण्ड एक्विजीशन ऑफिसर के पॉवर्स एस० डी० ओ० को थे और कई जगह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्पेशल ऑफिसर्स भी लैण्ड एक्विजीशन ऑफिसर भी नियुक्त किये हैं और जहां ज्यादा इस तरह के केसेज हों वहां तो यह स्पेशल ऑफिसर इस काम को करेंगे और जहां कम केसेज हैं वहां एस० डी० ओ० को अपने अपने एरिया के अन्दर यह कार्यवाही करने के अधिकार दिये हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अनुभव यह बताता है कि उससे पूरी कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है।

तीसरा कारण यह है कि यह जो असेसमेन्ट कम्पन्सेशन का करते हैं यह लैण्ड एक्विजीशन ऑफिसर रेवेन्यू की एजेन्सी के पास भेज देते हैं प्राईमाफेसी असेसमेंट के लिए, उसके बाद में अवार्ड देते हैं। तो वह वहां पर भेज देते हैं और वापिस जो उनके पास पहुंचते हैं उसके अन्दर जो देरी होती है वह भी इस देरी का एक कारण है। इसी वजह से कई बार कुछ महीनों पहले सदन में यह कहा था कि एक विस्तृत इन्सट्रक्शन्स इश्यू किये जायें और जिस आश्वासन का आप जिक्र कर रहे हैं वह आश्वासन भी मैंने उसी विस्तृत सूचना के आधार पर दिया था। नोटीफिकेशन के अन्दर लिखा था उसी आधार पर आश्वासन दिया था कि इस अर्से में पुराने जितने मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाये और अन्य क्या प्रोसीजर हो, ओवरसियर और पटवारियों के बारे में उनकी क्या कार्यवाही हो, यह सारा डिफाइन किया गया है। यह दुर्भाग्यवश पुराना मामला है इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें देरी हुई है। मैंने देखा तो अनुभव किया कि इसमें काफी ढिले रही है और मैं पर्सनल इन्टरेस्ट लेकर यह जल्दी से जल्दी निपट सके, इसका प्रयत्न करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार इस संबंध में यह व्यवस्था करेगी कि जिन लोगों की जमीन का एक्विजीशन का नोटिस निकाला जाये उसी के साथ में उस जमीन का कम्पन्सेशन जितना गवर्नमेन्ट पे करने के लिए तैयार है अपने असेसमेन्ट के आधार पर वह भी नोटिफिकेशन के साथ निकाला जाये कि सरकार आपकी जमीन को एक्वायर करना चाहती है और उसके लिए इतना कम्पन्सेशन देना चाहती है, अगर आपको एतराज हो, एतराज किया जाये? पहला प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार इस प्रकार का संशोधन कानून में करने के लिए तैयार है?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जब तक कम्पन्सेशन का मामला फाइनल तय नहीं हो तब तक जमींदारी, जागीरदारी और बिस्वेदारी एबोलीशन में और उसमें जो इन्टेरिम कम्पन्सेशन लोगों को देते हैं उस प्रकार से क्या जिसकी जमीन गवर्नमेन्ट एक्वायर करती है उसको इन्टेरिम पे करने का सरकार विचार रखती है ताकि उसको आंशिक रिलीफ मिल सके?

(१२ मध्याह्न)

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यही मुझे कहना था मंत्री महोदय से कि जिनकी जमीनें ले ली गई हैं उनका एक क्रोप का लोस होता है तो काश्तकार तीन साल तक रिकूप नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन करना यही है कि जिनकी जमीनें लेते हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध कर देना चाहिए। उनका पैसा

Page No. 20

(श्री दलपतसिंह)

भी जाता है, उनकी जमीनें भी जाती हैं तो फिर वे किस प्रकार से अपना गुजारा कर सकेंगे ? यह तो बड़ा इम्पोर्टेन्ट बर्निंग पोइन्ट है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं । सवाल यह है कि यह कम्पन्सेशन सबको नहीं मिलता हो, ऐसी बात नहीं है । जिनकी पहुंच है उनको कम्पन्सेशन मिल जाता है और कम्पन्सेशन जिनको नहीं मिलता है बार बार सदन के अन्दर उनके बारे में यह बात आती है कि कम से कम जिनके पेंडिंग केसेज हैं उनको तो इन्टेरिम कम्पन्सेशन का जो सरकार उचित समझे, उनको पेमेंट होना चाहिए । यह सरकार को सुझाव दिया जाता है कि जिनके भी पेंडिंग केसेज हैं, जिनकी जमीनें आई हैं, उनको जो कुछ गवर्नमेंट ठीक समझे उसका एक कम्पन्सेशन, इंटेरिम कम्पन्सेशन के रूप में दे दिया जाय ताकि कुछ तो उनको संतोष हो, कुछ तो उनको रिलीफ मिले । इसके लिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जो कुछ भी गवर्नमेंट उचित समझती हो कम से कम इंटेरिम कम्पन्सेशन तो उनके घर बैठे पहुंचा देना चाहिए । केसेज चलते रहें और जब तय हो जायं तो बाकी का भी दे दिया जाय ।

श्री प्रभूलाल सेन्टर (खानपुर) : मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । राजस्व विभाग की तरफ से मेरे क्षेत्र में भी कालीसिंध का मुआवजा दिया गया तो तहसीलदार ने १५) रुपये बीघे का मुआवजा दिया, लेकिन उसी तरह के दूसरे मामलों में १००) रुपये तक का मुआवजा कुछ काश्तकारों को दिया गया है । उसके सम्बन्ध में कोर्ट में भी मुकदमे दायर हुए हैं और ८०) रुपये बीघे का मुआवजा मिला है । इस प्रकार से अगर मुआवजे दिए जायेंगे तो इससे तो स्थिति और भी बिगड़ेगी ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : एक सुझाव मैं भी इस सम्बन्ध में दे दूं । किस्म जमीन सेटलमेंट रिकॉर्ड में मौजूद होती है और जितनी जमीन है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है उसका रकबा भी तहसील में मौजूद होता है । रेट्स भी गवर्नमेंट की बंधी हुई हैं कि ८० प्रतिशत ऑफ दी लैंड रैवेन्यू देने के नियम हैं । जब इनके विषय में नियम हैं, किस्म जमीन दर्ज है, रेट्स बंधी हुई हैं और रकबा तहसील में अवेलेबल है, जब तीनों बातें हैं तो इन तीनों बातों के बाद भी कम्पन्सेशन में जो लैंड एक्विजीशन ऑफिसर और दूसरी एजेंसीज़ हैं, वे दस-दस वर्ष लगा देते हैं कम्पन्सेशन देने में । कोई फिक्स फॉर्मूला बना दिया जाय कि ज्यों ही जमीन का रकबा एक्वायर होता है तो उसके बाद तहसील को इतने दिन के अन्दर कुछ न कुछ कम्पन्सेशन जरूर दे देना चाहिए । जिनकी जमीनें गवर्नमेंट एक्वायर करे और जिनके बारे में गवर्नमेंट को जानकारी हो फिर भी उनके केसेज़ डिसाइड न करें तो इसमें तो कोई वजह नजर नहीं आती ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, कई माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कई सुझाव दिए । एक सुझाव यह आया कि जब जमीन की किस्म सेटलमेंट के अन्दर दर्ज है, उसकी रेट दर्ज है तो उसके आधार पर फॉर्मूला इवोल्ड करके उसके आधार पर पेमेंट क्यों नहीं कर दिया जाता है । मेरे ख्याल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
से जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है वह मार्केट रेट पर दिया जाता है इसलिए जमीन की स्थिति, उसकी नेचर और उसकी प्रजेंट मार्केट वेल्यू देख कर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है, अब कीमत उसकी अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं हो सकता कि जिसके आधार पर रेडीमेड फॉर्मुला कम्पन्सेशन का पहले से बना दिया जाय। सारी स्थानीय स्थितियों को देख कर जो कीमत बनेगी वही देनी होगी कम्पन्सेशन के रूप में।

एक सुझाव आया कि इंटेरिम कम्पन्सेशन देदिया जाय और उसके बाद में फाइनल होने पर जो कुछ भी उसको बनता हो वह दे दिया जाय या ऐसा कुछ कर दिया जाय कि जिसको गवर्नमेन्ट मुनासिब समझे उतना तो उसे देदिया जाय पहले और बाकी का अगर वह फिर क्लेम करता है तो वह अवार्ड होने के बाद देदिया जाएगा।

यह सजेशन इस प्रकार का है कि मुझे याद पड़ता है जब मैं राजस्व विभाग में था उस समय एक फॉर्मुला तय किया गया था कि इतना मल्टीप्लाई ऑफ दी लैंड रेवेन्यू करके दे दिया जाय और बाकी जब फाइनल हो उस वक्त दे दिया जाय। इसके बाद लैंड एक्विजीशन एक्ट बना, उसके अन्दर भी नेगोसियेशन वाली क्लॉज डाली है, लेकिन चूंकि अभी तक उसके ऊपर प्रेसीडेंट की स्वीकृति नहीं हुई है इसलिए रूल्स बनकर लागू नहीं हुए हैं। इन रूल्स के लागू हो जाने पर जैसा यहां माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने सुझाव दिया है, कि उसकी पूर्ति किसी हद तक हो जायेगी और नेगोसियेशन वाली बात से, इंटेरिम कम्पन्सेशन देने वाली बात की पूर्ति हो जाती है तो इस समस्या के सुलझने की सम्भावना है।

जहां तक जमीनों का मुआवजा देने का सवाल है, आम तौर पर अधिकांश जगहों पर हम जमीन के बदले जमीन देते हैं। इसलिए जमीन के बदले जमीन देने की बात जहां होती है वहां तो ज्यादा कठिनाई उपस्थित नहीं होती। लेकिन जहां जमीन के बदले जमीन नहीं दे सकते हैं अथवा वे नहीं लेना चाहते हैं या हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं होती है तब यह सवाल खड़ा होता है मुआवजा देने का। अब वह बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे कुछ केसेज छोटे २ रह गए हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं और मैंने जैसा पहले निवेदन किया है इस मामले में, मैं अधिक से अधिक शीघ्रता से वह मुकदमे निपट सकें, इस बात की व्यवस्था करूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इस सदन में बारबार चर्चा होती है और इस प्रश्न को उठाया जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है, यह क्या पोलपट्टी है। आप कुछ भी कहें लेकिन मैं समझता हूं कि बाज-बाज इन्स-टॉन्सेज तो ऐसे हैं कि जिनमें एक बिल्कुल गरीब आदमी पर जुल्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वस बातें गवर्नमेंट को सूट करती हों उनकी सुविधा के अनुसार, वह कह सकते हैं लेकिन यह तथ्य है कि When there is a will there is a way मुझे तो यह लगता है कि आपकी इच्छा ही नहीं है कि इस बारे में आप कुछ करें। इंटेरिम कम्पेन्सेशन का

(श्री महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक सीधा-सीधा सा मसला है। मैं तो यह भी नहीं कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिये, मैं तो सुझाव भी नहीं देना चाहता कि आपको क्या करना चाहिये। लेकिन क्या मंत्रीजी यह अनुभव नहीं करते कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना परमावश्यक है ? और जब परमावश्यक है when there is a will तो फिर कोई न कोई फॉर्मूला तैयार करना चाहिए, कोई न कोई फॉर्मूला इवोल्व करना चाहिये। आप बैठिए और इस पर विचार कीजिए। लेकिन आपकी तो इच्छा ही नहीं है, मुझे तो यह लगता है कि स्टेट की कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। इस तरह से तो इस रेड टेप और ढीलमढाल को बढ़ावा देना है। अगर आपकी इच्छा है कि यह किस्सा ही खत्म हो तो फिर आप जल्दी से जल्दी कोई पोजिटिव स्टेप्स लीजिए, क्यों आप इतनी देर करते हैं और अगर आपको कुछ करना ही है तो जो कुछ करना है शीघ्रता से करिये और उसकी सूचना लोगों को दीजिये। अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी कितनी ही बार कहा गया, बारबार विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया। मेरे ख्याल से यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो आम जनता का प्रश्न है, इसलिए कृपा करके कुछ न कुछ सूझ-बूझ के साथ जो भी कुछ करना हो जल्दी कीजिए।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, सब मामलों में हां में हां कर रहे थे, सिर हिला रहे थे तो क्या आप परमहंस हो गए हैं, आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रही, सब इच्छाएं समाप्त हो गई जो आप सब बातों में सिर हिला रहे थे ? क्या आप परमहंस हो गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : इच्छा तो है लेकिन कुछ अकर्मण्यता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : करने जोगे ही नहीं है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैंने निवेदन किया कि इस एक्ट की स्वीकृति प्रेसीडेंट साहब से नहीं आई है और इसलिए रूल्स नहीं लागू हो सके हैं। इन रूल्स के लागू होने पर यहां जितने मुद्दे उठाए गए हैं मैंने उनके बारे में पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां जितने मुद्दे उठाए गए हैं उनका समाधान उस कानून में है और उससे काफी मदद मिलेगी और जितने पुराने मामले हैं उनको हम अधिक से अधिक शीघ्रता से निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह संशोधन जब हो गया है तो रूल्स तो बना दें तब तक।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : प्रेसीडेंट से जब तक असेंट नहीं आएगा तब तक रूल्स नहीं बन सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रेसीडेंट से असेंट आने से पहले रूल्स का ड्राफ्ट तो बना लें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : रूल्स तो बना रखे हैं लेकिन उनको लागू नहीं कर सकते जब तक प्रेसीडेंट की असेंट बिल पर नहीं आ जाती।

श्री दलपतसिंह : ड्राफ्ट रूल्स तो तैयार कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन रूल्स को अजायबघर में रखा दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी हमेशा यह अनुभव करते हैं कि सरकार की इसमें कमी है, सरकार को इसमें यह गलती है और कानूनी दिक्कतें हैं। तो कोई भी दिक्कत हो मेरे ख्याल में उसका हल असम्भव तो नहीं है। आपको चाहिए कि इसका हल आप जल्दी से जल्दी निकालें और मैं तो अब अधिक सुनना भी नहीं चाहता, सुनते सुनते भी थक गया हूं कि यह कारण है और वह कारण है। कारण तो पचास हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई न कोई रेडीमेड कट एण्ड राइट फॉर्मूला तो फाइनल करना चाहिये, लेकिन वह आप करते नहीं हैं। उसे आप अजमाइश के तौर पर फील्ड में अजमाइए अगर वह ठीक तरह से काम न करे तो कुछ तो करेगा। कुछ भी नहीं होने से कुछ होना तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ भी नहीं होना तो यह गरीबों के साथ जुल्म है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं मंत्री महोदय के नोटिस में और लाना चाहता हूं कि आपको शायद यह रोंग मोशन ऑफ दी लॉ हो रहा है और आप फ्लोर ऑफ दी हाउस में यह बताना चाहते हैं कि नेगोसियेशन्स का एक प्रोविजन इसमें रख दिया गया है और उस नेगोसियेशन के प्रोविजन के आधार पर यह आसान हो जायेगा कि पत्र- व्यवहार किया और मुआवजा दिया और उसने ले लिया और सारा मामला खत्म हो जायेगा। लेकिन आपके एक्ट में प्रोपर्टी का पजेशन अपने कब्जे में नहीं लेंगे उस वक्त तक मुआवजा देने के बारे में विचार नहीं करते हैं तो सारी बातों पर पूर्ण रूप से विचार करके उसके मुताबिक एमेंडमेंट लॉ में नहीं करेंगे तो यह केवल कल्पनामात्र रह जायेगी। वास्तव में आप जनता के साथ उसकी सहायता करना चाहते हैं तो उसी सद्भावना के साथ कानून में तरमीम कराइये। इसको लॉ डिपार्टमेंट से स्क्रुटिनाइज कराइये और लॉ में जो अड़चन आ रही है उसको एमेंड करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कराइये। केवल क्रोकोडाइल्स टियर्स बहाना चाहते हैं और जनता के समक्ष यह दिखाना चाहते हैं हम तो करना चाहते हैं मगर कानूनी अड़चनें सामने पड़ती हैं तो इसका तो कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुझाव है और इस पर विचार करना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं कि, उनको जमीन पर कब्जा कर लिया गया, वहां पर सड़क बन गई, बिल्डिंगें बन गईं और अब सवाल यह आता है कि उन लोगों को एवज में जमीनें नहीं दी गईं और उन्होंने सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया, और ऐसे मसले सरकार के सामने हैं तो अब सवाल यह आता है कि सरकार इस स्थिति को देखते हुए कि किसानों के साथ अन्याय हुआ एक ऐसा सर्क्युलर निकाले और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाय और जो जमीन उन्होंने कब्जे में कर ली है उससे उनको बेदखल किया जाय तो यह अन्याय है। एक तरफ तो ऐसे किसानों की

Page No. 24

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

जमीनें सरकार ने ले ली हैं जो कि उसके काम में आ रही हैं, उसका उसने लगान दिया है, और अध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है तो उनके केसेज का जल्दी से फैसला कर दिया जाय और वह जमीन उनके खातों में लगा दी जाय, तो मैं समझता हूं कि सरकार हकीकत में न्याय पर चल रही है। अन्यथा सरकार दूसरे की जमीन पर कब्जा कर ले और किसान अपने पेट की आग बुझाने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती करना चाहते हैं उनको मुजरिम करार दिया जाता है। सरकार खुद गुनहगार होकर कसूरवार और को बताना चाहती है। अतएव, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को ऐसे आदेश निकालने चाहिएं कि जिन व्यक्तियों की जमीनें सरकार ने ले ली हैं और उन्होंने दूसरी जगह सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो उसको रेग्युलराइज कर दिया जाय और उनके खातों में डाल दिया जाय, तो यह तो न्याय की बात होगी। सरकार अपना पक्ष भारी रखना चाहती है जो वह गलती पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए बाध्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल क्षेत्रों को भेजे गये घास की मात्रा

३२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) वर्ष १९६४ में अकाल पीड़ित क्षेत्रों को घास किन-किन स्थानों से कितनी कितनी मात्रा में किस-किस शहर से सप्लाई किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सप्लाई किये गए घास की तादाद व गन्तव्य स्थानों पर प्राप्त होने वाले घास की मात्रा में कोई अन्तर पड़ा ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या यह सत्य है कि गंतव्य स्थानों से घास पहुंच की रसीदें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

(४) सप्लाई डिपो से रेल्वे वेगन द्वारा घास भेजे जाने में प्रत्येक वेगन का वजन किस आधार पर माना गया था ?

(५) वेगनों में घास के गट्ठे किस-किस साइज के कितने-कितने औसतन वजन के सप्लाई किए गए थे ?

उत्तर

(१) जिन जिन स्थानों से जितनी २ मात्रा में घास सप्लाई किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। चूंकि घास वन विभाग द्वारा सीधा नहीं बेचा जाता है अतः बिक्री की दर प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(२) जी हां। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ट्रकों द्वारा जिन स्थानों पर घास भेजा गया है वहां से रसीदें प्राप्त हो गई हैं। रेल द्वारा जिन स्थानों पर घास भेजा गया उनमें से कुछ की रसीदें प्राप्त हुई हैं और कुछ की नहीं हुई है।

(४) प्रारम्भ में घास तुलवा करके ही वेगन भराए गये थे लेकिन जब इमर्जेन्सी हुई

Page No. 25

(श्री वन मन्त्री)

दो घास के गट्ठे गिनकर वैगन भराये गये और गट्ठे की औसत तौल से पूरे वैगन का तौल निकाला गया।

५. घास के गट्ठे अलग २ निम्नलिखित साइज के थे:—

४"×२"×२"
४ १/२"×३ १/२"×३"
३"×२ १/२"×२"
४"×३ १/२"×२"
३"×२"×२"

प्रत्येक गट्ठे का वजन उनकी भिन्न २ साइज के अनुसार था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय सचिवालय में हिन्दी में कार्य के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति

३४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: (भीम): क्या भाषा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजकीय सचिवालय में पूर्णरूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कितने हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकता होगी? और इस समय कितने मौजूद हैं?

(२) हिन्दी में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिये कितने स्टेनों की आवश्यकता होगी? और इस समय कितने स्टेनों हिन्दी में प्रशिक्षित हैं?

(३) हिन्दी में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिये कितने टाइपिस्टों की आवश्यकता होगी? इस समय कितने टाइपिस्ट हिन्दी में प्रशिक्षित हैं?

(४) स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग के प्रशिक्षण का कोर्स कितने २ समय का रखा गया है?

उत्तर

१. २७४ टंकणयन्त्रों की आवश्यकता है, जिनमें से २२४ उपलब्ध हैं।

२. १७२ शीघ्रलिपिकों की आवश्यकता होगी। इस समय १०५ शीघ्रलिपिक हिन्दी शीघ्रलेखन जानते हैं।

३. अंग्रेजी में कार्य कर रहे टंकण हीं हिन्दी में भी कार्य करते हैं, इनमें से जो हिन्दी के पुराने कुंजीपटल के टंकणयन्त्रों पर कार्य करते रहे हैं उन्हें नवीनतम कुंजीपटल पर टंकण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

४. शीघ्रलेखन के प्रशिक्षण में ८ महीने और टंकण के प्रशिक्षण में ४ महीने लगते हैं।

नाजायज कब्जों की जमीन के मामलों में पैनल्टी

३५. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में सन् १९६२ से अब तक कितने नाजायज कब्जों की जमीन के मामलों में पैनल्टी लागू की गई है तथा वह कुल कितनी राशि है?

(२) क्या यह सच है कि नाजायज कब्जों की जमीन की जो पैनल्टी लगाई गई वह काफी हद तक वसूल नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों और कितनी राशि बकाया है?

Page No. 26

(श्री हरलाल मीणा)

(३) सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) तहसील प्रतापगढ़ में सन् १९६२ से माह अगस्त, १९६६ तक ६०१९ नाजायज कब्जों के मामलों में कुल १६३३६६) रुपये पेनल्टी के लगाये गये हैं।

(२) जी नहीं। कुल पेनल्टी १६३३६६ रु० में से ६१६२२) रुपये तो वसूल हो गये हैं। ४७७०५) रुपयों के लिये अपील कोर्ट से स्थगित आदेश हैं। बकाया ८४०,३९) रुपये की वसूली की कार्यवाही जारी है।

(३) जो रकम बकाया हैं वो अधिकांश गांव मगरा क्षेत्र के है। इनमें से बहुत से गांव इस साल अभावग्रस्त क्षेत्र में आये हैं। बहुत से आदमियों की हालत इस वक्त रकम जमा कराने की नहीं है। जिन लोगों की हालत वास्तव में नादारी होकर रकम जमा कराने की बिल्कुल नहीं है उनकी जांच कराई जाकर रकम खारिज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

परमाद रेन्ज की जलाऊ लकड़ियों का ठेका

३८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में परमाद रेंज के सभी जंगलों की जलाऊ लकड़ियों का ठेका श्री चरणसिंह पिता ईश्वर सिंह के नाम पर दिया गया तथा बाद में डी०एफ०ओ०, उदयपुर द्वारा उन्हें जंगल से कबाड़ा निकालने की अनुमति देदी गई थी? यदि हां, तो वह अनुमति किस नियम के तहत दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि यही कूप यदि कबाड़े के नाम पर नीलाम होता तो सरकार को कहीं ज्यादा आय होती ?

(३) क्या यह सही है कि संबंधित कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट मौके पर गये थे ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठाता।

(३) जी हां, जनवरी १९६५ में वन संरक्षक मौके पर गये थे। उन्होंने कूप के बाहर कोई अवैधानिक कटाई नहीं पाई। फिर भी उन्होंने उप वन संरक्षक, उदयपुर को आदेश दिया कि वे कूप की विस्तृत जांच करें कि ठेकेदार ने एग्रीमेंट की धाराओं की पालना पूर्णतया की है या नहीं और ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें यदि कोई खिलाफ वर्जी पाई जाय। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जब तक यह जांच न हो जाय, कोयले के अलावा अन्य सामान की निकासी नहीं होने दी जाय।

इसके उपरान्त जांच पूरी होने पर जो रोक ठेकेदार पर लगाई गई थी वह हटाली गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

झारण से सिंचाई की पिलाई की वसूली

७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गिरवा तहसील की ग्राम पंचायत सीबना के गांव बेनीमाता

(श्री जोधसिंह चौहान)
में पहाड़ की झरणा से जो सिंचाई होती है उसकी भी पिलाई वसूल करली गई है? यदि हां, तो क्या यह उचित है और यदि नहीं, तो क्या सरकार वह पिलाई वापस करने का विचार रखती है?

उत्तर

वेनी माता नहीं, देई माता का स्थान (मन्दिर) की झरणा से नहीं, कुण्ड से बारानी भूमि को पीवल करते हैं। जिस पिलाई पर २) बीघा वसूल होता है जो उचित है।

आत्म हत्या करने वालों की संख्या

८. श्री रामकिशन (वैर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सन् १९६२ से १९६५ तक कुल कितने लोगों ने आत्म हत्या की है?

(२) आत्म हत्या करने वालों में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या कितनी २ है?

(३) आत्म हत्या के कारण क्या थे?

उत्तर

(१) राज्य में सन् १९६२ से १९६५ तक १२०२ व्यक्तियों ने आत्म हत्या की।

(२) आत्म हत्या करने वालों में ४८२ पुरुष तथा ७२० स्त्रियां हैं।

(३) आत्म हत्या निम्न लिखित कारणों से करना ज्ञात हुआ है:—

(१) आर्थिक कठिनाइयां।

(२) बीमारियों से परेशानी।

(३) प्रेम में विफलता।

(४) परीक्षाओं में असफलता।

(५) घरेलू झगड़े।

जन अभियोग निराकरण विभाग को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना कब हुई और अब तक कितने कर्मचारियों और कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं?

(२) प्राप्त शिकायतों में से कितनी पर विभाग ने कार्यवाही पूर्ण की है?

उत्तर

(१) राजस्थान जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना ३० अप्रेल सन् १९६४ को हुई है। इस संगठन का मुख्य कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जनता का व राज्य कर्मचारियों की कुछ शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना और उनके निपटारे में विलम्ब होने के कारणों की जांच करना है। शिकायतें अधिकतर किसी खास कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ न होकर, शिकायत करने वालों के मामलों से संबंधित होती हैं।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

रण्डीयारडी का तालाब से सिंचाई कार्य

१०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 28

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) क्या सरकार कपासन तहसील में रन्डीयारडी का नया तालाब बनवाने का विचार रखती है जिससे रन्डीयारडी, सण्डीयाड़ा, ताराखेड़ी, किसनाखेड़ी, हांमाखेड़ी आदि कई गांवों की पिलाई हो सके ?

(२) यदि हां, तो इन गांवों के अलावा कौन से गांव में इस तालाब से सिंचाई हो सकेगी ?

(३) इसका कार्य कब आरम्भ होगा ?

(४) क्या यह सही है कि इसको सर्वे पहले हो चुकी है ?

उत्तर

(१) इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यदि तालाब बनाया भी जा सका तो केवल रन्डीयारडी एवं सान्डीयाडा ग्रामों को ही पानी मिल सकना सम्भव होगा।

(२) प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार लगभग २०० एकड़ भूमि की सिंचाई की क्षमता का तालाब बनाया जा सकता है।

(३) इसका विस्तृत सर्वेक्षण अब किया जावेगा। इसकी समाप्ति पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि यह तालाब बनाया जा सकता है या नहीं।

(४) जी नहीं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में खेती का प्रावधान

११. श्री रामकिशन (वैर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य में कुल कितने रकबे में खेती होती थी और योजना के अन्त तक कितने रकबे में खेती होने लग जायगी ?

उत्तर

तीसरी योजना के प्रारम्भ में यानी १९६०–६१ में राज्य में ३४६ लाख एकड़ में खेती होती थी। योजना के अन्त तक लगभग ३८० लाख एकड़ में खेती होने का अनुमान है।

(११.१५ म० पू०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन–प्रस्तावों की सूचना आई है। माननीय सदस्य श्री हरिराम चौहान, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री मानिक चन्द सुराणा ने जयपुर में शाह इन्जीनियरिंग वर्क्स के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं आशा करता हूं कि श्रम मन्त्रीजी इसके ऊपर एक–दो दिन में अपना वक्तव्य देंगे।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा व श्री केदारनाथ ने दी है जिसका सम्बन्ध अनूपगढ तहसील में चार हरिजनों की भूख-हड़ताल से है। भूख-हड़ताल से यह सम्बन्धित है। परन्तु फिर भी इसका राजस्व विभाग से सम्बन्ध प्रतीत होता है। माननीय सदस्य चाहें तो गृह मन्त्रीजी से या राजस्व मन्त्रीजी से—(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से) किस से स्पष्टीकरण चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दोनों से सम्बन्ध है। भूख-हड़ताल इसलिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर रहे हैं कि पुलिस ने बड़े बड़े जागीरदारों की मदद करके गरीब किसानों को उनके खेतों से निकाल दिया है और राजस्व विभाग इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसलिए उनसे भी इसका सम्बन्ध है कब्जा दिलाने का।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर और इससे सम्बन्धित एक और प्रस्ताव है कृपया उन पर अपने विभिन्न विभागों के दृष्टिकोणों से स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा एडजोर्नमेंट मोशन था शाह इन्जीनियरिंग के वर्क्स के बारे में उसमें निवेदन यह है कि कल और परसों दो दिन असेम्बली की छुट्टी रहेगी वहां जो मजदूर भूख-हड़ताल पर बैठे हैं उनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक हो गई है। इस एडजोर्नमेन्ट मोशन का नोटिस भी कल दे दिया गया था। जो उद्योगपति हैं वे भी यहीं पर हैं। मन्त्री जी इसकी जानकारी कल कर सकते थे। अभी भी अगर नहीं की हो तो आज भी कर सकते हैं, आप कोई समय निर्धारित कर दें जब कि वे उसका उत्तर दें। यह हड़ताल ३२ दिन से कारखाने में चल रही है और भूख-हड़ताल चल रही है पिछले कई दिनों, जिसमे मजदूरों की स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज यह मामला टाला गया तो Monday पर जायेगा, इसलिए आज ही इसका उत्तर दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : शाह इन्जीनियरिंग के बारे में जो स्थगन-प्रस्ताव है मन्त्री महोदय इसकी जानकारी आज सदन स्थगित हो, उससे पहले वक्तव्य द्वारा देने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : मैं तो अभी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : यों तो आप हमेशा तैयार हैं। आप अभी देना चाहें तो अभी दे दें।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है जिसका सम्बन्ध सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के मजदूरों की कुछ मांगों को लेकर जो हड़ताल वहां पर चल रही है उससे है। इसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की कृपा करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास ने दी है और उसी प्रकार का एक अन्य प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल का है, जिसका सम्बन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी कुछ सिन्डीकेट में वहां के विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उनसे सम्बन्ध में है। सामान्य तौर से मैं यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय सदस्य यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो दैनिक प्रशासन के मामले हैं और उनसे जो सम्बन्धित बातें हैं उन पर कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे; परन्तु यह मामला ऐसा है जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य के जन-जीवन पर भी इसका असर पड़ता है, और शान्ति-व्यवस्था का भी इससे सम्बन्ध है, इसलिए शिक्षा मन्त्रीजी इसके बारे में क्या वस्तुस्थिति है, उसके सम्बन्ध में आज या..

Page No. 30

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : मैं अभी अर्ज कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यही मैं आप से निवेदन करता हूं कि उसके बारे में स्पष्टीकरण करदें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि केवल शिक्षा मन्त्रीजी सदन में स्पष्टीकरण करें यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के छात्र और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सम्बन्ध काफी बिगड़े हुए हैं, और कई ऐसे मसलों के ऊपर न तो अभी तक छात्रों को सन्तोष हो सका है और न वहां के अधिकारियों में अपने रवैये को तब्दील करने की कोई स्थिति पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि विश्व-विद्यालय, आप जैसा फरमा रहे हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी है और उसमें हमें दखल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे हमारा निकट का सम्बन्ध आता है। मैं यह समझता हूं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन ही नहीं बल्कि इसके विषय में चर्चा करने के लिये कुछ समय भी निर्धारित किया जाय ताकि जयपुर और जोधपुर के विश्वविद्यालयों में कुछ दिन पहले जो गड़बड़ें हुई हैं उनके सम्बन्ध में चर्चा की जा सके और भविष्य में वे रिपीट नहीं हो सकें, इस बारे में कुछ न कुछ इस सदन के माध्यम से छात्रों और विश्व-विद्यालयों अधिकारियों को कोई मार्ग-दर्शन मिल सके। यह ज्यादा उचित होगा, उस पर चर्चा किया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सदन में इस बारे में मांग की गई थी। माननीय अध्यक्ष, आपने एक दिन का समय भी निर्धारित किया था कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में हम इस सदन में डिबेट करेंगे। यूनिवर्सिटीज को हम ग्रान्ट्स देते हैं। उनके फण्ड्स डिटेरियोरेट हो रहे हैं। आज उनकी बिल्डिंग्स प्लेज की जा रही हैं, सिक्योरिटीज प्लेज की जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हो रही है, एपोईन्टमेन्ट्स के बारे में शिकायतें हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा और दुखद बात नहीं हो सकती कि जोधपुर के रजिस्ट्रार के मामले को लेकर जिस प्रकार हमारे राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्रीजी में खींचतान हुई है, यह अत्यन्त दुखद बात है। इसलिये सारे मसले पर आज राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में एक प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा उसके सम्बन्ध में सदन के अनेक माननीय सदस्य अत्यन्त चिन्तित हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स आज तक सरकार ने इस सदन में पेश नहीं की हैं जो कि यूनिवर्सिटीज से यूनिव-र्सिटी एज्यूकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को मिलती होंगी, यह मेरी कल्पना है उन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखने का आदेश दें। हम उन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स को हाउस में डिसकस करना चाहते हैं। आखिर करोड़ों रुपये हम विश्वविद्यालयों को ग्रान्टइन-एड के देते हैं, विश्वविद्यालयों में तमाशा होता रहे, हड़तालें होती रहें, लड़के मनमानी करते रहें, ऑथोरिटीज़ मनमानी करती रहें, झगड़ा इस हद तक बढ़ जाय कि एज्युकेशन मिनिस्टर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और चान्सलर के बीच रजिस्ट्रार के प्रश्न पर खींचातानी हो। एक कहे कि रजिस्ट्रार नहीं रहेगा और दूसरा कहे रहेगा और बरकत साहब कहें कि मैंने पक्ष नहीं लिया। सारे लोग चिन्तित हैं कि यूनिवर्सिटीज में पोलिटिक्स इन्वोल्व्ड हो गई। खींचातानी हो नीतियों के प्रति। पढाई का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है मार्क्स और पास होने का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज की सदन में रखाई जाय और एक दिन उसके लिये बहस के लिये मुकर्रर किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यूनिवर्सिटीज के मामले में पिछले सत्र में इस तरह की मांग की गई थी लेकिन इनके ऑटोनोमस होने की वजह से आपने इजाजत नहीं दी थी। जो तथ्य इस समय सामने आये हैं और पहले भी आते रहे हैं, विशेष तौर से किस प्रकार राज्यपाल जोधपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के अपोइन्टमेन्ट के मामले में और दूसरे व्यक्तियों के बारे में दिलचस्पी लेते रहे हैं इस मामले को हमने पिछले सदन में भी उठाने का प्रयत्न किया था और क्योंकि राज्यपाल से डाइरेक्टली Touch होता था इसलिये राज्यपाल ने विधान की परवाह नहीं करके, आपकी शक्तियों का दुरुपयोग करके इस प्रकार से इस्तेमाल किया जिससे हिन्दुस्तान में उनकी निन्दा हुई। उसके बाद समाचार मिले हैं जिनका जिक्र सतीशजी ने किया है, रजिस्ट्रार के सवाल पर मिनिस्टर और चान्सलर के बीच एक प्रेस्टिज का प्रश्न बनाया गया और एक गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया गया कि गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स मानने से इन्कार करदो। ऑर्डर्स के बावजूद भी उसने चार्ज नहीं छोड़ा और वापिस आकर चार्ज नहीं सम्भलाया। इसलिये मैं समझता हूं तमाम मामले यूनिवर्सिटीज के चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय हो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो जिनमें छात्रों का इतना जबर्दस्त आन्दोलन हुआ है, यहाँ पर हुआ है, जोधपुर में हुआ है, अब भी आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ है। लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। चाहे इसका सम्बन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय से हो, जोधपुर विश्वविद्यालय से हो, बार कौंसिल से हो, पर यह चिन्ता का विषय है। आज दिल्ली में भी हड़ताल हो रही है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि ३ साल का डिग्री कोर्स हो गया, १ साल की ट्रेनिंग रखदी और १ साल बार कौंसिल का इम्तिहान पास करने में लगेगा, इस तरह से ५ वर्ष लगेंगे और यदि कोई लड़का थर्ड डिविजन में पास होकर आया है तो ५ साल के अलावा एक साल और उसको लग सकता है, यदि वह एक बार फेल हो जाय तो। इस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है और विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य इससे चिन्तित हैं। हम अपने विद्यार्थियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहते। इसलिये जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान विश्वविद्यालय दोनों की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिये इस सदन में एक दिन अवश्य मुकर्रर किया जाय। श्री भैरोंसिंहजी और सतीशजी ने इस बारे में कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय वह बहुत है। जयपुर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में जो घटनाएं घटी हैं, म समझता कि यह खेद का विषय है, रंज का विषय है। हम इधर के पक्ष के लोग गवर्नमेन्ट को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते, हम कोई विशेष रूप में उनको मुश्किलात के अन्दर नहीं डालना चाहते, लेकिन साथ ही साथ इस सदन के यह अधिकार है कि यदि कोई चाहे तो बहस कर सके। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेन्ट का रिएक्शन और विचार क्या इस सम्बन्ध में होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि एक दिन नहीं तो २-३ घन्टे बहस इस पर हो, यदि खुले में बहस न हो तो क्लोज्ड डोर्स में बहस की जाय। यदि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई एम्ब्रेसमेन्ट नहीं हो तो हमारे पक्ष के लोगों की यह इच्छा होगी कि हम इस बारे में सरकार के विचार जानें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्षजी, अभी आपने व्यवस्था इस प्रकार की दी कि क्योंकि यह ऑटोनोमस बाडी है इसलिये इस पर आप विचार नहीं करें। दूसरी तरफ आपने कहा कि यह जन-जीवन से संबंधित है; आपकी स्थिति यह है कि एकेडेमिक कौन्सिल ने निर्णय लिया।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण होने दीजिये, तथ्यों में न जावें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह व्यवस्था से सम्बन्धित है और जन-जीवन पर इसका प्रभाव है। ठीक है, ऑटोनोमस है लेकिन अपने काम में है, फिर भी जन-जीवन से सम्बन्धित है। इसलिये इसको सिद्धान्त रूप में न लेकर जन-जीवन से सम्बन्धित है इसलिये इस पर बहस करने का मौका दिया जाए इसलिये मैंने अर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में जो जो कुछ घटनायें हुई वे सारे राजस्थान के लिये चिन्ता की बात थीं और सबसे बड़े अफसोस की बात यह थी कि राज्य सरकार का जो रोल रहा और जितनी प्रेस्टिज राज्य सरकार की रही उस बारे में हाउस को डिस्कस करने का अधिकार है। विद्यार्थियों ने एग्रीमेन्ट दिया कि क्या क्या समझौता यूनिवर्सिटी के साथ उनका हुआ है, क्या क्या समझौता एकेडेमिक कौंसिल के साथ हुआ है। विद्यार्थियों ने इश्तिहार बांटे वे हमारे पास भी पहुंचे हैं। इन सबसे आभास होता है कि यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों की वाजिब मांगें मानने की कोशिश करती तो आज ऐसी स्थिति शायद नहीं होती। लेकिन तीन वर्षों तक उनकी वाजिब मांगों को निरन्तर निग्लेक्ट किया इसलिये यह स्थिति पैदा हुई। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसको डिस्कस करने के लिये इन-कैमरा-मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, विरोधी दल के नेता माफ करेंगे। न तो यह कोई सिक्रेट बात है, सब बातें खुली होती हैं; आज तो डिफेन्स की बातें भी खुले में होती हैं; अमेरिका में, ब्रिटेन में और हिन्दुस्तान में डिफेन्स की बातें खुले में होती हैं, इसलिये इन-कैमेरा होने की आवश्यकता नहीं है। इस

Page No. 33

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सारे मुद्दे पर ३ घंटों की बहस हो और हो सके तो सारे दिन होनी चाहिये । ये मुद्दे गंभीर हैं । राजस्थान की विधान सभा, जिसके सदस्यों को जनता ने चुन कर भेजा है, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाओं से पूरी तरह चिन्तित है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो घटनायें अभी हुई हैं उनका इफेक्ट सारे राजस्थान की शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा समाज पर पड़ा है । एकेडेमिक कौंसिल और सीनेट, सिन्डीकेट दोनों का कॅन्ट्राडिक्शन हुआ है पार्टीज के तौर पर । वहां फाइनल यह आया कि उप-कुलपति को इस्तीफा देना पड़ा । अध्यक्ष महोदय, इन हालातों को हमें रिव्यू करना जरूरी है कि बेसिकली हमारी शिक्षा संस्थाओं में क्या बुनियादी गलतियां हैं ? यहां तक पिछले सत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि अध्यापकों के अपोइन्टमेन्ट्स मेरिट के बेसिस पर नहीं हुए बल्कि अध्यापकों के अपोइन्टमेन्ट्स・・・

श्री अध्यक्ष : सामान्य बातें कहना चाहें तो कहें । इस तरह से・・・

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इन संस्थाओं पर काफी पैसा खर्च करते हैं । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का भी पैसा खर्च होता है और हम भी पैसा खर्च करते हैं । नई नई यूनिवर्सिटीज हर प्रान्त में खोलने लगे हैं, इस सदन के विरोध के बावजूद भी नई खुली हैं । इनमें जो अव्यवस्था है उनको डिस्कस करने के लिये राजस्थान की विधान सभा के अलावा और कोई फोरम नहीं हो सकता । इसमें फण्डामेन्टल प्रिंसिपिल्स इन्वोल्व्ड हो गये हैं; बुनियादी गलतियें हैं जो कि पैदा हुई हैं इसलिये डिस्कस करना चाहिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन का सम्बन्ध है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । लेकिन पिछले दिनों बहुत सी समस्यायें पैदा हुई हैं जिनका इस सदन के माननीय सदस्यों से सम्बन्ध है । इसके साथ ही विश्व विद्यालय विधेयक इस सदन ने ही बनाया है और उस विधेयक में कोई संशोधन करने का और आवश्यकता यदि पड़े तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का इस सदन को अधिकार है । ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां और जो समस्यायें इस वक्त राजस्थान के सामने हैं और जो विद्यार्थियों का मसला उत्पन्न हुआ है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना और काफी समय तक विचार करना परमावश्यक है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जितना समय सम्भव हो इसके ऊपर विचारार्थ दिया जाना उचित होगा । मैं निवेदन करूंगा कि जो विचार भाई, माननीय भैरोंसिंहजी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाकर एक दिन इस विषय को विचारार्थ इस सदन में लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : : माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि जहां तक विश्व विद्यालय का सम्बन्ध है, राजस्थान के विश्व विद्यालय का—उसके बारे में सदन में चर्चा की जाय कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है । जैसा मैंने पहले संकेत किया कि विश्व विद्यालयों की एक विशेष स्थिति होती है, लेकिन मैंने इसके

Page No. 34

(श्री अध्यक्ष)

साथ यह भी कहा कि उसका हमारे राज्य के सामान्य जन-जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस सदन में बहस हो, वह एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन जैसे कुछ मिसालें दी गई वैसे ही कुछ नियुक्तियों के प्रश्न को लेकर अगर आप बात उठाना चाहें या जो आन्दोलन हुआ है उसके कुछ विशेष मुद्दों को लेकर बात उठाना चाहें तो मैं समझता हूं वह अनुचित होगा। इसलिये जो सही मकसद आपके दिमाग में है कि शैक्षणिक स्तर को ऊंचा किया जाय और विश्वविद्यालयों को ज्यादा सुचारु रूप से किस तरह चलाया जाय--इसके लिये आप सुझाव दें और अगर आपकी चर्चा इस सीमा तक ही सीमित रहती है तो वह कुछ सार्थक रहेगी। किन्तु जो डिस्कशन और चर्चा शुरू हो उसमें कुछ व्यक्तिगत नियुक्तियों को लेकर, किसी विशेष मुद्दे को लेकर, विद्यार्थियों ने क्या किया, क्या नहीं किया--इस तरह की बात उठाई गई, तो मैं समझता हूं कि उसका गलत मतलब निकलेगा और हम जैसा चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों के स्तर में सुधार हो वह नहीं हो पायेगा। वैसे भी हमने स्वयं ने जो कानून पास करके दिया है और जो इस प्रकार की परम्परा और परिपाटी है कि विश्वविद्यालय के एकेडेमिक मामले और दूसरे प्रशासनिक आन्तरिक मामले हैं उनमें कोई पार्टी बाहर से हस्तक्षेप न करे। माननीय सदस्य जैसा कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो सरकार का दायित्व उस मामले में सीमित है। इसलिये हमें यह भी सोचना है कि सरकार को हम इस मामले में कितना दायित्व देना चाहते हैं। अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका दायित्व विश्व विद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल और सिण्डीकेट जो हैं उन पर ही छोड़ा जाय तो उचित होगा। इसलिये सरकार के दायित्व सीमित हैं और हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उस दायित्व को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जहां तक शैक्षणिक स्तर का सवाल है, जहां तक एकेडेमिक सवाल हैं, कोई नीतियों का सवाल है या आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, तो उसके बारे में माननीय सदस्य बहस करना चाहते हों तो वह उसको कर सकते हैं--इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। हमारे राज्य के लिये और देश के लिये एक बहुत ही अहम मसला है--इस पर सदन में माननीय सदस्य विचार-विमर्श करेंगे तो वह एक तरह अच्छी ही बात है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बारे में और चर्चा कर लें शिक्षा मंत्री जी के साथ। साथ ही उसके बारे में, हम किस परिधि में और किस सीमा में बहस करना चाहते हैं, उसके बारे में हमारे दिमाग में स्पष्टीकरण हो जाय। उसके बाद में कुछ समय या एक दिन --वह एक दिन भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन इस पर विचार करने के लिए ज्यादा नहीं--इस पर विचार करने के लिये निर्धारित हो और तब हम सारी बातों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही संयम और सीमित तरीके से वह विचार करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपके आदेश का पालन होगा।

श्री अध्यक्ष: मैं यह स्पष्ट करते हुए सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री से बात करके कोई समय निर्धारित

(श्री अध्यक्ष)
करें ताकि माननीय सदस्य इस बारे में विचार कर सकें ।

(शिक्षा मंत्री से) यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कह दें ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास एडजोर्नमेन्ट मोशन की सूचना आने के बाद मैंने टेलीफोन से बात की, उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सिंडीकेट ने उन सारी चीजों को मंजूर कर लिया है, अध्यक्ष महोदय, और कोई टसल नहीं रह गई है । इसका विस्तृत विवरण मैं बाद में बता दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सुनाई नहीं दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सुनाई नहीं दिया ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : सिंडीकेट की दुबारा मीटिंग होकर सारी चीजों का सुलझाव हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : एकेडेमिक कौंसिल के जो सुझाव थे वे सिंडीकेट ने स्वीकार कर लिये हैं इसलिए तथाकथित गत्यावरोध था वह समाप्त हो गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वाइस-चान्सलर के इस्तीफे का प्रश्न समाप्त हो गया ?

श्री अध्यक्ष : यह सरकार का दायित्व नहीं है कि कौन इस्तीफा देता है और कौन नहीं देता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एकेडेमिक जो प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं आशा करता कि सरकार का कोई इस तरह का दायित्व है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक समाचार तौर पर हमें मालूम हो । अखबार में तो आयेगा ही ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अखबार में आ सकता है तो आप देख भी सकते हैं और वह भी देख सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सब्मिट होती है उसको गवर्नमेन्ट सदन की मेज पर रखे । आपने जो आदेश दिया है कि लिमिटेड डिबेट हो तो उस रिपोर्ट से दर्पण भी सर्व हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में कहा । मैं भी कई वर्षों से इस मामले में विश्वविद्यालयों के अधिकारीगण से विचार-विमर्श करता रहा हूं । विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने चाहा है कि उनकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हों । फिर भी मैंने उन्हें कहा है कि हमारे सदस्यों की जानकारी के लिए कुछ प्रतियां वह भेज दें ताकि भले ही वह सदन की मेज पर न रखी जायें या जो भी परिणाम हो किन्तु सदन के माननीय सदस्य अपने आप को सारे तथ्यों से अवगत करा सकें । मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ प्रतियां उनकी मंगा लें और अनौपचारिक तरीके से माननीय सदस्यों को वितरित कर दें ताकि उन्हें इस मामले में

Page No. 36

(श्री अध्यक्ष)

यहां करने में सुविधा हो सके। वैसे भी वह पब्लिक डॉक्यूमेन्ट है और उसमें कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा इस सदन के माननीय सदस्य सीनेट इत्यादि के सदस्य हैं इसलिए वह रिपोर्ट सर्व विदित है। फिर रिपोर्ट देने में क्या ऐसी बात है? इसलिए यदि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को पढ़ें, तो मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य बात है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पोइन्ट नहीं है कि स्वयं माननीय मंत्री हमें ऑथराइज करना चाहें या विश्व विद्यालय के अधिकारी ऑथराइज करना चाहें और हमें रिपोर्ट दें। यह पोजीशन नहीं है। जब यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट-इन-एड देती है जो भी सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट-कमीशन जो भी यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट इन-एड के रूप में देती है तो उसे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, बैलेन्स शीट, अकाउन्ट्स की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट आदि देखने का हक ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए इसमें कोई ऑब्लीगेशन का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी को माननीय अध्यक्ष डाइरेक्शन दें कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। वैसे रिपोर्ट में खुद जाकर ला सकता हूं और मेरे पास है भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रान्ट-इन-एड का अकाउन्ट या यूनिवर्सिटी का द्वारा अकाउन्ट और रिपोर्ट एक सदस्य के नाते देखने का मुझे जो हक है उस हक को मैं सरेण्डर कर दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि सरकार उसको रखना नहीं चाहती है, ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने स्वयं ने विश्वविद्यालय से लिखा-पढ़ी की है। लेकिन वह इसके बारे में एतराज करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो वैधानिक बात उठा सकते हैं कि उन रिपोर्ट्स को देखने या न देखने या सदन की मेज पर रखने या न रखने का अधिकार है या नहीं। अभी की स्थिति में वह अपने आप को सीमित रखें और जो रिपोर्ट उपलब्ध करा दें तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं वह दूसरा मामला है और उसके बारे में बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अगर यह स्थिति हो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी पार्लियामेन्ट के सामने अपनी रिपोर्ट नहीं रखें। लेकिन वहां माननीय सदस्यों को सर्कुलेट कर दी जाती है। वह ले-डाउन की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : उसका निर्णय न देना आवश्यक है और न उचित है। उनसे बात करने पर वह स्वीकार कर लें और यहां ले-डाउन कर दें तो क्या बात है? इससे सदन के अधिकार का हनन नहीं होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने जो विचार व्यक्त किया है कि उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह समझता हूं कि इस सदन को इतना तक अधिकार तो होना चाहिए कि as a matter of right यह चीज डिमाण्ड की जाय और सदन के सदस्यों को वितरित की जाय। अगर यह भी नहीं किया जाय तो माननीय अध्यक्ष के खुद के पास

Page No. 37

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वह रिपोर्ट आनी चाहिए। उस रिपोर्ट में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसको दिखाना सिण्डीकेट, सीनेट और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को अखरेगा। मैं समझता हूं कि जनसंघ के माननीय नेता ने जो मांग की है वह सर्वथा उचित है और इसमें मैं आशा करता हूं कि आप भी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की धारणाओं का ख्याल रख कर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : काहे के बारे में ?

(१२.१६ म. प.)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

वित्त (राजस्व एवं अर्थकार्य) विभाग की अधिसूचना

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री, आबकारी विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५० की धारा ७१ (३) के अन्तर्गत, वित्त (राजस्व एवं अर्थ कार्य) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ? (८६) एफ. डी. । एक्स । ६५।२१७६, दिनांक, २६ जुलाई, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह जो कल का एडजोर्नमेन्ट मोशन था टोंक वगैरह के बारे में उसका क्या हुआ ? यह तो बिजनेस शुरू हो गया।

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात् आयेगा। यह पेपर रख जायें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसी तारीख की है यह अधिसूचना ?

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २६वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री): २६ जुलाई, १९६६ की है।

कार्य सलाहकार समिति के २६ वें उपस्थापन का उपस्थापन व स्वीकृति

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २६वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के २६वें प्रतिवेदन से यह सदन अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इसको स्वीकार किया जाए ?

(विराम)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

(विराम)

गृह मंत्री अपना वक्तव्य दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव बाद में होगा।

(श्री अध्यक्ष)

गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

(१२.४१ म.प.)

जनसंघ द्वारा चलाए गए धरना आन्दोलन के संबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : दोनों का एक साथ है।

एक माननीय सदस्य : एक दिन की डिबेट होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के अवमूल्यन, मंहगाई एवं पंचवर्षीय योजनाओं आदि को बदलने की नीति के विरुद्ध अखिल भारतीय जनसंघ ने धरना आन्दोलन का आयोजन किया और समय समय पर उसका प्रचार कर जन-सहयोग के लिए अपील की। दिनांक २५-८-६६ को राजस्थान में लगभग सभी जिलाधीशों को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एवं दूसरा राज्य सरकार के नाम प्रस्तुत किया गया जिसमें यह मांग की गई थी कि या तो ११ सितम्बर, १९६६ तक उक्त नीतियों को रोकने के लिए कदम उठाये जावें और उनको सूचना दी जावे, अन्यथा उचित उत्तर न मिलने पर वे दिनांक १२, १३ और १४ सितम्बर, १९६६ को समस्त राजस्थान में पंचायत, तहसील, जिला एवं जिलाधीश कार्यालयों के सामने धरणा देंगे और धरणों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में वे अपने आपको अधिक से अधिक संख्या में गिरफ्तार कराने को समर्पित करेंगे।

दिनांक २५-८-६६ को भी जयपुर जिलाधीश कार्यालय के बाहर जनसंघ के प्रमुख नेताओं ने भाषण देते हुए कहा कि ११-९-६६ तक यदि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ तो दिनांक १२-९-६६ को जनसंघ के कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरणा देंगे और जिलाधीश को अन्दर नहीं जाने देंगे। वे ये कार्यक्रम दिनांक १२, १३ व १४ सितम्बर, १९६६ को चलायेंगे और जेलें भर देंगे। यदि जिलाधीश व उप-जिलाधीश छुट्टी पर चले जायेंगे अथवा सारी कलेक्टरी के कर्मचारी चले जायेंगे तो कलेक्टरी उनकी ही होगी।

प्रांत के अन्य भागों से भी—विशेष रूप से जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बाड़मेर, सीकर जनसंघ के नेताओं द्वारा उपरोक्त आशय के भाषण दिये गये और जनसंघ के कार्यकर्ताओं को उनके प्रोग्राम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु उग्र किया। हर स्थान पर यही बताया गया कि दिनांक १२-९-६६ को ऐसा कार्यक्रम किया जावे कि जिलाधीश व अन्य अधिकारी ऑफिस के बाहर रहें तो बाहर ही रहें और अन्दर हों तो अन्दर ही बन्द करें। कुछ स्थानों पर यह भी अनुरोध किया गया कि प्रदर्शनकारी कार्यालयों के समक्ष लेट कर धरणा दें और अधिक से अधिक संख्या में गिरफ्तार हों, इत्यादि।

जनसंघ द्वारा जो स्मृति-पत्र राष्ट्रपति के नाम दिया गया था वह उनको प्रेषित कर दिया गया और जो स्मृति-पत्र राज्य सरकार के विचार हेतु जिलाधीश के मार्फत भेजा गया था उस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा

Page No. 39

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

मंत्री, राजस्थान जनसंघ को दिनांक ११-९-६६ को सारी मांगों पर स्थिति बताते हुए उत्तर भेजा गया।

जनसंघ द्वारा सभी जिला कार्यालयों पर दिये जाने वाले धरणों के प्रोग्राम का व्यापक उग्र प्रचार किया जा चुका था और यह स्पष्ट होता जा रहा था कि कार्यक्रम शान्ति पूर्ण नहीं होगा, अतः जिलाधीशों को अपने अपने यहां शान्ति व सुरक्षा के हेतु समुचित व्यवस्था करनी पड़ी, जिसमें धारा १४४ जाब्ता फौजदारी भी शामिल है।

इन उपायों से स्थिति पूर्णतया सामान्य रही। सभी कार्यालयों में सदैव की भांति काम होता रहा, यातायात व्यवस्था सामान्य रही और न जन-मानस ही उद्विग्न हुआ और जनसंघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफल न हो सका।

फिर भी एक-दो स्थानों पर ऐसी घटनायें हुईं जिससे यह स्पष्ट रूप से विदित हो गया कि कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नहीं था और जो भी कदम प्रशासन द्वारा उठाये गये वह शान्ति बनाये रखने के लिये आवश्यक थे।

टोंक में दिनांक १२-९-६६ को अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार जनसंघ के प्रदर्शनकारी जिलाधीश कार्यालय की सीढ़ियों पर पहुंचे और वहां पर धरणा देने के लिये बैठने के बजाय व्यवस्था बनाये रखने हेतु तैनात पुलिस दल की लाइन को बलपूर्वक धक्के देकर तोड़ने का प्रयास किया। जिससे तीन पुलिस कर्मचारियों के साधारण चोटें पहुंची व ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा ह.द. १४७, १४९, ३३२ और ३५३ दर्ज किया जाकर कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी और ४१ व्यक्ति दिनांक १३-९-६६ को भी जनसंघ कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने उन्हें गिरफ्तार होने के पश्चात् जेलों में ले जाने से रोकने के लिए प्रयास किया। किन्तु पुलिस द्वारा रास्ते की रुकावट को हटा कर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया गया।

दिनांक १४-९-६६ को भी जनसंघ के कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे, जहां १२ व १३ की हरकतों को देखते हुए व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा दो कॉर्डेन बनाये गये थे। पहले कॉर्डन पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारीयों के पश्चात् उन्हें नियत मार्ग से जेल पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया। उसी समय प्रदर्शनकारियों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों कॉर्डन तोड़ दिये गए और कलेक्टरी के दोनों दरवाजों पर व उसके सामने वाली सड़क पर भारी भीड़ ने एकत्र होकर फाटकों को तोड़ कर अन्दर प्रवेश करने का प्रयास किया। साथ ही भीड़ द्वारा पुलिस पर व जिलाधीश कार्यालय पर भारी मात्रा में पत्थर व ईंटें फेंकी जिससे ३७ पुलिस कर्मचारियों को चोटें पहुंची जिसमें से तीन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और भीड़ में भी कई व्यक्तियों को चोटें आई। इस मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये भीड़ को पुलिस फोर्स द्वारा पीछे धकेला गया ताकि दरवाजों पर दबाव न हो व भीड़ कलेक्टोरेट कम्पाउण्ड में अवांछनीय कार्यवाही हेतु प्रवेश न कर सके।

प्रदर्शनकारियों में से एक श्री टिक्कीवाल, संचालक, टोंक शाखा ने पहले व दूसरे कॉर्डन के बीच एक थानेदार का डंडा छीन लिया

Page No. 40

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ सिपाहियों की लाठियां छीनने का भी प्रयास किया। इस छीना-झपटी में उपरोक्त प्रदर्शनकारियों के चोटें आईं।

प्राप्त सूचना के अनुसार कुल २३ व्यक्तियों के साधारण चोटें पहुंचीं जिनमें से ३ को तुरन्त अस्पताल में चिकित्सा हेतु भेज दिया गया। उनकी हालत संतोषजनक है। इनमें से २ को दिनांक १५-९-६६ को छुट्टी दे दी गई है।

स्पष्ट है कि स्थिति को देखते हुए व्यवस्था कायम रखने हेतु जो कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई थी वह उचित व आवश्यक थी।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में स्पष्टीकरण दिया कि व्यवस्था को कायम रखने के लिये यह उचित था, मैं सरकार से अपने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह बात जानना चाहता था कि सरकार यह महसूस करती है या नहीं कि जिस प्रकार आज राजस्थान में नहीं;

(१२.४९ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बल्कि सारे हिन्दुस्तान के कोने कोने में कहीं हड़तालें हो रही हैं, कहीं पर धरने दिये जाते हैं, कहीं मोटर गाड़ियां जलाई जाती हैं, कहीं रेलें जलाई जाती हैं, कहीं पर बत्तियें उखाड़ी जाती हैं, इन सब उपद्रवों का क्या कारण है? इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं? मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि अब लोगों को भर पेट अनाज नहीं मिल रहा है? ऐसा मालूम होता है कि गरीब लोग अच्छे खासे दलदल में फंसे हुए हैं और आज बढ़ती हुई कीमतों के लिये आपसे हाथ बढ़ा बढ़ा कर इन्साफ लेना चाहते हैं; क्या सरकार यह उचित नहीं समझती? सरकार यह महसूस करे कि इस प्रकार के नारे लगा कर लोग सरकार को यह कहते हैं कि आज आप जागरूक हों। क्या सरकार ने इस बात को जानने के लिये कोशिश की है कि इसका क्या कारण है कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के नारे लगाये? क्या इसके लिये सरकार ने अपना स्पष्टीकरण किया? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सारे भारतवर्ष में अपनाया गया है सरकार को जगाने और जागरूक होने के लिये? क्या सरकार कभी जागेगी? सरकार यह चाहती है कि कोई प्रदर्शन न हो और भ्रष्टाचार फैलता रहे और सरकार आंख-मिचौनी खेलती रहे। सरकार आंख-मिचौनी खेलना चाहती है? सरकार यह जानती है कि ब्लैक मार्केटिंग कितना हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने उसको रोकने के लिये क्या कदम उठाया है? मैं यह कहूंगा कि [illegible] के गवर्नर ने वहां के फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कदम उठाया और सैंकड़ों आदमियों को जेलों में ठूंस दिया। आज उसको भी दबाया गया है। आज किसी भी गृह मंत्री के मुंह से इस प्रकार की आवाज नहीं निकली कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिये जब अन्य प्रांतों में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो जो राजनैतिक पार्टियां हैं

Page No. 41

(श्री अब्दुलजब्बार)

उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे सरकार को जगायें, मजबूर होकर वे सरकार को जगाती हैं और उनको धरने देने पड़ते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन कारणों को लेकर प्रदर्शन किये गये उनको उचित समझती है, जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किये गये उनको सही मानती है ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि मंहगाई भयंकर रूप से बढ़ गई है ? लोगों को खाने को नहीं मिलता, लोगों के लिये इस मंहगाई के कारण निर्वाह करना दूभर हो गया है, कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता, उचित वेतन नहीं मिलता, सरकारी कर्मचारियों को राशन नहीं मिलता ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि विद्यार्थियों को वाजिब कीमत पर किताबें नहीं मिलती हैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिये ६० परसेन्ट मार्क्स नहीं लाने पर फेल किया जाता है, क्या सरकार लोगों की मांगों को उचित ढंग से रखने पर मंजूर नहीं करती है और फिर तोड़-फोड़ करने पर, नारे लगाने पर उनकी मांगों को मंजूर कर लेती है ? अगर यह सही है तो क्या सरकार का यही रवैया है कि जो लोग सरकार को गाली देते हैं, जो भी संगठन सरकार को गाली दें, उनकी मांगों को सरकार मंजूर कर लेती है, जो सरकार को गाली देता है उस संगठन के सामने सरकार अपने घुटने झुका देती है, नतमस्तक हो जाती है और उनकी मांगों को मंजूर कर लेती है ? अगर यही सरकार का रवैया है तो सरकार को तैयार रहना चाहिये कि लोग उसे गली गली में, कूचे कूचे में गाली दें और उनके खिलाफ दुनिया भर के बगावत के झंडे उठाने को तैयार हैं।

सारे हालात को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह गैरवाजिब है, गलत है। अगर सरकार अमन चाहती है तो साफ साफ कहे कि मंहगाई बढ़ी है, सरकार अपनी गलती को मंजूर करे और कहे कि हम बुजदिल हैं, नाकारा हैं, नाअक्ल हैं कि कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा मकसद था इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को रखने का। मेरा यह एडजोर्नमेन्ट मोशन रखने का यह मकसद नहीं था कि आपने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये घेरा लगाया, जनसंघ के प्रदर्शनकारियों ने घेरे को तोड़ा और छीना-झपटी में लोगों को चोटें आ गईं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप पुलिस को क्यों इतना डिफेण्ड करते हैं, आप उनकी भी गलती बताइए और हमारी भी गलती बताइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहते हुए भी कहने को मजबूर हूं कि जहां गृह मंत्रीजी केवल प्रदर्शनकारियों की गलती बताते हैं वहां मैं पुलिस की गलती मानता हूं। जहां यह हादसा गुजरा है, वहां के एस. पी. बहुत करप्ट हैं, वे अव्वल दर्जे के, अव्वल दर्जे के

एक माननीय सदस्य : हां, हां हम समझ गये।

श्री अब्दुलजब्बार : अव्वल दर्जे के करप्ट आदमी हैं, अव्वल दर्जे के व्यभिचार की ओर जितने उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनके कमाण्ड में पुलिस इतने अत्याचार कर रही है और सरकार जनसंघ के कार्यकर्ताओं की गलती बता कर कहे कि प्रदर्शनकारियों की गलती के कारण यह कार्यवाही की गई।

मैं अफसोस के साथ कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बदकिस्मती है टोंक नगरी की

(श्री अब्दुलजब्बार)

कि राजस्थान बनने के बाद टोंक नगरी को कभी खुशहाली नसीब नहीं हुई। यह गनीमत है कि राजस्थान की राजधानी में जितने मिनिस्टरों के बंगले हैं वहां आकर टोंक की जनता ने बगावत के झंडे बुलन्द नहीं किए, ५००० भी जेल चले जाते तो कोई बात नहीं थी। वहां भूख का नंगा नाच हो रहा है, खाने को रोटी नसीब नहीं होती, वहां लोग २४-२४ घंटे भूखे रह कर पेट के नीचे तकिया या पत्थर लगा कर सोते हैं। भारतवर्ष की १९ साल की आजादी के बाद भी टोंक की आज यह दशा है। पर मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों की गलती थी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे सरकार की गलती को, सरकार की अकर्मण्यता को साफ लफ्जों में स्वीकार करें। एक ब्लेड का पैकेट ७० पैसे में मिलता था वह आज १।) रुपये में मिल रहा है जिसे इरेस्मिक कहते हैं, डालडा जहां पहले २॥) रु०, ३) रु० किलो के हिसाब से मिलता था वह आज ६॥) रु० किलो के भाव से मिलता है। वहां गुजरात के साथ जहां तेल २॥) रु० किलो के भाव से मिलता है, वहां गुजरात के साथ लगे राजस्थान के इलाके में ६॥) रु० किलो के भाव से मिलता है। क्या कारण है इसका? तिल्ली का उत्पादन इसी देश में होता है। गुजरात में भी तिल्ली का उत्पादन होता है, फिर क्या कारण है कि राजस्थान में तिल्ली का तेल ६॥) रु० किलो मिले और गुजरात में २॥) रु० किलो मिले? क्या कारण है कि गुजरात में तेल सस्ता मिल रहा है और राजस्थान में इतना महंगा मिल रहा है? **क्या कारण है कि वहां लोग भूखों मर रहे हैं?** कल ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि यहां से मोटा अनाज अहमदाबाद भेजा गया। हमारे यहां प्रश्न पूछे जायं कि भूख से कितने लोग मरे तो उसको टाल दिया जाय, गलत रिपोर्ट दिखाई दिये जायं और कहा जाय कि भूखों रहते रहते कमजोर हो जाते हैं इसलिए मर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर केन्द्रित रहें तो ठीक रहेगा। यह तो खाद्य समस्या पर जब बोलने का अवसर आये तो बोल सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि सरकार ने गलत बयान दिया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी गलती महसूस करे और साफ साफ यहां यह कह दे कि हम लोगों को रोटी, रोजी, तनख्वाह दिलाने की जिम्मेदारी को नहीं निबाह सके, यह कह दें तो हम मान लें कि नाअक्ल आदमियों के हाथ में हुकूमत है, कमजोर हाथों में हुकूमत है, पर सरकार यह कहना नहीं चाहती।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी क्रांतियां देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, समय पलटते देर नहीं लगती। अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जबकि जनता द्वारा मंत्रियों को जेल में डाल दिया जायगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात की कोशिश करें कि सही बातों को सामने रखें कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने में पुलिस की ज्यादती थी। मंत्री महोदय उनको बचाने की कोशिश न करें। सदन को यह बताने की कोशिश करें कि सरकार हर चीज पर नियन्त्रण रखने की कोशिश करेगी और अपनी गलती के बारे में वह साफ स्वीकार करेगी कि यह हमारी गलती है।

(श्री अब्दुलजब्बार)

मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार सच्चे दिल से अपनी बात रखे, न्यायपूर्ण और सही वक्तव्य इस मामले में दे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनों के पहले १४४ धारा लगावें तो हर जगह लोग अपनी सही मांगों के लिये कैसे प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपना रिप्रेजेन्टेशन कैसे पेश करें? यह जनता का बुनियादी अधिकार है, उसको रोकने के लिये सरकार पहले से १४४ धारा लगा दे कि कोई नागरिक, कोई प्रतिनिधि मंडल अपना रिप्रेजेन्टेशन लेकर सरकार तक नहीं पहुंच पाये, पहले से ही सरकार मोसा बान्ध दे तो यह लोकतन्त्र के विपरीत है। राजस्थान की हुकूमत का १४४ धारा लगाना नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ था।

मैंने नाथद्वारा में यहां तक देखा कि वहां प्रदर्शनकारी अन्दर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम अपना रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं, पर उनको रिप्रेजेन्टेशन देने तक के लिये नहीं जाने दिया। तो लोकतन्त्र में सरकार के सामने कोई चीज रखने जाय, उसको लाठियों से, १४४ धारा से दमन करने का सरकार का तरीका होगा, तो इसका नतीजा बुरा होगा।

(१.०० म. प.)

सवाल इस बात का है कि इन्दिरा गांधी ने देश में अवमूल्यन होने के बाद घोषणा की कि भारत के अंदर अवमूल्यन के कारण भावों को बढने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी राज्य में हर चीज के दाम बराबर बढते गए और इस सिलसिले में लगातार लोगों ने आवाज बुलंद की लेकिन हुकूमत सोई रही। भारत के प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि एक पैसा भी भाव में बढोत्तरी नहीं करने दी जायगी और उसके लिए कदम उठाए जायेंगे। लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया। उसका नतीजा यह हुआ कि आम जनता के अन्दर असंतोष हुआ और उस असंतोष को प्रकट करने के लिए यदि हुकूमत उनको रोटी और रोजी के बदले लाठियां दे तो यह हुकूमत का तरीका लोकतांत्रिक नहीं है; बल्कि उसके विपरीत काम है। होना तो यह चाहिए था कि जो बात कही गई थी उसकी व्यवस्था सरकार करती और बताती कि हमने ये कदम उठाएं हैं किन्तु कोई कदम नहीं उठाए। सरकार तो कुंभकरण की नींद सोई हुई है। हुकूमत जरूर है, परन्तु नाम मात्र की है। कुर्सियां पड़ी हैं लेकिन हिल नहीं सकतीं, इस प्रकार की कुर्सियों पर बैठे रहे और कोई कदम नहीं उठाए।

मैं स्वयं चूरू के अन्दर आम सभा करना चाहता था और पुलिस ने १०७ साल पहले का कानून लगाया, ३०१ में नोटिस दिया कि आपको हिदायत की जाती है कि यहां पर कोई सभा नहीं कर सकते, आपको लाइसेन्स लेना पड़ेगा। इस प्रकार की बात करके आम सभा पर पाबंदी लगाई। मैं समझ नहीं पाता कि लोकतंत्र के अन्दर स्वतन्त्रता के बाद भी हुकूमत १८६० के कानून का सहारा ले! जो काला कानून अंग्रेजों के जमाने का है, एक नागरिक को आम सभा करने का जो अधिकार है उससे उसको वंचित किया जाय, यह कहां का न्याय है? मुख्य मंत्री तो सभा में बोल सकते हैं लेकिन उसी के ही सामने एक और व्यक्ति सभा करना चाहे तो उसको लाइसेन्स

Page No. 44

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेना पड़ता है। जैसे हमारे साथी ने कहा, इसके नतीजे दूसरे निकलेंगे। मैं नहीं चाहता कि देश में हिंसा बढ़े, उपद्रव हों, मगर यदि हुकूमत इस प्रकार से सोई रही और कोई कदम नहीं उठाएगी तो इसके नतीजे गलत होंगे और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए ऐसे स्थगन प्रस्ताव को सरकार गंभीरता से ले और गहराई से सोचे और जो मुद्दे यहां रखे गए हैं उनका स्पष्ट जवाब दे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्थगन प्रस्ताव केवल आपका ही नहीं, मेरा भी है लेकिन श्रीमान् भैरोंसिंहजी मौका देख कर आए हैं, ऑन-दी-स्पॉट स्टेडी करके आए हैं, इसलिए तथ्य सदन के सामने वह रख दें और एक्चुअल पोजीशन आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल: जिस समय यह घटना घटी उस समय मैं भी वहां था इसलिए तथ्यों पर ज्यादा प्रकाश डाल सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्री का उत्तर सुनकर ब्रिटिश हुकूमत........

श्री उपाध्यक्ष : It shall be a condensed gist.

श्री भैरोंसिंह : मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आज ब्रिटिश हुकूमत का ....

श्री उपाध्यक्ष : खुराक न दें, कोरी गोली दें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के आंदोलन पर लाठी चार्ज करने के बाद उस लाठी चार्ज को जस्टीफाई करने की स्थिति पैदा कर रहा हो। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनसंघ ने जिस विषय को लेकर आंदोलन किया था वह इस प्रकार का विषय था जिसमें हमें पूर्ण आशा थी कि सरकार इस विषय में भारतीय जनसंघ का सहयोग करेगी। सारा देश आज जानता है कि मंहगाई और भुखमरी के कारण, करों के भार के कारण, भारत की जनता बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। अपनी इस पीड़ा को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार के आंदोलन का माध्यम उनको मालूम पड़ता है, उसी आधार पर वे अपनी पीड़ाओं को प्रकट करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात रही कि देश में पिछले दिनों अनाज और मंहगाई की समस्याओं को लेकर कुछ इस प्रकार के आंदोलन हुए जिन्होंने हिंसा का रूप धारण कर लिया, जन-धन की हानि हुई और यह बात सही है कि सब कुछ होने के बाद सरकार झुकी। भारतीय जन संघ ने ऐसा महसूस किया कि यदि ये हिंसात्मक प्रवृतियां इस प्रकार बढ़ती रहीं तो एक दिन देश में लोकतंत्र का नाम ही नहीं रहेगा। इस लोकतंत्र में आस्था प्रकट करने के लिए और लोकतंत्र में लोगों की श्रद्धा का निर्माण करने के लिए, भारतीय जन संघ ने निर्णय लिया कि हम जनता के सामने यह मांग प्रस्तुत करें कि लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार पर दबाव लाया जा सकता है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार या किसी विरोधी दल को दोष दें, इसकी आव-

Page No. 45

(श्री भैरोंसिंह)

सकता नहीं। हिंदुस्तान में हिंसात्मक प्रवृत्तियां उस दिन चरम सीमा पर पहुंच गई जिस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के विरोध में, जो मैसूर महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव के प्रश्न को लेकर किया गया था, एक कमीशन नियुक्त करने के विरोध में जो आंदोलन किया गया था; वह मैसूर कांग्रेस थी। उस कांग्रेस ने महात्मा गांधी का मार्ग छोड़ा, अहिंसा का मार्ग छोड़ा, लोकतांत्रिक मार्ग छोड़कर सबसे आगे बढ़कर गाड़ियों को रोका, गाड़ियों को जलाया, जनता की सम्पत्ति को लूटा, जनता की दूकानों को जलाया और जितने भी व्यक्तियों को इन्ज्यूर कर सकते थे इन्ज्यूर किया। जब स्वयं कांग्रेस पार्टी एक राज्य की सीमा के प्रश्न को लेकर हिंसात्मक तरीका अपनाए तो जो दल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनके सामने केवल एक चारा रहता है कि भारत की जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था निर्माण करने के लिए अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन शुरू किया जाय और जनता में विश्वास पैदा किया जाय कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीवित है, रहेगा और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार को झुकाया जा सकता है। यह एक बुनियादी प्रश्न था।

भारत में २५, १२, १३ और १४ तारीख को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जिन व्यक्तियों ने अपनी आंखों से देखा, मुझे कइयों ने बताया कि आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था। आज इस कांग्रेस के नेताओं को मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे किसी भी प्रांत की संख्या ले लें चाहे राजस्थान की ले लें, १९४२ में और उससे पहले और बाद में कांग्रेस ने जितने स्वतंत्रता के आंदोलन लड़े हैं, एक भी ऐसा आंदोलन बता दें जिस आंदोलन के अन्दर ४६०० लोगों ने अपने आपको गिरफ्तार कराने के लिए पेश किया हो, चार हजार के करीब लोगों ने जेल में जाकर अपने नाम रजिस्टर करवाए हों। हमने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा। उनकी सेक्रीफाइसेज पर किसी प्रकार से कोई आंच नहीं लगाना चाहता। लेकिन आंदोलन करना, उसके लिए अपने आपको जेल के लिए समर्पित करना, यह मामूली बात नहीं है। कांग्रेस के लोग कोई नक्शा देखें, फिगर्स मिलती हों तो निकालें और एक भी राज्य की फिगर्स को काम्पिटिशन में पेश करके बताएं कि उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में जन संघ के मुकाबले आधे से भी ज्यादा लोग थे। बल्कि मैं कहूं कि राजस्थान में आंदोलन में किसी भी समय २०० आदमियों से ज्यादा जेल में नहीं गए, जो लोग जेल में गए ......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ५००–५०० भी आदमी जेल में रहे हैं। दो दो महीने रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : २५० तो हम ही रहे।

श्री मुरलीधर व्यास : दो महीने तक ५०० आदमियों को जेल में रखा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सवाल सन् १९४२ के कांग्रेस आन्दोलन से है जिसमें राजस्थान में ११६ जेल में गये। उनमें से २६ माफी मांगकर आये।

श्री उपाध्यक्ष : उचित होगा कि तारतम्यवार कम्पेरेटिव फिगर्स दे दिये जाएं।

श्री भैरोंसिंह : दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उधर एनोर कर गये।

श्री वीरेन्द्रनाथ हांडा : ४२ में जेल गये तो उनमें वे भी ये ही थे और उधर बैठने वाले भी ये ही थे।

कुछ माननीय सदस्य : माफी मांगने वाले भी थे।

श्री राधाकृष्ण बीयल (टोंक) : माफी मांगने वाले तो सत्ता के साथ उधर बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : माफी मांगने वालों में इधर कोई नहीं है। मंत्रियों में माफी मांगने वालों में एक जरूर हैं। और वह ज्वाला प्रसादजी की जानकारी में है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वह जानकारी कराना चाहता हूं कि २५ तारीख को प्रदर्शन हुए और मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस समय प्रदर्शन हुए, मुझे यह कहने में कोई शिकायत नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ जो भी उचित व्यवहार हो सकता था वह व्यवहार प्रदर्शित किया। उसी डेपुटेशन मिला उन्होंने मांग-पत्र लिया और सहानुभूति प्रकट की। मांग-पत्र लेकर उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के उचित प्रतिनिधि हैं वह उनके पास उसको भेजेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने उस मांग-पत्र का जवाब ११ तारीख को दिया। ११ तारीख को जवाब आया। १२ तारीख को आन्दोलन होना था। जयपुर में जवाब आया, आप यह अपेक्षा करके चलें कि जवाब आ गया इसलिए आन्दोलन स्थगित हो जायगा; यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मांग-पत्र के उत्तर में यह आश्वासन दिया कि अनाज के भाव उतारने और बाकी की चीजों के लिये वह ही पुराना ढर्रा जिस पर चल कर आप व्यवस्था करेंगे। आपकी इन पुरानी नीतियों के कारण आज हिन्दुस्तान कर्जदार हो गया और आज यह हमारा देश हिन्दुस्तान संसार के अन्दर एक भिखारी के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, बेरोजगार को रोजी नहीं, किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं। उन सब प्रश्नों को लेकर मांग-पत्र प्रस्तुत किया था और मांग की थी कि सरकार इस पर विचार करे और उसको तुरन्त समाधान करने की कोशिश करे। अब माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि हमने तो उत्तर दे दिया। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि २५ तारीख को मांग-पत्र पेश किया और ११ तारीख को जवाब दिया। जिस दिन मांग-पत्र पेश किया उस दिन अनाज के क्या भाव थे और जिस दिन आपने उत्तर दिया उस दिन क्या भाव थे? इसका भी आप खयाल कीजिये, मांग-पत्र प्रस्तुत करने के दिन और उत्तर देने के दिन के बीच में अनाज के भावों में ही २) रु० क्विन्टल की वृद्धि हुई है। बाकी चीजों को तो आप छोड़िये। यह स्पष्ट अन्तर नजर आ रहा है। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी भावों में वृद्धि हुई है। जनता जवाब नहीं चाहती है, जनता सस्ता अनाज चाहती है, जनता जवाब नहीं चाहती है जनता करों से मुक्ति चाहती है, जनता जवाब नहीं चाहती जनता हिन्दुस्तान का जो विदेशों का कर्ज बढा है उसको कम करना चाहती है। जनता यह नहीं चाहती है कि अमेरिका से मांग कर उसको भीख का अनाज खिलायें, जनता यह नहीं चाहती कि हिन्दुस्तान की सरकार दूध, दवाई, मशीन और पैसे के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

भिखारी के रूप में विदेशों में खड़ी हो जाय. जनता यह नहीं चाहती कि हिन्दुस्तान के बाद में जो मुल्क आजाद हुए वे मुल्क हिन्दुस्तान को हर प्रकार की सहायता देकर पैरों पर खड़ा रहने के लिये मदद दें। हिन्दुस्तान को कितनी शर्म आती है जब दुनिया में हिन्दुस्तान का यह नक्शा प्रदर्शित किया जाता है कि हिन्दुस्तान की जनता भूखों मर रही है इसलिए इटली और जर्मनी की जनता ने, चूंकि हिन्दुस्तान भूखों मर रहा है इसलिये वहां के टैक्सी ड्राइवरों ने चन्दा इकट्ठा करके भेजा, छोटे २ मजदूरों ने चन्दा इकट्ठा करके भेजा, इटली के छोटे २ मासूम बच्चों ने यह कह कर कि हमारे भाई हिन्दुस्तान में भूखों मर रहे हैं उन्होंने दूध बचा कर भेजा। हिन्दुस्तान की सरकार इससे अधिक और क्या निकम्मापन बतायेगी, यह तो भविष्य ही बतायेगा।

सरकार के स्वयं के वित्त मंत्री कहते हैं कि डिवेल्यूएशन से पहले ८० प्रतिशत महंगाई थी और ११ प्रतिशत महंगाई डिवेल्यूएशन के बाद हुई। इसमें भी विवाद चल रहा है कि १३ प्रतिशत अवमूल्यन के बाद बढ़ी। पिछले वर्षों में शत प्रतिशत महंगाई बढ़ गयी उसको कन्ट्रोल नहीं कर सके। केन्द्रीय वित्त मंत्री कहते हैं कि दस वर्ष के पहले के भावों के आधार पर पहुंचना तो दूर किनार रहा हम पिछले तीन वर्षों के भावों पर भी नहीं पहुंच सकते। आज की हालत में सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि हम प्रदर्शन करके जनता की भावना को सरकार के सामने रखें।

२५ तारीख को प्रदर्शन किया। कुछ भाषणों को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कलेक्टर को नहीं जाने देंगे। यह बात सही है। मैंने कहा। लेकिन यह नहीं कहा कि कलेक्टर को जबरदस्ती करके नहीं जाने देंगे। हमने कहा कि कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जनता के अन्दर खड़े रह कर जनता की समस्या को हल करना चाहिये। केवल कागजों से जनता की समस्या हल नहीं होगी। जनता आज दुखी है, उसके बीच खड़े रह कर जनता की समस्या को, उसके दुख को समझना चाहिये और उसको हल करना चाहिये। आपने इस बात को लेकर धारा १४४ लगाई। मुझे ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि आप कहते हैं कि हम जनतन्त्रीय प्रणाली में विश्वास करते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं जब कि यह तानाशाही प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं; जिस प्रकार का टोंक के अन्दर किया। टोंक में काफी भीड़ थी। जितने लोगों को गिरफ्तार होना चाहिये था, जिस संख्या में कलेक्टोरेट के कम्पाउण्ड में जाना चाहिये था उतने चले गये। दूसरे दिन अधिक संख्या लेकर पहुंचे। जिनको अरेस्ट कराना था कलेक्टोरेट के कम्पाउण्ड में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने धारा १४४ का उल्लंघन किया है इसलिये गिरफ्तार किया जाता है। उनको गिरफ्तार कर लिया और जेलखाने में भेज दिया। तीसरे दिन प्रदर्शनकारी संख्या में ज्यादा थे और गिरफ्तार होने वाले थे उनकी संख्या भी ज्यादा थी। ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था कि टोंक की सम्पूर्ण भूखी जनता, अत्याचारों से संत्रस्त जनता जिलाधीश के पास अपनी मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन करने की योजना से कलेक्टोरेट के पास पहुंची। जनता पहुंच ही नहीं पाई थी उसमें पहले धारा १४४ हो गा

(श्री भैरोंसिंह)

मार्शल लॉ लगाया हो, डोरे डाल डाल कर, रस्से डाल डाल कर, हॉस्पिटल के मार्ग को तो नहीं रोकना चाहिये था, कलेक्टोरेट के तार लगाये जा सकते थे, एक एक इंच पर बन्दूकधारी सिपाही खड़े किये जा सकते थे, लेकिन आम रास्तों पर पुलिस के सिपाहियों को खड़े करके जनता को आतंकित किया जाय और यह कहा जाय कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली से भून दिये जाओगे; यह दुर्भाग्य है। जिस समय लाठी चार्ज हुआ, जो रोष जनता के अन्दर पैदा हुआ, उस रोष को यदि जनसंघ के कार्यकर्ता न रोक पाते, जिस प्रकार चोराचोरी के आन्दोलन में रोष प्रकट हुआ था, एक थानेदार को नहीं कई व्यक्तियों को मारा था, उस वक्त जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कण्ट्रोल न किया होता तो कलेक्टर और एस० पी० ही नहीं सारी शक्ति का कहीं पता ही नहीं लगता और टुकड़े टुकड़े करके उड़ा देती। जनसंघ लोकतन्त्र में विश्वास करता है, लोकतन्त्रीय परम्पराओं में विश्वास करता है। वह किसी प्रकार से उस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहता है। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े संयम से काम लिया और लाठियां खाईं। आप पत्थर चलाने की बात कहते हैं। पत्थर जनता ने नहीं चलाये। कलेक्टर के चपरासी ने चलाये। वह कलेक्टोरेट के कोने में पहुंचा, उसने एक पत्थर फेंका। एक व्यक्ति के लगी। जो खड़ा था उस व्यक्ति ने गाली निकाली; यह सही है। क्यों पत्थर फेंकते हो? एक थानेदार ने डंडे से जोर से चोट मारी। दूसरा आदमी खड़ा था, उसने डंडा पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, शर्म तो आती है कहने में, पर मैं कहता हूं कि सारी पब्लिक चली गई उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ कर बान्ध कर बहुत बुरी तरह से पुलिस ने पीटा। एक पचास वर्ष का आदमी। इसलिये उसे नहीं पीटा कि उसने डंडा पकड़ लिया बल्कि इसलिये पीटा कि वह वहां पर आर. एस. एस. का काम करता है। हमारे ये तानाशाह, लोकतन्त्र के हत्यारे, आज के शासक नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान की लोकतान्त्रिक शक्तियां पनपें, या लोकतन्त्र में आस्था रखने वालों को प्रोत्साहन दिया जावे। तो उस व्यक्ति को पुलिस ने इस बुरी तरह से मारा कि डंडा खून से लथपथ हो गया। सिर में, हाथ में, पैरों में काफी चोटें आईं। उसका सारा बदन सूज गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसको बचाने के लिये एक वहां के सीनियर एडवोकेट ने भीड़ में से कूद कर अपनी बॉडी से ढक लिया और कहा इस बूढ़े को क्यों मार रहे हो।

इस पर उत्तेजित होकर उस वकील के इतनी जोर से लाठी मारी कि उनकी जांघ पर पांच इन्च लम्बा और दो इंच चौड़ा घाव सारा का सारा नीला हो गया। छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बूढ़ों को बुरी तरह से पीटा गया, जो दुकानों में बैठे थे, पुलिस से दूर थे, जुलूस से भी दूर थे उन पर भी लाठियां चलाई गईं।

(विराम)

मैंने स्वयं ने अस्पताल में जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, जो बाहर गांव का

Page No. 49

(श्री भैरोंसिंह)

था, जिसका जुलूस से संबंध नहीं था। केवल उसका और पुलिस के किसी सिपाही का झगड़ा था। उसने उसे बुरी तरह से मारा। मैंने पूछा आपको किसी प्रकार की हमारी मदद की जरूरत हो तो बताएं। तो इस पर उसने जवाब दिया कि मुझे और कोई मदद की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे गरीब हैं, अगर मैं मर जाऊं तो उनको रोने मत देना। मेरे भी दिमाग में इस प्रकार की बात आई कि आखिर यह सरकार किस जगह जाकर टिकना चाहती है। उसका नतीजा क्या बनता जा रहा है। जनसंघ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये, जेलखाने में और पुलिस लॉक-अप में उनको रख दिया गया। इसको दस मिनट का समय हो गया। जनता केवल नारे लगाती हुई जा रही थी वापिस। उस स्थिति में पत्थर फेंकवा कर यह सारी स्थिति पैदा की कि माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि २३ को चोटें आईं और ३२ पुलिस वालों को चोटें आईं।

मैं पहुंचा, अधिकारियों से बातें कीं। कहा ५—७ को चोटें आई हैं। मैंने दूसरे दिन सुबह जिनको चोटें आईं उनको इकट्ठा किया। उनको एक बड़े जुलूस के साथ ले गये। कलेक्टर से कहा कि जिनको चोटें आई हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय। एक्जामिनेशन कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय, चालीस आदमियों को चोटें आईं। मंत्रीजी २३ की बात कह रहे हैं जो बिलकुल बेबुनियाद और गलत है। वे सदन को मिसगाइड करने के लिये गलत बात कह रहे हैं। किन्तु जब ४० का एग्जामिनेशन हुआ तो उस समय कलेक्टर, एस. पी., एम. ओ., असिस्टेंट सर्जन सब मौजूद थे। सबने बराबर बैठकर एक एक चोट को देखा। इन्जरी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास भी है। उस कॉपी को देखने से पता लगेगा कि लाठी चार्ज केवल डराने के लिये किया जाता है, ऐसा जो कहा गया है, वह कितना खोखला और बेबुनियाद है। चालीस व्यक्तियों में से १६ ऐसे हैं जिनकी चोटें और लाठी की मार की लम्बाई तीन इंच से साढ़े पांच इंच तक है।

इन लोगों के निशान नीले पड़े हुए थे। हाथ-पैर काफी सूजे हुए थे। छोटे-छोटे बच्चों को मारा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इसके बाद हमारी सरकार यदि थोड़ी बहुत भी अक्ल से काम लेती तो आवश्यकता इस बात की थी कि जिनको चोटें लगीं उनको अस्पताल में ले जाती। पर इसके विपरीत पुलिस वालों ने और सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने यह प्रचार किया कि जो अस्पताल में जावेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जावेगा। इससे उन लोगों को अपनी इच्छा से भी अस्पताल जाने नहीं दिया। मैं पहुंचा वहां।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल में हैं श्री राधाकृष्ण जी गोयल।

उन्होंने वहां ६२ में कांग्रेस को हरा दिया। डिग्गी-मालपुरा से कांग्रेस को खदेड़ दिया। निवाई से हार गये और हारे हुए कांग्रेस के मंत्री को हरा दिया

(श्री भैरोंसिंह)

महाराजकुमार ने । अब वे पुनः अपनी प्रतिष्ठा जमाने की वहां कोशिश कर रहे हैं । भूतपूर्व राजस्व मंत्री और आज के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजनैतिक आधार पर अपना प्रभुत्व वहां जमाना चाहते हैं फिर से । कांग्रेस की नीतियों के आधार पर नहीं, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की नीतियों के आधार पर राजनैतिक और भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा-दीक्षा के आधार पर वे अपनी राजनैतिक स्थिति को पनपाना नहीं चाहते; पर इसके विपरीत वे सरकारी मशीनरी के मार्फत, सरकारी अधिकारियों के बलबूते पर, सरकारी रौब-दाब के भरोसे पर अपनी खोई हुई सत्ता और प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं । एस. पी. टोंक में छः साल से बैठा हुआ है । जनता की लगातार शिकायतों के बावजूद बैठा हुआ है, बार एसोसियेशन की निन्दा के प्रस्ताव के बावजूद भी । कई व्यक्तियों ने मालपुरा से टोंक और टोंक से यहां और सारी जिन्दगी व्यतीत कर दी वहां बैठे बैठे । तो वह छः साल से वहां बैठा है । एक कलेक्टर के बारे में, जिनके लिये इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में मैंने कई कमजोर कलेक्टर देखे हैं पर सबसे कमजोर कलेक्टर अगर किसी को देखना है तो उसका नमूना हमारे मंत्री महोदय ने टोंक में रख रखा है । और इसके बाद सबसे बदचलन, सबसे गलत पुलिस के अधिकारी को देखना हो तो वह भी टोंक में विराजमान हैं । भगवान की लीला है । ऐसा संयोग— मन्त्री, एस. पी., कलेक्टर, एस. डी. एम., संयोग की त्रिवेणी में आज जनता का खून पसीना एक हो रहा है । जनता इनकी नादिरशाही की चक्की में पिस रही है और ऊपर के सरकारी अफसर कान में तेल डाल कर बैठे हैं । मालपुरा में बी. डी. ओ., तहसीलदार कई वर्षों से एक ही चल रहे हैं । वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं । यदि मन्त्री महोदय कांग्रेस की प्रतिष्ठा इन जैसे सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के द्वारा वहां जमाना चाहते हों तो कान खोल कर सुन लें कि यह आन्दोलन इस प्रकार की लाठियों से दबने वाला नहीं है ।

हमने तय कर लिया है कि हम इस सरकार के इस नादिरशाही, तानाशाही, अत्याचारी हुकूमत के डंडे भी खावेंगे, लाठियां भी झेलेंगे, ये अगर अपने पालतू गुण्डों से पत्थर भी फिकवायेंगे तो खाने को तैयार रहेंगे, लेकिन लोकतन्त्र की रक्षा के लिये जब तक जनसंघ के एक एक कार्यकर्त्ता में प्राण है तब तक वह प्राणों की बाजी लगा कर भी इस लोकतन्त्र की हत्या नहीं होने देगा । लोकतन्त्र को जीवित करना पड़ेगा । इसके लिये कांग्रेस पार्टी की बलि देने की तैयारी भी करनी पड़े तो कोई संकोच हमें नहीं होगा ।

आज हमारी मांग है । कुछ कमजोरियां हैं मंहगाई के कारण से । कुछ उत्पीड़न है जनता में इस मंहगाई से । उसको मिटाने का तरीका लाठी नहीं हो सकता । उसे मिटाने की मांग को लाठी से दबाया भी नहीं जा सकता । आज चाहिये तो यह था कि एक एक जुलूस के सामने हमारे लोगों से मिल कर वे हमारी मांग को सुनते, समझते । फिर हमने तो एडवान्स में सरकार को पत्र भी दे दिया

(श्री भैरोंसिंह)
था। मैं जयपुर में रहता हूं, सतीशचन्द्रजी जयपुर में रहते हैं, और भी जनसंघ के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर दफ्तर खोल कर बैठे हैं। क्या सरकार के इन मन्त्रियों में और अधिकारियों में इतनी भी शिष्टता नहीं थी कि जहां हमारे एक हजार हजार आदमी प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए अपने मांग-पत्र अधिकारियों को देने गये और मन्त्रियों और उच्चाधिकारियों ने उनको बुला कर यह भी नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है? वे यह भी नहीं बता पाये कि आपकी जो मांग है, यह हमें पत्र से मालूम हो गई है और हम उसका समाधान इस तरह से करना चाहते हैं।

ये सब बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि सरकार अपनी गलत नीतियों के चक्कर में इस बुरी तरह से फंस गई है कि आज इसको उनमें से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उधर सरकार फंस गई और इधर जनता व्यापक मंहगाई के प्रभाव में और सरकार द्वारा पैदा की गई गलत परिस्थितियों में इतनी फंस गई कि उनमें से निकलने का रास्ता इस समय तो उसको भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिन कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना आज उसे करना पड़ रहा है उसके निवारण का मार्ग तो सन् ६७ में जाकर प्रशस्त होगा, जब कि इस सरकार को जाते हुए जनता देखेगी। पर आज जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी डंडा नहीं है। उनका समाधान चालबाजी नहीं है, लोकतन्त्र की हत्या करना नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने टोंक में लाठी चार्ज करवा कर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में चल रहे जनसंघ के इस शांतिपूर्ण कार्यक्रम को बदनाम करने की चेष्टा भर की है। सारे देश के किसी भी कोने में इस तरह के उपद्रव कहीं नहीं हुए, न कोई चोटें आईं। किसी ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, थप्पड़ नहीं मारे। सम्पूर्ण देश में लोकतन्त्र के प्रति आस्था निर्माण करने के लिये भारतीय जनसंघ ने यह एक सफल कार्यक्रम बनाया है। इसमें कलंक लगाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से टोंक में लाठी चार्ज करवा कर राजस्थान में जनसंघ को बदनाम कराने की कोशिश की है। जनता के भी आंखें हैं। वह देखेगी। अगर उन आंखों को आपको देखना हो तो माननीय मन्त्रीजी अपने दामोदरजी को साथ लेकर जरा टोंक चलें और देखें कि जनता उनका क्या और कैसा स्वागत करती है। उससे आपको पता लग जावेगा कि ये दोनों व्यक्ति जिस प्रकार का मुंह लेकर जावेंगे उसी प्रकार का लेकर वापिस आते हैं या उनके रंग में परिवर्तन होकर आता है। यह टोंक वाले स्वयं बता देंगे आपको।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ये ऑल इण्डिया रेडियो पर प्रचार करते हैं। रेडियो, यह इण्डिपेण्डेण्ट इन्स्टीट्यूशन, कांग्रेस का सक्रिय कार्यशील कार्यकर्ता कब से बन गया? वह प्रचार कर रहा है कि यह भारतीय जनसंघ का प्रदर्शन और धरना सरकारी कार्यालयों के काम को रुकवाने चला है? मैं पूछता हूं किसने काम रोकने की बात कही थी? यदि कहीं किसी को भ्रम भी

(श्री भैरोंसिंह)

या तो ग्रॉल इण्डिया जनसंघ के दीनदयालजी उपाध्याय ने तीन दिन पहले सक्यूलर भेज कर सरकार को भी और जनसंघ की सभी शाखाओं को यह स्पष्ट कर दिया था कि धरना देने से कोई इस भ्रम में न रहे कि कोई सरकारी काम-काज हम बन्द करवाना चाहते हैं, हम इसके माध्यम से केवल अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं। केवल हमें सरकार के कार्यालयों के सामने जाकर बैठ जाना है; ये स्पष्ट हिदायतें हमारी उनको थीं। तो सरकारी कामकाज बन्द नहीं हो, यह हम भी चाहते थे। जहां यह चीज सरकार के कब्जे में थी, जहां हिन्दुस्तान के गृह मन्त्री को हिन्दुस्तान की लोकसभा के अन्दर जनसंघ पार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने बात करके इसको स्पष्ट कर दिया था कि धरने का मतलब क्या होगा। टोंक में अशांति के आधार पर धारा १४४ लगा देना और लाठी वर्षा करना; इसका मतलब यह होता है कि यह सरकार जो शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले आन्दोलन हैं उनमें भी विश्वास नहीं करती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से वह ध्यान देकर सुन लें कि आज तक तो चला था भूख का आन्दोलन, मंहगाई का आन्दोलन, और अब टोंक के अन्दर इसका आन्दोलन चलाना पड़ेगा कि टोंक की जनता के साथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण जिन काले पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाता है—आज टोंक की जनता के साथ विरोधियों का सा व्यवहार किया जा रहा है जो कि अफ्रीका के अन्दर रंगभेद की नीति के कारण बाकी के लोगों के साथ किया जाता है। हम इस रंगभेद की नीति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं सरकार को चुनौती देकर जाता हूं कि या तो सरकार इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराये और दोषी अधिकारियों को दण्ड दे और यदि वह दोषी हों तो उनका वहां से स्थानान्तरण किया जाये नहीं तो टोंक जिले के अन्दर गांव गांव के अन्दर जाकर भूख हड़ताल करेंगे, आन्दोलन करेंगे और हम उस समय तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि सरकार लाठी चलाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की इन्क्वायरी जो कि जुडीशियल इन्क्वायरी होती है उसको कराने के लिए तैयार नहीं होती है।

आज जो मंत्री महोदय राजाखेड़ा से जीत कर आये हैं उनके खिलाफ "मालपुरा आजाद" आन्दोलन चलाया था। उसके कारण से मालपुरा आज तक आजाद है और उसी प्रकार से अब यह काले पैर टोंक के ऊपर पड़ने लगे हैं तो हम चाहते हैं कि टोंक के अन्दर रंगभेद की नीति के आधार पर और विरोधियों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाता है उसके लिए टोंक जिले के अन्दर इस बात का आन्दोलन चलायेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार खत्म किया जाये। मैं नहीं चाहता कि शांति भंग हो। मैं पक्ष में नहीं हूं कि किसी प्रकार के उपद्रव हों लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम रोटी के लिये जायें और लाठी खाकर आयें। लाठी से पेट नहीं भरता, भूख नहीं मिटती बल्कि और पीड़ा होती है तो हम पीड़ा लेकर जायें और दूसरी पीड़ा लेकर आयें। तो इतनी सामर्थ्य हमारे अन्दर नहीं है कि हम लाठी खायें और मांग करें। इसलिए टोंक में अब कोई गड़बड़ी

Page No. 53

(श्री भैरोंसिंह)

होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी और सरकार यदि सही तरीके से जांच कराने के प्रश्न पर आकर खड़ी होती है तो हम सरकार को उस जांच के सिलसिले में पूरा सहयोग देंगे। मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूं कि आप यदि बात करें, मैं यहां पर कहना उचित नहीं समझता, जिस डंडे की बात करते हैं वह मेरे पास है, पूरा खून से भरा हुआ। लाठी चार्ज में कोई खून निकलता है? लाठी चार्ज में कोई लोगों को ताक ताक कर मारा जाता है? लाठी चार्ज के भी कुछ कायदे हैं कि लाठी किस प्रकार से चलाई जाये, कहां मारा जाये। लोगों के सिर ही सिर में चोट मारी जाये! उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लाठी चार्ज तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं होते थे और अंग्रेज भी इस प्रकार के लाठी चार्ज करने में संकोच करते होंगे। लेकिन हमारी हुकूमत संकोच नहीं करती है। वह डंडा चाहें तो मेरे पास आज आया है। वह मैं नहीं ला पाया और आप यदि आज्ञा देंगे तो मैं अभी मंगा कर उसे सदन के सामने रख दूंगा। मेरे पास यह खून से लथपथ कपड़े हैं और यह डंडा कैसे आया वह भी मैं आपको बताता हूं। डंडा मारते मारते उस व्यक्ति के हाथ से वह डंडा छूटा और जनता में गया और जनता में से उसको उठा कर वहां से एक व्यक्ति उसे लेकर भागा और जब मैं कल वहां पर था तो उन्होंने वह डंडा मुझे दिया। पूरा खून से भरा हुआ था। आज ऐसी हालत में लोकतन्त्र की तो इस राजस्थान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए। लोकतन्त्र को जीवित रखना है तो टोंक में, मालपुरा में और उसके आसपास के एरिया में इस विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बना कर चला जाये और वहां पूछा जाये कि सरकार के अधिकारियों ने जनता के साथ कैसा अन्याय कर रखा है? क्या वहां पर कोई विरोधी आवाज उठा सकता है? वहां किसी प्रकार का कोई भी कण्ट्रोल नहीं है। बल्कि मुझे तो ताज्जुब हुआ कि कई किसानों के खातेदारी हक जालसाजी से फर्जी गश्त गिरदावरी बना कर आपस के मतभेद के कारण उनसे छीन लिए गए और जिन काश्तकारों के साथ ऐसा हुआ वह आज मांग कर रहे हैं और रो रहे हैं कि यह सरकारी अधिकारी सारे के सारे एक ही स्थान पर उनके खिलाफ क्यों बैठा रखे हैं? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर जैसा उन्होंने उत्तर दिया है उस पर वह गम्भीरता से विचार करें और यदि आपकी तरफ से कोई कोताई हुई तो स्थिति और गम्भीर बनेगी और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल!

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के अन्दर टोंक के संबंध में राज्य सरकार से कुछ बातें अपेक्षित की थीं। मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह असन्तोषप्रद तो है ही साथ ही उसमें सच्चाई की भी कमी है।.. जनसंघ ने जो आन्दोलन तारीख १२, १३ और १४ को किया उन दिनों में टोंक में ही था और जिन मूलभूत बातों को लेकर यह आन्दोलन किया गया इस संबंध में मुझे

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है वह एक अखिल भारतीय प्रश्न है। अवमूल्यन, मंहगाई, मुद्रा स्फीति और भुखमरी ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके संबंध में सभी समझदार व्यक्तियों को जानकारी है और मेरी पार्टी की मान्यता है कि देश के साथ अवमूल्यन करके सरकार ने गद्दारी की है जिसके परिणाम हम भारतीय जनता को पीढ़ियों तक भुगतने पड़ेंगे। खैर, यह नीति संबंधी बात है। मैं इसमें ज्यादा वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन जनसंघ के इस आन्दोलन के प्रति राज्य सरकार का और टोंक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का जो रुख रहा है वह वास्तव में ऐसा है कि जिसकी ओर विशेष ध्यान दिलवाने की आवश्यकता। दिनांक १२ को ४१ आदमियों का जत्था बाजार से निकला और उस जत्थे के साथ हजारों आदमी नारे लगाते हुए निकले। स्थान-स्थान पर उस जत्थे का स्वागत हुआ, फूल मालायें लोगों को पहिनाई गई और कलेक्टरी के आगे आकर वह जत्था खड़ा हो गया और वहां पर नारे लगाते रहे। जब वह जत्था कलेक्टरी के कम्पाउण्ड में जाने लगा तो उन्हें रोका गया। वह कम्पाउण्ड ऐसी जगह है कि जहां जिले की तमाम कचहरी हैं, एस. डी. ओ. का कोर्ट भी अन्दर है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स भी अन्दर हैं, और जिला अधिकारियों के कार्यालय भी अन्दर हैं और हर आम आदमी उसके अन्दर जा सकता है। उस समय कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी थी कि उसके अन्दर जाने में किसी को रोका जा सकता था। जब इनकी नीति स्पष्ट थी और यह अपने आपको गिरफ्तार करवाना चाहते थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जब इन लोगों ने अन्दर जाने का प्रयास किया तो इनका डंडों से स्वागत किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का आदेश था कि सत्याग्रहियों को, जो कि विशेष कार्य के लिए आये हैं, गिरफ्तार न करके उनका डंडों से स्वागत किया जावे? यह बात ऐसी थी कि जब मैंने सुना उस समय मैंने डण्डे मारते तो नहीं देखा लेकिन मैंने तत्काल ही उसकी जानकारी की और उसके पश्चात् भी जिला अधिकारियों से मिला। मैंने उनको समझाया कि आप इस तरह से विरोधियों की मदद कर रहे हैं। आप डण्डे मारेंगे तो इसका परिणाम बुरा निकलेगा, जनता में आतंक फैलेगा और उसका री-एक्शन होगा। लेकिन उनके दिमाग में क्या करना चाहिए, यह बात इतनी नहीं थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि वहां के अधिकारी डरे हुए थे और वह डर उनको यहां के मिनिस्टर का ही था। मैं ऐसा अनुभव करने लगा कि जैसे वह गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स नहीं बल्कि प्राईवेट सर्वेण्टस हैं। उनको लॉ एण्ड ऑर्डर की इतनी चिन्ता नहीं जितनी इस बात की कि कहीं मिनिस्टर साहब नाराज न हो जायें। उनको डर है कि कहीं वह खा न जायें। तो परिणाम यह हुआ कि वहां डण्डे मारे गये, गिरफ्तारियां की गईं और भीड़ आम तौर पर नारे लगाती रही। मामला शांत हो गया। उसके बाद में अपना डिफेन्स क्रियेट करने के लिये और वातावरण क्रियेट करने के लिये जालसाजी कर वहां पर कुछ आदमियों को निबाई,

[redacted]

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

टोंक और बरोनी से बुला कर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उनके सर्टीफिकेट हासिल करने की कोशिश की गयी। वह एक दफा वापिस किए गए लेकिन फिर भेजे गये। लेकिन स्थिति यह है कि मेडीकल डिपार्टमेंट भी उन्हीं मन्त्री के पास है, वहां डाक्टरों को भी डर था कि क्या करें? १२ तारीख को घटना हुई। शांतिपूर्वक पब्लिक मीटिंग हुई।

१३ तारीख को ८० आदमियों का, ८१ आदमियों का जुलूस उसी प्रकार शांतिपूर्वक निकला। हजारों आदमी नारे लगाते हुए आए और उनको साधारण तथा उन्होंने स्वयं कह दिया कि हम सत्याग्रही हैं, हम गिरफ्तार होना चाहते हैं। एक तरफ होकर चले गए। उन्होंने कह दिया कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तारी अमल में आई और उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन १४ तारीख को जो घटना घटी वह इस प्रकार की घटना है जो कलंकित करने वाली है इस राज्य सरकार और प्रशासन को। मैं उस समय स्वयं वहां पर मौजूद था। १४८ सत्याग्रहियों का जत्था बाजार से स्वागत कराता हुआ आ रहा था। उस जत्थे के साथ कई हजार आदमियों की भीड़ थी। एक तरह से मेला था वहां पर, बड़ा उत्साह था। महिलाएं भी हजारों की संख्या में मौजूद थीं, हर एक पटरी पर। दोनों तरफ पटरियां हैं, उन पर हजारों आदमी मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। जो लोग सत्याग्रही थे, उनके रिश्तेदार, भाई-बन्द थे वे भी साथ थे उनको प्रेरणा देने के लिए, वे भी साथ साथ आ रहे थे। हम लोग भी घण्टाघर के पास बार एसोसियेशन का कमरा है उसकी छत पर पन्द्रह, बीस वकील खड़े हो गए थे और वहां से हम यह हालात देखते रहे। वहां पर पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन बना रखा था। पुलिस ने तमाम रास्ते रोक दिए थे। अगर कोई बस स्टेंड की तरफ जाता तो इजाजत लेकर जाना पड़ता था, अगर कोई अस्पताल जाना चाहता तो अस्पताल जा नहीं सकता था, अगर कोई कचहरी जाना चाहता तो जा नहीं सकता था, क्योंकि रास्ता रुका हुआ था। यहां तक कि एक बार तो मुझे भी अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में कचहरी जाना था, मुवक्किल बुलाने आया तो मुवक्किल नहीं जा सका मुझे इजाजत लेकर जाना पड़ा। स्थिति यह बनी कि आम तौर से सारे रास्ते रोक दिए गए। यह ठीक है कि यह उनकी जिम्मेदारी है लेकिन उन्होंने ज्यादतियां की हैं, पद का दुरुपयोग किया है, जुल्म किया है और वह सब किया गया है सरकार के इशारे पर।

इसके बाद हुआ क्या कि १४८ सत्याग्रही वहां से नारे वगैरह लगाते हुए आए। उनको गिरफ्तार करके मोटर में बिठा बिठा करके पुलिस लाइन में भेज दिया गया था। वहां पर जो भारी भीड़ एकत्रित हुई थी उस भारी भीड़ ने नारे लगाना जारी रखा और जब नारे लगाते हुए वे लोग जाने लगे तो उसी अर्से में एक पत्थर कलेक्टरी कम्पाउण्ड की तरफ से आया और एक व्यक्ति को वह पत्थर लगा। जिस समय वह पत्थर कलेक्टरी कम्पाउण्ड की तरफ से आया था उस समय कलेक्टर के कम्पाउण्ड भर के अन्दर कोई आदमी मौजूद नहीं था,

Page No. 56

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

केवल सरकारी कर्मचारियों के किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी और न वहां पर कोई आदमी जनता का मौजूद ही था। जब उसको पत्थर लगा तो वह चिल्लाया और उसने गाली देते हुए कहा कि "अबे यह क्या कर रहे हो।" उसने जब गाली देना चाहा तो पुलिस कांस्टेबल ने उस पर डण्डा मार दिया। डण्डा मारने वाला एक राज्य का कर्मचारी था, वह कर्मचारी जिस पर राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी है, जो जनता से पैसा लेकर अपनी पेट भराई करता है और उसी जनता के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो आर. एस. एस. का कार्यकर्ता था, जो कि हमारे यहां के भूतपूर्व कांग्रेसी श्री रामरतनजी टिक्कीवाल के छोटे भाई हैं, वे वहां पर गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका डण्डा पकड़ लिया तो दो, तीन सिपाहियों ने उनका सिर फोड़ दिया। केवल प्रोटेस्ट करने पर उनका सिर फोड़ दिया और उसके बाद परिणाम यह निकला कि जनता में भी जोश आया, पुलिस वालों में भी जोश आया। दोनों तरफ से डण्डे चले और पुलिसवालों ने भी डण्डे और पत्थर चलाए, इधर से भी पत्थर चले। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जनसंघ के इस वातावरण से क्षुब्ध थे उन्होंने भी पत्थर फेंके। यह सब घटना उस समय हुई थी जब कि सत्याग्रहियों को, जनसंघ के सत्याग्रहियों को मोटरों में बैठा कर पुलिस लाइन में भेज चुके थे, उसके दस, बारह मिनिट के बाद यह कार्यारम्भ हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो लोग व्यवस्था कायम करने के लिए उत्तरदाई थे उन्होंने कुछ तो प्रतिशोध की भावना के कारण और कुछ गलत धारणाओं से ऐसे कुकृत्य किए जिसके संबंध में अगर ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय तो यह पता लगेगा कि जो कुछ हिंसात्मक कार्य किए गए उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। आज पुलिस गौरव के साथ जवाब देती है कि जनसंघियों ने पत्थर फेंके, जनसंघ वालों ने हिंसात्मक कार्य किए। मैं समझता हूं कि यह सब नितान्त मिथ्या है, झूठ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी सत्याग्रही आए वह भी खाली हाथ थे, तिनका तक नहीं था उनके पास और जो भीड़ नारे लगाते हुए आ रही थी वह भी बिल्कुल निरस्त्र थी। कोई भी डण्डा, लाठी या पत्थर, कुछ भी उनके पास नहीं था। वह तो वैसे भी उत्साह में, जोश में, वहां पर आए थे। एक मूक प्रदर्शन करना ही उनका उद्देश्य था। सत्याग्रहियों को केवल गिरफ्तार होकर जेल जाना था। प्रदर्शन भी केवल दो, तीन दिन का था, लम्बा प्रदर्शन नहीं था। वह तो केवल अपने भावों का प्रदर्शन करना चाहते थे। जो कुछ सरकार की गलत नीतियां हैं, प्रत्येक वर्ग को जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनकी तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए, सरकार की आंख खोलने के लिये और सरकार का मार्गप्रदर्शन करने के उद्देश्य से बिलकुल मूक प्रदर्शन कर रहे थे। उन मूक प्रदर्शनकारियों के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना अपने भाषण की और विचारों की स्वतन्त्रता है, उसको

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

छीनना है। राज्य कर्मचारियों का इस प्रकार का जो व्यवहार उनके साथ रहा और बाद में जनता के साथ हुआ वह लज्जापूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं उस कारण को आज सदन के समक्ष रख देना उचित समझता हूं। जैसा कि जनसंघ के माननीय नेता श्री भैरोंसिहजी ने बतलाया है, टोंक जिले से १६६२ के चुनाव में कांग्रेस सभी सीटों पर हार गई थी। पार्लियामेंट में भी हारी और विधान सभा की सभी सीटों पर हारी और हारी भी इस बुरी तरह से कि उनके चौथाई के करीब वोट आए जो जीते उनके मुकाबले में। अगर उनको २०,००० वोट मिले तो इनको पांच, छः हजार वोट आए। उसका कारण यह था कि जो राज्य का शासन कर रहे थे उन्होंने एक आतंक का वातावरण जिले भर में फैला रखा था। जो व्यक्ति उनके पास आता था ऊपर से खुशामद करता था लेकिन अन्दर से दुखी था। यहां तक कि कांग्रेस संस्था के सदस्य भी, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस संस्था के अन्दर आज भी ऐसे हजारों सदस्य हैं जो इस हुकूमत की इन चालबाजियों से इन शरारतों के खिलाफ में हैं और कांग्रेस में ही आज भी बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस कांग्रेस और इस शासन के षड़यन्त्रों के खिलाफ हैं। आजकल क्या हो रहा है? जैसा ६२ में हुआ कि जब हार गए और हारे भी अपने कारनामों से ही, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी इच्छा पर ये सरकारी अधिकारी रहें। ये तहसीलदार और थानेदार और अन्य अधिकारी उनकी तरफ से उनका प्रचार करने के लिए रखे गए और उन पर विश्वास करके ये चुनाव लड़ते थे। परिणाम यह हुआ कि जनता सामने तो तहसीलदार और थानेदार को कहती रही कि हम कांग्रेस के साथ हैं लेकिन वोट देते समय वे उनके पाबन्द नहीं थे और इसीलिए वह हारे, बुरी तरह से हारे। इसके बाद क्या नतीजा निकला। जब ६२ में चुनाव में हार गए तो उसके बाद एक गुप्त मन्त्रणा हुई। वह गुप्त मन्त्रणा मार्च के महीने में, सैकण्ड वीक ऑफ मार्च में, दामोदरजी के बंगले के निकट किसी स्थान पर हुई, जिसमें अन्य मन्त्री भी उपस्थित थे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हार गए तो क्या हुआ, शासन तो अपने हाथ में ही है। जिले की राजनीति आपके हाथ में और वहां का प्रशासन आपकी इजाजत से चलेगा। उसके बाद लगातार इस प्रकार का तारतम्य बैठा कि जो कोई अधिकारी वहां पर जाता वह पहले इनकी इजाजत लेकर जाता, इनका हाथ अपने माथे पर धरवा कर जाता कि हुकुम, मैं तो आपका ही नौकर हूं, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं तो आपके ही हुकुम की तामील करूंगा। जिले में जो भी अपोइण्टमेंट होते थे वह पहले दामोदरलालजी को सलाम करके फिर जिले में जाते थे। यह किस प्रकार का प्रजातन्त्र है, किस प्रकार का निष्पक्ष शासन है? इसका परिणाम क्या निकलता है कि टोंक में ऐसे कार्यकर्ताओं का गिरोह बना हुआ है कि जो इस शासन के नाम से लूटता है।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

रोज किसी न किसी दफ्तर में पहुंच जाते हैं और नाजायज काम कराते हैं। आज भी कई सरकारी अधिकारी गैलेरीज में बैठे हुए हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिनमें उन्होंने बेगुनाहों के साथ केवल दामोदरलालजी के दबाव में आकर इन व्यक्तियों ने गलत काम किए और अच्छे अच्छे इज्जतदार आदमियों के साथ बुरा बर्ताव किया और उनके खिलाफ मुकदमें दायर किये हैं। एक हजार से अधिक आदमियों को गिरफ्तार किया गया हैं और पुलिस ने दो हजार से अधिक व्यक्तियों को १०७ में पाबन्द करवाया है और तीन लाख रुपयों की जमानत उनसे ली गई है। इलेक्शन का नोटिस निकलने के बाद, नोमीनेशन पेपर्स दाखिल होने के बाद अपनी कान्स्टीटुएन्सी में तीन लाख से ज्यादा रुपयों की जमानत स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं से ली और परिणाम क्या निकला कि हारे। वे यह समझते थे कि इससे हम उनको दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कार्यक्रम बदस्तूर अब तक चलता है।

इसका परिणाम क्या है कि आज वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं वे चीफ सेक्रेटरी का कहना नहीं मानेंगे, वह कहना मानेंगे श्री दामोदरलाल व्यास का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उनको डर है कि वे किसी को भी सस्पेंड करवा सकते हैं, किसी का ट्रांसफर करवा सकते हैं, किसी को पनिश करवा सकते हैं, क्योंकि यह हमारी राज्य सरकार की कमजोरी है, हमारे प्रजातन्त्र की कमजोरी है, सदन की कमजोरी है। सदन की कमजोरी इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि यह प्रश्न कई बार इस सदन के सामने रखा गया है। मैं मिसाल के तौर पर एक बात बताऊं, जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने एक उदाहरण दिया कि वहां पर एस. डी. ओ. ६ साल से है, यह बात बिलकुल सही है, और वह ६ साल से केवल एस. डी. ओ. ही नहीं; बल्कि वे नियमित रूप से हमारे मन्त्रीजी, पंचायत मन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास के राजनैतिक एजेण्ट हैं। रोजाना वहां की जितनी भी सूचनाएं हैं वे टेलीफोन पर मन्त्री महोदय को देते हैं और ये उनको इन्स्ट्रेक्शन्स देते हैं। उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं वे भी उनसे डरते हैं क्योंकि वे इनके खास मर्जीदान हैं। इससे ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं हो सकती है कि ७ जुलाई, सन् ६६, सारी, ७ जुलाई, सन ६४ को इन एस. डी. ओ. साहब का ट्रांसफर हो गया राजस्थान रोडवेज में। इनका चार्ज ले लिया श्री कान्तिलाल जैन ने जो कि उस वक्त असिस्टेण्ट कलेक्टर थे। सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। उनके बिस्तर बन्ध गये थे। बिस्तर बन्ध कर ट्रक में डाल दिये गये। उनके बिस्तर रवाना हो गये और वे खुद भी रवाना हो गये····

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी सदस्य सब कूच कर गये केवल मन्त्री ही बैठे हैं।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : आजकल उन्होंने इनका बॉयकाट कर रखा है मन्त्री महोदयों का। क्यों; यह तो वे जानें। खैर, तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था········

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों के अलावा सिर्फ एक सदस्य की हाजरी इस बात का प्रतीक है कि वे राज्य सरकार की हरकतों से परेशान हैं ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लें कि सरकारी बैन्चों पर मन्त्रियों की संख्या ज्यादा है और सदस्यों की संख्या कम है, और इस महीने के आखीर तक सारे मन्त्री होंगे और सदस्य कोई नहीं होगा ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो संख्या ६ महीने बाद होने वाली है वह आज भी है ।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : कांग्रेस दल वालों को छोटी-मोटी बातों से कोई मतलब नहीं है । उनको येनकेन प्रकारेण शासन की बागडोर हाथ में रखने से मतलब है । वे क्यों यहां पर ठहरेंगे ? लेकिन हम तो सदन के अन्दर रह कर हमारी बात को बराबर कहेंगे और अवश्य कहेंगे चाहे वे हों या न हों। मेरी तरफ से, महोदय, वे जायें जहन्नुम में ।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ७ जुलाई, सन् ६४ को श्री गणपतराम शर्मा, एस. डी. ओ. टोंक ने अपना कार्यभार श्री कान्तिलाल जैन को सम्हला दिया । चार्ज-लिस्ट तैयार हो गई । दस्तखत कर दिये । वे वहां से रवाना हो गये और करीब एक मील आये होंगे कि उस समय के एक प्राइवेट व्यक्ति का जो उस समय मन्त्री नहीं थे टेलीफोन पहुंचा और वह प्राइवेट टेलीफोन वहां के कलेक्टर के पास पहुंचा कि उनको रोक लिया जाय । चुनांचे वे मोटर लेकर भागे और जाकर वापिस लाये ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य रह गये वह भी सदन छोड़ रहे हैं ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इनको चाहे मुख्य मन्त्रीजी ने मन्त्री नहीं बनाया लेकिन सदन की तरफ से इनको भी मन्त्री बना दिया जाय ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : कांग्रेस में मन्त्री ही मन्त्री रह जायेंगे बाकी किसी का उससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, तो उनको वापिस बुला कर लाये और बिना चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी किये हीं वे लगातार एक महीने तक कार्य करते रहे । उन्होंने कहा कि दामोदरलालजी का हुक्म आ गया है इसलिए एस. डी. ओ. हूं । और आगे क्या घटना घटी कि उसी एक महीने के दौरान में श्री बरकतुल्लाखां साहब तशरीफ ले गये और उस वक्त असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के यहां जब टी-पार्टी के लिए गए हुए थे, मुझे भी बुलाया गया था तो वहां पर वैसे ही चर्चा चल गई मजाक में तो उन्होंने कह दिया कि बिना चार्ज लिये ही काम कर रहे हैं तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा । उस दिन क्या दिमाग में आया कि तुरन्त ही चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी की एक महीने के बाद में ८ अगस्त को ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीं । उसके बाद में जब यह मालूम पड़ा कि एक महीने का टाइम

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कैसे जायगा तो फिर उन कागजात को बदला गया और फर्जी ७ जुलाई को वापिस चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई ।

अब मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि पहले जो चार्ज देने-लेने के कागजात थे उनको गायब कैसे कर दिया जिनकी एण्ट्रीज रजिस्टर में मौजूद हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : विषयान्तर नहीं करें ।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : मैं इस घटना का संबंध इससे बताते हुए अर्ज करूंगा कि किस तरह से हस्तक्षेप होता है । कानून और जनतन्त्र का गला घोट कर शासन चलाने की प्रवृत्ति चल रही है जिसका हम विरोध करते हैं और विरोध करेंगे । अभी तो हम सक्रिय विरोध नहीं कर रहे हैं मूक विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि किसी समय सक्रिय विरोध करेंगे ।

७ जुलाई को चार्ज दिलवाया तो कौन से ऑर्डर से दिलवाया ? वह लिखित में आर्डर था या मौखिक ऑर्डर था ? वह ऑर्डर आज तक नहीं है । इस तरह से फोर्जरी की गई । जिले का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी इस तरह की फॉर्जरी कर सकता है तो क्या विश्वास किया जा सकता है कि जनतन्त्र इनके हाथ में सुरक्षित रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां अक्सर ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हो जाते हैं । अगर कोई आकर माफी मांग लेता है और विश्वास दिलाता है कि मैं आपके साथ हूं और आपके हुक्म का पालन करूंगा तो ट्रांसफर रुक जाता है । टोंक जिले के अनेकों अधिकारी हैं जिनके ट्रान्सफर्स हो गये । ट्रान्सफर ऑर्डर्स होने के बाद चार्ज लिये और दूसरा आदमी वहां पर पहुंच गया तो पहुंचने के बाद वे चार्ज नहीं देते हैं, और उनके जो गुर्गे हैं १०-२० आदमी उनको साथ में लेकर यहां पहुंचा । कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है मगर जबानी बात हो जाती है कि मैं आपके साथ में हूं और न्याय-अन्याय करवाओ तो भी आपके साथ हूं । ऐसे आदमियों की यदि आप लिस्ट चाहें तो मैं कम से कम ऐसे १० आदमियों की दे सकता हूं ।

आगे लीजिये । वहां के जो तहसीलदार हैं वे उसी जिले के रहने वाले हैं । यह कानून है कि जिस जिले का कर्मचारी है वह उस जिले में नहीं रह सकता है । बड़े दुख की बात है कि वहां के तहसीलदार चन्दरसिंह शर्मा डिग्गी के रहने वाले हैं । जब ये चैयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तो वे वहां पर सेक्रेट्री थे । उनका एपोइण्टमेंट ही मन्त्रीजी ने करवाया । टोडारायसिंह से पहले वे देवली में थे और देवली से पहले निवाई में थे । निवाई से पहले मालपुरा में थे । जिले का एक सर्किल होता है तो वे हरएक तहसील को सम्भालते रहते थे और उनकी तरफ से काम करते रहते थे ।

उनके कजिन हैं चन्द्रविहारीजी । वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्लॉर्क थे । उनको निवाई में तहसीलदार बना रखा है । वहां पर आम कहावत है कि उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि केस की मिसल को डिस्पोज ऑफ कर सकें । इसलिए उनके अधिकारी कलेक्टर ने नाराज होकर नायब तहसीलदार को आदेश दिया कि ये न करें तो

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
आप जाकर हजारों मिसलें वहां पर इकट्ठी हो रही हैं उनको फैसल करो।

इस तरह से वहां के कुछ तहसीलदारों का ट्रान्सफर कर दिया गया वे कुछ अर्सा रहे और रहने के बाद में वहां से हटा दिये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (गृह मन्त्री): (अश्रव्य)।

श्री मानसिंह महार (आमेर): (गृह मन्त्री के कुछ बोलने पर) अभी तक तो बहुत कुछ आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, शांतिपूर्वक भाषण हो रहा है उसको ये डिस्टर्ब क्यों करते हैं? आप बैठ जाइये। यह नहीं हो सकता कि बीच-बीच में इस तरह से डिस्टर्ब किया जाय। ये शांतिपूर्वक भाषण दे रहे हैं और ये बीच में बोलते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: मैं आसन की ओर से आपको निवेदन करूंगा कि आप मेरे बोलने के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। वैसे आप चाहें जो कुछ भी न्याय-अन्याय कुछ भी करते रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आज मन्त्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, बर्फ बेचने वाले की मुद्रा में कैसे आये हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: (अश्रव्य)।

श्री राधाकृष्ण गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जब आप मरेंगे तो मैं आगे आगे चलूंगा। मेरे पर क्या होंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: आप देखेंगे...

श्री राधाकृष्ण गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में जो प्रशासनिक वातावरण आज बना रखा है वह वातावरण जन-हित और प्रशासन के हित में नहीं है बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष के लिए है और केवल उन्हीं के हित के लिए है। जनतन्त्र का सिद्धान्त और डेफिनेशन यह रह गई है कि जनतंत्र जनता के हित के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं और जनता के द्वारा नहीं, मगर एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, एक विशेष व्यक्ति के लिए और एक विशेष व्यक्ति की भावना को क्रियान्वित करने के लिये है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करता हूं। मुझे पता नहीं था कि उनकी माताजी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। इन्होंने अभी बताया इसलिए मैं उनसे क्षमा मागूंगा अपने मजाक की।

(२.०० म.प.)

श्री राधाकृष्ण गोयल: मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का वातावरण वहां पर बना रहा तो उसका रियेक्शन अवश्यंभावी है। वे यह सोचते होंगे कि विरोधी मर गये हैं। यह सोचना गलत है। यह सही है कि गये चार वर्षों में हमने जरा भी पोलीटिकल एक्टीविटीज वहां पर नहीं कीं। इसलिये चुप रहे कि सरकारी प्रशासन वर्ग है, उनकी संयुक्त शक्ति से हमें टकराने की जरूरत नहीं है।

Page No. 62

एक माननीय सदस्य : (श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) को लॉबीज की तरफ जाते देख कर) आप भी छोड़ कर चले गये इन लावारिस मंत्रियों को।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आज भी हम यह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हरकतें वहां पर की जा रही हैं, उनसे जनता आम तौर पर क्षुब्ध है। कांग्रेस के भी आधे से ज्यादा व्यक्ति क्षुब्ध हैं। वे इस चीज को पसन्द नहीं करते कि कांग्रेस जैसे एसोसियेशन के मेम्बर्स सभी कहते हैं कि शक्ति व्यक्ति विशेष के हाथ में है.

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव पर ही सीमित रहें.

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो घटनायें वहां पर हुई हैं, जैसा कि भैरोंसिंहजी ने बताया, में नहीं हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : Please ! hear me.

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं वैधानिक तरीके से चुनाव में खड़ा हुआ था, मैं जनता के वोटों से आया हूं। मैं क्यों खड़ा हुआ ? जो वहां की मूल बातें हैं उनका कारण दामोदरजी व्यास हैं। वे प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। हरएक अफसर उनके घर का गुलाम हो, ऐसा है। यदि कोई उनके कहने के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको वे ट्रांसफर करने की धमकी देते हैं। हम चाहते हैं कि टोंक जिले में प्रजातन्त्र कायम रहे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वातावरण टोंक जिले में अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। दामोदर जी हर दूसरे तीसरे दिन वहां आकर वहां के डाक बंगलों में ठहरते हैं। वहां के अधिकारी और कांग्रेसी एक साथ बैठकर चिन्तन करते हैं मनन करते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दामोदर जी हर दूसरे, तीसरे दिन जाते हैं तो वहां पर अफसरों की क्या जरूरत है। जिला मजिस्ट्रेट दिन भर उनकी हाजिरी में रहता है। एस. डी. ओ. चपरासी की तरह बैठा रहता है। एस. पी. उनकी चिलम भरता रहता है। उसी तरह से डी. वाई. एस. पी. गूजरों का संगठन करता है। आज गूजरों को कांग्रेस शासन के साथ लगाने के लिये पुलिस अधिकारी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि मैं इसको साबित कर सकता हूं.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या दामोदरजी चिलम पीते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा यह एलीगेशन है कि जिला पुलिस अधिकारी गूजर और जाटों का संगठन करने में सक्रिय हैं। उन्होंने जगह २ पर मीटिंग की हैं उनकी सूचना यदि होम मिनिस्टर साहब चाहें तो मैं उनको तारीख दे सकता हूं और गूजरों का स्टेटमेन्ट करा सकता हूं. जो वहां पर मीटिंगों में मौजूद थे.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सूचना है उनके पास।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यदि सूचना है उनके पास तो इसका मतलब यह है कि वे सोचते होंगे कि साले साहब के हित में है इसलिये खामोश रहो। १४ तारीख और १२ तारीख को जो घटना घटी वे स्वयं में घटनायें नहीं थीं बल्कि तारतम्य या लगातार उन परिस्थितियों का जो टोंक जिले में क्रियेट की जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार की यह भावना

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
है कि जनतंत्र में जिसके हाथ में सत्ता आ गई है उस सत्ता का वह अधिक से अधिक दुरुपयोग कर सकता है, उस पर कोई चैक नहीं है, प्रेहार नहीं है तो ठीक है आप अपना काम करते रहिये जो रिप्रेक्शन हमारे मन में आयेगा हम भी करेंगे ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि जब एक घटना थी ट्रांसफर को रोकने की तो मैंने मुख्य मंत्री जी को चैम्बर में कहा । श्री जयनारायणजी और श्री दिग्विजयसिंह जी साथ में थे । मुख्य मंत्री जी ने अफसोस जाहिर किया और कहा कि एक महिने के अन्दर में उसको टोंक में नहीं रहने दूंगा । आप मुख्य मंत्रीजी से वैरिफाई कर सकते हैं । उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि मुझे गलत सूचना दी गई है, यह नहीं बताया कि चार्ज दे दिया है । ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोंक के बारे में · · ·

श्री उपाध्यक्ष : टोंक जिले के बारे में आपने काफी निवेदन कर दिया है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मुझे इस बात का बड़ा दुखः है कि सारे राजस्थान में पीसफुल डिमोंन्स्ट्रेशन हुए लेकिन मेरे जिले में पुलिस वालों ने फ़िजूल में झगड़ा करवाया (हीयर, हीयर)

मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में झगड़ा हुआ वह पुलिस के अधिकारियों के कारण हुआ पुलिस अधिकारी भी क्या करें, उनके मंत्री महोदय के साले साहब हैं दामोदरजी, वे मंत्री होकर अपनी योजनाओं के अनुसार कारनामे और गलत कार्य करावें तो मुझे अफसोस होता है, उसके लिये अफसोस जाहिर करना पड़ता है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि वहां पर अधिकारियों का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : सम्भवतः इस विषय पर और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, और भी काफी कार्य हमारे सामने हैं

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह मेरे क्षेत्र की घटना है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Please ! hear me. केवल सुनने की कृपा करें । इस विषय में स्टेटमेन्ट दिया जा चुका है । बात की गंभीरता को देखते हुए आपने सब कुछ कहा इसका मतलब यह नहीं है कि आप लम्बा-चौड़ा भाषण देते जावें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : विषय ऐसा ही है ।

श्री उपाध्यक्ष: और भी स्टेटमेंन्ट हैं, दूसरा काम है, इसका भी ध्यान रखें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हमारी जो भावनाएं हैं उनको बहुमत ने सुनने की इच्छा नहीं की तब इसका यह परिणाम हुआ . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप कह लें लेकिन समय की पाबन्दी रखें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरकार ने विधेयक वापिस ले लिये हैं एक दो विधेयक रहेंगे इसलिये समय की कमी नहीं है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में एक प्रकार का डिवीजन, डिमार्केशन अधिकारियों के बीच में करने का प्रयत्न किया जा रहा है एक तो लायल्स और दूसरा नॉन-लॉयल्स । जो लोग इण्डिपेन्डेन्ट व्यू के

Page No. 64

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं उनको बुरी निगाह से देखा जाता है और जो इनके वफादार हैं उनको इस क्षेत्र में रखते हैं। क्या कारण है कि टोंक जिले में वही अधिकारी हैं जो ३-४ साल पहले वहां पर रह चुके हैं? घूम-फिर कर वहां पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि डिप्टी एस. पी. मालपुरा जिन्होंने जनरल इलेक्शन के समय में जो कुछ हरकतें कीं, लोगों को जेल में डाला, डंडे मारे, वही आज भी वहां पर मौजूद हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि यह स्टेटमेंट जिस विषय पर हुआ उसी विषय पर रहें। और भी कई मौके आवेंगे बोलने के। I will request the Hon'ble Member not to monopolize the time of the House.

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक-दो हो तो कहूं कोई बात नहीं सारा थाना ही ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारा समय आप ही ले लें, यह उचित नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वहां पर एक पुलिस अधिकारी आया था जो अपने ढंग से काम करता था। कुछ लोग उससे नाजायज काम कराना चाहते थे पर उसने नहीं किया इसलिये उन पर गंभीर मुकदमा लगाया और कई लोगों ने कहा कि हमारा कहना मानो नहीं तो भुगतो। जो अधिकारी आपके कहने के अनुसार काम नहीं करे तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाते हो। आप इस तरह से शासन चलाओगे। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको समझाओ वे अपनी इन बातों से बाज आवें। वह जमाना अब गया। नादिरशाही, औरंगजेबशाही का जमाना गया, डायर और ओडार का जमाना गया, जब लोगों पर गोलियां चलवाईं, लोगों को जिन्दा मरवाया—जैसी एक घटना पहले हुई थी जिन्दा मरवाया। जिन्दगी भर जागीरदारों की गुलामी की, जिन्दा आदमियों को जलवाया। वे अभी पुरानी आदतों से बाज नहीं आये . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करता हूं . . .

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर डंडे चलवाये और जब उनको पता लग गया कि उनके बहनोईजी ने होम मिनिस्टर साहब का चार्ज ले लिया है तो वह ज्यादा फूल गये . . .

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का।

श्री राधाकृष्ण गोयल : लेकिन हमारा भी अधिकार है कि हम टोंक में रहें। हमारा भी अधिकार है कि हम इज्जत के साथ रहें हमारा भी अधिकार है कि हम कानून का पालन करवायें। लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं, रोजाना हम देखते हैं और हमारे देखते देखते बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जाता है, बेगुनाहों के ऊपर लाठी-चार्ज कराया जाता है, बेगुनाह लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, और उलटे हम पर ही यह इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने क्रांति की है, इन्होंने देश के साथ में गद्दारी की है, इन्होंने देश के साथ में देशद्रोह किया है। आखिर में इन तरीकों का कोई अन्त तो होगा, इनकी कोई हद तो होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि १४ तारीख को जो कुछ भी घटना घटी, उस घटना के संबंध में उनका यह उत्तर देना कि उन लोगों ने पत्थर फेंके पुलिस के लोगों के ऊपर—यह सरासर झूठ है, मिथ्या है। मैं स्वयं वहां मौजूद था, मंत्री महोदय वहां मौजूद नहीं थे और निवाई के माननीय

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

सदस्य श्री जयनारायणजी भी वहां मौजूद थे। इस विधान सभा के दो सदस्य वहां मौजूद थे, और भी वहां के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन सबने वहां इस घटना को देखा है जो भी वहां मौजूद थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आप, उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि इसके तथ्य, इसके निष्कर्ष सामने आवें तो मैं मांग करता हूं कि होम मिनिस्टर को इसके लिए जुडिशियल इन्क्वायरी की बात को मंजूर कर लेना चाहिये। उसके बाद में फिर यह पता लग जाएगा कि आखिर में यह जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी वहां पर प्रजातंत्र के नाम पर किया गया जो कुछ भी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस विषय (श्री राधाकृष्ण गोयल के न बैठने पर) आॅर्डर प्लीज ! आप इस विषय पर इतना बोल रहे हैं जबकि और मिनिस्टरों के स्टेटमेन्ट होने को हैं और बिल भी हैं। मैं आपको विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप कुछ व्यवस्था रखें और सदन का सारा समय आप न लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं संक्षेप में, पांच मिनट में, समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी इस विषय पर कह चुके हैं। आपको जो कुछ कहना था वह आप कह चुके हैं।

श्री जयनारायण खालोडिया : मुझे भी इस पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंत्री महोदय के पास तो हीयर—से के ऊपर रिपोर्ट आ गई है लेकिन हम वहां पर मौजूद थे ...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी प्रार्थना है ...

श्री राधाकृष्ण गोयल : और कोई गलत रिपोर्ट आ जाय तो उस पर लोगों का सस्पेंशन हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी प्रार्थना है कि केवल इसके लिए ही आज का दिन नियत नहीं हुआ है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ...

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो कुछ भी घटना १४ तारीख को घटी है, मैं उस पर पुनः प्रकाश न डालते हुए यह निवेदन करूंगा कि यह घटना स्वयं में कोई विशेष घटना नहीं है। उस दिन पुलिस ने जो कुछ जोश में या गलती से कर दिया, वह कर दिया और वह हमारे लिए दुःख की बात है। लेकिन वहां तो रोजाना, दिन-प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर घटती रहती हैं। लेकिन यह क्योंकि एक सुव्यवस्थित और संगठित पार्टी के विरुद्ध किया गया है इसलिए यहां तक इतनी आवाज आ गई है वरना....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल : बेगुनाह लोगों के खिलाफ और बाइज्जत लोगों के खिलाफ रोजाना इस प्रकार की घटनाएं होती हैं टोंक जिले में और उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लेकिन हम यह सोच कर चुप रह जाते हैं कि ऊंट के सामने मृदंग बजाने से क्या लाभ है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक आदमी का हुक्म चलता है और उसके अलावा वहां पर कोई कानून कायदा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ घटना १४ तारीख को घटी है उसके कारणों के संबंध में जांच की जाय, आखिर इसका कारण क्या है, इसका तारतम्य कहां बैठता है और इसका ताना बाना कैसे बुना है . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई जाय और जो इन्क्वायरी के परिणाम आयें उनके ऊपर विचार किया जाय । इस पर भी विचार किया जाय कि आखिर यह जनतंत्र कैसे चलेगा । क्या आप जनतन्त्र के बजाय विद्रोह चाहते हैं ? क्या आप यह चाहते हैं कि जनतंत्र वन साइडेड जनतंत्र के नाम से ही चलता रहे ? क्योंकि आप बहुमत में हैं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं इसलिए चाहे जो न्याय-अन्याय करने का क्या आपको अधिकार है ? सारा शासक वर्ग जो है वह जन प्रतिनिधि नहीं है और केवल राज का सेवक है — यह धारणा मंत्रियों को और मंत्रियों की चापलूसी में लगे हुए लोगों को अपने दिमाग में से निकालनी पड़ेगी और इस धारणा को आप लोगों के दिमाग में से निकालने के लिए यदि कोई बड़े से बड़ा बलिदान भी करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए तैयार रहना है । मैं १४ तारीख को हुई घटना को पुनः न दोहराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप स्वयं में कोई साधारण घटना न समझें, इसकी गंभीरता को अनुभव करते हुए इसके संबंध में सदन के माननीय सदस्यों को, मंत्रियों को और मुख्य मंत्री को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बोलना तो और भी चाहता था लेकिन आपका आदेश शिरोधार्य करते हुए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वहां के वातावरण को आप ठीक करायें । मैं आसन को एक बार से अधिक बार निवेदन कर चुका हूं, चैम्बर में निवेदन कर चुका हूं कि टोंक जिले की स्थिति ऐसी है कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत जनता में नहीं है । अन्त में . . .

श्री उपाध्यक्ष : कई बार आपने अन्त में कहा है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर जनतंत्र को जिन्दा रखना है तो मैं समझता हूं कि केवल सदन में भाषण देने से काम नहीं चलेगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया . . .

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं बैठ ही रहा हूं । मेरा निवेदन है कि यह बात ऐसी है जो अत्यन्त गंभीर है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आया है उसके बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं इतना ही . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि आज केवल एक ही स्टेटमेन्ट के ऊपर इतने सारे घंटे ले लिए गए हैं । अब यह सदन के विचारने की बात है कि आज का जो बिजनेस है, उसको विधिवत् करना है या केवल यही करना है, या कोई और भी काम हो । हमारे सामने कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित समय और दिन है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि फुल डे डिबेट हो । मैं लम्बे चौड़े कारणों में नहीं जाना चाहता

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

लेकिन विरोधी पक्ष की भावना को भी आपको मान देना चाहिए। जो मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बात कही हैं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं तो टोंक में नहीं था किन्तु मैंने जो बातें सुनीं उन बातों की आज तुलना, देश में जो बातें हो रही हैं, उनके साथ भी हमको गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए। भला यह क्यों होता है आये दिन? अभी माननीय सदस्य जो टोंक से आये हैं, ने कहा वहां लार्ड मैकाले और डायर का उदाहरण दिया। मेरे ख्याल से आज कांग्रेस का काला शासन मैकाले और डायर से भी आगे बढ़ गया है। आज आये दिन शूटिंग। आये दिन लाठी-चार्ज। आये दिन अनियन्त्रित वातावरण! हम किधर जा रहे हैं—कुछ समझ में नहीं आता। और भावनात्मक एकता किधर जा रही है! हम भाषावाद में घुस रहे हैं, प्रान्तीयवाद में घुस रहे हैं। अभी कल-परसों, आये दिन, मद्रास और मैसूर की कसमकस से मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो दो सौ वर्ष पहले का उदयपुर के महाराणा और जयपुर के महाराजा के बीच में कोई सीमा का विवाद उत्पन्न हो गया हो। क्या यह एक देश है? यह सब क्या मखौल है? मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हो, मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता लेकिन यह आज शासनारूढ़ दल के विचार करने की बात है कि जो कुछ समस्यायें देश के सामने उत्पन्न हो रही हैं उसका दायित्व किस पर है? मैं तो समझता हूं इसका पूर्णतया उत्तरदायित्व आज के कांग्रेस के शासनारूढ़ दल के ऊपर है उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने क्या क्या वायदे किये थे? आज देश के अन्दर तंगायद व जंगायद का हिसाब हो रहा है। लोग दानेदाने के लिये तबाह और तंग हो रहे हैं। जो सरकार अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकती, जो सरकार पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती—उस सरकार को शासन करने का क्या अधिकार है? आज हमारे यहां अनियंत्रण और भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है मैं समझता हूं कि एक दिन इस सरकार के, इस कांग्रेस के शासन के इतिहास को काला इतिहास मान कर चलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जनसंघी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जो अहिंसा के अन्दर विश्वास करती है, जो जनतंत्र के अन्दर विश्वास करती है, जो विधान की अक्षुण्णता के अन्दर विश्वास करती है और एक हद तक जनसंघ के सिद्धांत स्वतन्त्र पार्टी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं।

माननीय जनसंघ के नेता श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने मुझे बताया वे मेरे बंगले पर आये थे शाम को, उन्होंने कहा कि जनसंघ की मांगें ये ये हैं। उसमें से जो खास खास बातें हैं मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल को और मन्त्रीजी को भी पूरी तरह से पता है और वे मांगें सर्वदा उचित हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति इन मांगों को बुरा नहीं कहेगा और बुरा नहीं मानेगा लेकिन खेद तो यह है कि इस पर भी सरकार कुछ नहीं करती। सरकार बराबर आश्वासन दे रही है कि आवश्यक वस्तुओं के भावों पर काबू करेंगे लेकिन वे वह भी नहीं कर पावेंगे। क्योंकि हमने हमारे अवमूल्यन के द्वारा हमारे देश की साख को समाप्त कर दिया है। हमारे पास ८००० करोड़ का स्टर्लिंग डिपोजिट था। आज हमारे यहां पर विदेशी मुद्रा की यह हालत हो गई है कि हमारे पर आज ६ हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। अन्न की स्थिति यह है कि खाने को लोगों को अनाज

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं मिलता। आज अमेरिका हमारा अन्नदाता बन गया है। अगर वह हमें अन्न देता है तो खाते हैं। वह हमको टुकड़ा देता है, उस पर हम निर्भर करते हैं। आज गेहूं, चना, बेसन नहीं मिलते और चावलों के लिये तो मैं क्या कहूं मोती दाने से भी उनका मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे शासन से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह समाजवाद है? मैं यह कहूंगा कि जो कुछ टोंक में हुआ है उसका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर है, उसमें मुझे जरा भी पशोपेश नहीं है।

अब मैं यह देखता हूं कि सरकार अपने निश्चयात्मक निर्णयों को गतिशील होकर मिनटों में बदल देती है। क्या सरकार इस तरह से कर सकती है? जो कुछ भी राजनैतिक समस्या को लेकर माननीय सदस्य जो टोंक से आये हैं उसको मैंने भी सुना और मंत्री महोदय भी जो मेरे सामने बैठे हैं उन्होंने भी सुना है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री महोदय का स्वयं का हाथ है, लेकिन उनको भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और यह संभव नहीं हो सकता कि उनके कर्मचारी करें और उनको पता नहीं हो। हो सकता है कि उनके कर्मचारी उनको खुश करने के लिये बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनका उनको पता नहीं हो और वे फिर कह दें ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मुझे अनुभव है कि आज ले दे कर कांग्रेस क्या फार्मूला अपना रही है। कांग्रेस प्लस कर्मचारी। आज कांग्रेस और कर्मचारी एक हैं तो मेरे ख्याल से जनतंत्र जैसी कोई वस्तु . . .

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): ऊंचे कर्मचारी और कांग्रेस एक हैं। छोटे कर्मचारी नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मोटे कर्मचारी और कांग्रेस एक हैं। लेकिन छोटे बेचारे कर्मचारी हैं वे भी उनसे प्रभावित होकर डरते हैं और दबते हैं। क्या देखते हैं कि आज हमारे देश में जनतंत्र की परम्परा बिलकुल नष्ट हो रही है और एक बिलकुल काला अधिनायकवाद उत्पन्न हो रहा है। भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैं यह कहूंगा कि काला अधिनायकवाद नहीं रहेगा, यह रंग लाये बगैर नहीं रहेगा। यह जनतंत्र की नीति के विपरीत वातावरण पैदा कर रहे हैं उसकी मैं निन्दा करता हूं। उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। "जब तंग आयत तो जंग आयत" मैं जनसंघ के नेता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं, हमारी उनके साथ सहानुभूति है। टोंक के मामले में जो कदम उठायेंगे स्वतन्त्र पार्टी उनका साथ देगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनतंत्र की परम्पराओं को मानता हूं।

(हियर हियर)

किन्तु उसके साथ साथ स्वाभिमान है। मेरी रीढ़ की हड्डी नहीं झुक सकती है। मेरी रीढ़ की हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जावे तो, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूगा। मैं उस सिद्धांत को मानता हूं, उस परम्परा को मानता हूं जिसके कारण प्रवीणचन्द्र भंजदेव खत्म हो गये और जिसके कारण महाराजा हनुवन्तसिंह हवाई जहाज में टाइम बोम्ब के द्वारा खत्मकर दिये गये। हमारा आज पुनीत कर्तव्य है कि जनतंत्र को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु सत्तारूढ़ दल इसको नहीं चाहता तो हम भी उसकी चुनौती लेकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझे इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन जो कुछ भी मालपुरा के संबंध में और टोंक के संबंध

Page No. 69

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में कहा गया है, में यह समझता हूं कि वहां टोंक और मालपुरा में जनसंघ नहीं है। वहां पर एक अधिनायकवादी प्रतिक्रिया है और उसके द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता है। एक अत्याचारी शासन है। कर्मचारियों के द्वारा हर तरह से जनसंघ की परम्परा जो एक स्वस्थ्य परम्परा है उसकी अवहेलना की जाती है और इस संबंध में यदि जनसंघ के द्वारा और माननीय सदस्य, जो हमारे साथी टोंक से आये हैं, उनके द्वारा जूडिशियल इन्क्वायरी की मांग की जावे तो वह अनुचित नहीं है। में समझता हूं कि हमारी तरफ से उचित और न्यायोचित मांग सदन में विरोधी दल के द्वारा रखी जावे उसको उदारता से मान्यता दी जावे। अगर वे उसको मान्यता नहीं देंगे तो वे में समझता हूं कि जनसंघ को ठुकराते हैं।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गृह मंत्री का यह बयान है। अगर यह बयान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता जो सफेद टोपी नहीं पहनता और हैट लगाता और उसका चेहरा ब्राउन नहीं होकर व्हाइट होता तो में उनके इस प्रकार के भाषण का स्वागत करता। लेकिन उनसे ऐसी बातें कही जावें तो सिवाय खुदा के और क्या ...

(अश्रव्य)

में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि जो भी इसके बारे में मांग है और जिस तरह से मारा मारी की गई और असलियत को दबाया जा रहा है, इस बारे में बराबर जूडिशियल जांच होनी चाहिये और यह विरोधी पक्ष की तरफ से हमारी एक साथ मांग है।

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : में यह निवेदन करूंगा कि इस पर काफी समय हो चुका है ...

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर ऐसा है कि यह प्रश्न केवल टोंक से संबंधित ही नहीं है। लेकिन आम तौर से जो पुलिस का व्यवहार रहता है उसके बारे में निवेदन करना है। इसको पूरे ढंग से सुलझाया जाना चाहिये—यह सभी दलों के लोगों ने निवेदन किया है और में भी अपने दल की ओर से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : में आपको बोलने का अवसर दूंगा परन्तु आप समय का ध्यान रखें। यह ध्यान रखें कि स्टेटमेन्ट के बाद भी इस पर काफी समय दिया गया है। तो में भी थोड़ा सा सहयोग चाहता हूं ताकि आगे की कार्यवाही किस तरह से लेंगे ...

श्री रामकिशन : आप जानते ही हैं कि में बहुत ही अनुशासनिक आदमी हूं। अपने अनुशासन में रहता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है

श्री रामकिशन : मुझे बोलने की इजाजत दी गई है।

श्री मानसिंह महार : आपको इजाजत मिल चुकी है।

श्री रामकिशन : में आपकी आज्ञा से बैठ जाता हूं। आप बोल लें।

श्री मानसिंह महार : सन् १९६२ के चुनाव हुए उसी दिन से इसी प्रकार की आशंका

(श्री मानसिंह महार)

थी कि जो घटना टोंक में १४ तारीख को घटित हुई है टोंक के अन्दर एक इस प्रकार का, उस पूरे जिले भर में घृणित वातावरण बन रहा था कि उस वातावरण का विस्फोट होना निश्चित था, हम जानते थे कि वह विस्फोट होगा। वह विस्फोट इतने दिन क्यों रुका रहा ? इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे पंचायत मंत्री पहले तो चुनाव में हार गये थे, जो शतरंज के मोहरे थे वे पर्दे के पीछे जम रहे थे, मोहरे पर्दे के पीछे जमते-जमते राजाखेड़ा में सामने आये । राजाखेड़ा से जीत कर मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री साहब पधारे तो हम जान गये थे कि अब कुछ न कुछ नया नजारा जरूर पेश होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आपसे छुपी हुई नहीं है । इस सदन में मैंने १५ बार प्रश्न उठाये कि टोंक और मालपुरा में ऐसा कारण क्या है कि चन्द अफसरान वहीं लगे रहें यह बात यहीं तक नहीं रही, हमने मुख्य मंत्री जी से कहा कि टोंक में श्री गणपतिलाल शर्मा, एस० डी० ओ० इतने दिनों से क्यों हैं, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन सुस्ताइये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था उसे ।

श्री मानसिंह महार: आपने भी उसका काला मुंह किया था ? मुख्य मंत्री जी ने यह कहा पर आज इतने दिन तक वह शुभ दिन नहीं हुआ कि गणपतिलालजी का टोंक से काला मुंह हो। कैसे हो बड़े पॉवरफुल मेडिकल मिनिस्टर हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेडिकल मिनिस्टर हैं और दवाइयों का उपयोग करते हैं इसलिए पॉवरफुल हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : एक दवाइयों का ही क्या आप इनके कई उपयोग देखिये, किन-किन पर क्या-क्या प्रयोग किये हैं, यह देखिये । यही नहीं इनका अन्तिम प्रयोग जो हमारे सामने आया, जिसको मैं कला बाजी का सबसे बड़ा पैंतरा मानता हूँ, वह यह है कि आपने अपने बहनोई को गृह मंत्री बना दिया और बहनोई के गृह मंत्री बनते ही टोंक में वह विस्फोट हुआ । वह विस्फोट आचार्यजी के गृह मंत्री बनते ही इसलिये हुआ कि अब साले बहनोई का राज है राजस्थान में, साला बहनोई एक । सुखाड़िया जी बिस्तर में पड़े हुए हैं इसलिए ज्यादा दस्तंदाजी नहीं कर सकते, आज कौन इसका विरोध करें ? मन्त्री मण्डल में कोई आदमी ऐसा नहीं जो इनका विरोध करें, कांग्रेस बेंचेज पर एक भी आदमी ऐसा नहीं जो इनका विरोध कर सके, जो इनके निन्दनीय कार्यों का विरोध करे । पर हम विरोधी-दल विरोध करेंगे । स्वतंत्र-पार्टी इन जनसंघ वालों को कहती है कि हम उनके साथ हैं, इनके काले कारनामों का जैसे भी वे विरोध करेंगे, हम उनका साथ देंगे । हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप टोंक में आन्दोलन करेंगे तो हम उसमें सहयोग देंगे । मैं तन, मन और धन से उसमें सहयोग दूंगा । और हमारे मंत्री महोदय को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है, अब सोच लीजिए, सन् ६७ फिर नजदीक आ रहा है, आपको उसी जनता के सामने जाना है जिस पर आपने लाठी चार्ज करवाई, आप सोच

(श्री मानसिंह महार)

लीजिये कि फिर दर दर फिरेंगे : वोट जनता के हैं, उस एस० डी० एम० के नहीं या रणधीरसिंह कलेक्टर के नहीं या उस घृणित एस० पी० गुप्ता के नहीं जो व्यभिचार का केन्द्र है—राजस्थान पुलिस में, जोधपुर में जिसे बदनाम करके निकाला था, काले झण्डे दिखा कर और जूते मारकर, उसको आप आश्रय देकर टोंक में व्यभिचार करवाते हैं, उसके आश्रय से चुनाव जीतना चाहते हैं। मुझे मालूम है भीलवाड़ा में भी उनके क्या कारनामे थे, जितने राजस्थान के बदनाम आदमी हैं उनको ले जाकर अपने टूल बनाने चाहते हैं, इशारे पर कठपुतली बनाकर नचाना चाहते हैं। दामोदरजी व्यास सदन को बतायें कि मालपुरा के तहसीलदार ने क्या गुड़-शक्कर भरा है कि उसका मालपुरा से तबादला करने के बाद उसे बी० डी० ओ० बना दिया और वहीं मालपुरा में लगादिया । सदन की कसौटी पर आइये, कोई मखौल नहीं है कि चालीस चालीस आदमियों के लाठियों से सिर फूट जायं और कहें कि जनता की गलती है । अगर इस प्रकार की हरकतों की पुनरावृत्ति होती है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा । आज वह जमाना नहीं कि जलियावाला में गोलियां चल गई और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा । आज वह जमाना नहीं कि अंग्रेजों ने जो चाहा वही कर लिया, आज वह जमाना है जब भारतवर्ष आजाद हुआ है, उस आजादी में हम लोगों का उतना ही सहयोग रहा है, बल्कि हमारा ज्यादा सहयोग रहा है उधर बैठने वालों की बनिस्पत । हमारे विरोधी दल के नेता ने कई आदमियों को जो उस आजादी की लड़ाई में पंगु हुए थे उनको कई प्रकार की सहायताएं दी हैं। हम सबने आजादी हासिल की है, आजादी कोई कांग्रेस वालों की ही बपौती नहीं है। मैं इसको क्लीयर करना चाहता हूं। कांग्रेस वाले समझते हैं कि आजादी हमारी बपौती है, कोई बपौती नहीं, ये कुर्सियां भी इस युग में उनकी बपौती नहीं है। आपके जितने आदमी आज उधर बैठे हैं इनसे आधे भी आदमी आपके नहीं आयेंगे, हम लोग जीत कर आयेंगे जो आपकी जगह बैठ कर काम करेंगे। हम उन अफसरों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार में केवल ईमानदारी और पक्षपात नहीं करने वाले अफसरों को तरजीह दी जायगी।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : जरा जोर से बोलिए, आपकी तो आवाज पहले ही मर गई····

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु०) : तुमको तो जरा सा टुकड़ा डाल दिया और चले गये उधर ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब से उधर गये आवाज मर गई पर मोटे जरूर हो गये।

श्री मानसिंह महार : भारतीय जनसंघ के प्रदर्शन सारे भारतवर्ष में हुए केवल टोंक या जयपुर में ही नहीं हुए, हर जिला हैड क्वार्टर पर प्रदर्शन हुए, फिर टोंक में ही ऐसी क्या चीज थी कि वहां लाठी प्रहार हुआ हम कतई नहीं चाहते कि देश में अराजकता हो, हम यह बताना चाहते हैं, हमारी मंशा यह है कि देश में शान्तिपूर्ण वातावरण हो । हम यह भी बताना चाहते हैं कि इन अगली कुर्सियों पर बैठने वाले मित्रों को कि हम शांतिपूर्ण

(श्री मानसिंह महार)

वातावरण चाहते हैं पर हम पंगु नहीं हैं। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। आप लोगों की तरह यदि हम भी अहिंसा को बालाए ताक रख देंगे तो आपकी मुश्कियां लटकती हुई नजर आवेंगी। यह साबित होता है, पाकिस्तान ने हमला किया तो कौन लोग थे, हमारे भाई बन्धु थे जिन्होंने देश की इज्जत रखी। हमारे भाई थे जो टैंकों के नीचे कुचल गये पर देश की इज्जत को अक्षुण्ण रखा, जिन्दा रखा। आप लोग दुबके थे, बाड़मेर जाने में डरते थे। वह जमाना याद कर लीजिये, वह जमाना और आने वाला है। इस देश को भैंसों की जरूरत नहीं, चुस्त आदमियों की जरूरत है जो मोर्चों पर जाकर सनासन भून दें। आप मंत्रियों को एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर देश की रक्षा करना चाहते हैं। अगर इसी तरह फूल-फूल कर कुप्पे हो रहे है तो आप पाकिस्तान के ऐसे शिकार बनेंगे कि एक एक गोली में चार-चार को खड़े कर के उड़ा दिया जायगा, इसलिये कहता हूं कि जनता पर लाठियों का प्रहार करना भूल जाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir. माननीय सदस्य जोश में बहुत कुछ कह रहे हैं पर इस प्रकार की बात करना इस सदन में कहां तक जायज है, कब पाकिस्तान आयेगा, और गोली मारेगा यह न आपके लिए शोभा की बात है और न इस सदन के लिए गौरव की बात है। यह कह देना कि पाकिस्तान आयेगा और गोलियां मारेगा, यह किसी के लिए गौरव की बात नहीं। कौन पाकिस्तान लायेगा मैं समझता हूं कभी आपका यह मकसद नहीं, केवल जोश में बात कही है।

श्री मानसिंह महार : मुझे बड़ी खुशी है कि एक मित्र ने इस प्रकार की बात कही लेकिन पाकिस्तान कहां आ जायगा, कैसे आ जायगा, अभी तो एक साल हुआ है इतने में ही भूल गए कि पाकिस्तान कैसे आया था? आज हमारी सीमा की क्या हालत है, वह भी देखिये पाकिस्तान किनारे पर बैठा है और वह पाकिस्तान जो कि एक छोटा सा देश है, वह इतनी हिम्मत क्यों करता है? इसका भी यही कारण है कि वह जानता है इस बोर्डर प्रान्त राजस्थान में साले बहनोई रहते हैं····

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : वह अकबर भी है, वह हकीम वीरूमल भी है, वह भी बोलिए और वह अब्दुल्ला जिससे पैर दबवाते हैं वह भी बोलिए।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल। आप बोलते हैं और कोई मन्त्री कुछ बोलता तो मैं जबाब देता। मगर मैं उस मंत्री को जवाब देना अपना अपमान समझता हूं जिसका पी० ए० एक पाकिस्तानी जासूस हो, वह मन्त्री सदन में····

(व्यवधान—अवरोध)

श्री निरंजननाथ आचार्य : रात को १२ बजे उस अब्दुल्ला से पैर दबवाते हैं जो अकबर खां का भाई है।

श्री मानसिंह महार : आप इस सदन को बताइए कि रात को उस अपने पी० ए० कुरेशी से क्या क्या करवाते थे?

(व्यवधान)

ओ, बेशर्मों के बादशाह, देशद्रोही, गद्दार···

(व्यवधान)

(श्री मानसिंह महार)

कुरेशी को आपने पी० ए० रखा और वह उपमंत्री फिर सदन में इस प्रकार की बातें कहें, आपसे कोई उम्मीद नहीं। अगर मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने मुख्य मन्त्रीत्व के १० वर्षों में सबसे बड़ी भूल यदि की तो वह यह की कि राजस्थान का गृह मन्त्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसने एक पाकिस्तानी जासूस की सरपरस्ती की, वह है श्री निरंजन नाथ आचार्य....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों बोलते हो ?

श्री मानसिंह महार : इसका मतलब आप भी उन्हीं के फुटस्टेप्स में चल रहे हैं। कोई हर्ज नहीं यदि आप इतिहास को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप संस्कृति के पुजारी हैं, आप विद्वान् भी हैं और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, यह भी हमने सुन लिया। मैं इस झगड़े में न पड़कर अपनी बात पर आता हूं। मंत्रीजी को थोड़ी बेचैनी होती है, निश्चय ही जो आदमी अन्याय करता है, उसको बेचैनी होती है और जिस आदमी के अन्याय का रहस्योद्घाटन इस सदन में किया जाता हो, तो वह उसके लिए दुख की बात है। इसलिए उन्होंने जो कुछ जोश में कह दिया, मैं उसे क्षमा करता हूं, कोई हर्ज नहीं। मैं उनको शांति से सुनूंगा, उनकी तरह तिलमिलाऊंगा नहीं। मैं अपने सिद्धांत पर अटल हूं और वाजिब बात ही कहूंगा इस सदन में और इसलिए कह रहा हूं कि आज भारत भर में जन संघ के आंदोलन के समय सारा भारत शांत था, जनसंघ के नेता ने जिस प्रकार की बातें बताई, भारत के गृह मंत्री ने जो इन लोगों से कहा और पत्र भी भेजे। लेकिन इस सब के बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए एक विचार का विषय है कि टोंक में ही ऐसी क्या बात थी कि जो इस प्रकार का लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज होना इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं। जब से कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई लाठी चार्ज, गोलीकांड, ये तो रोज के मामले हैं, यह तो इनके जीवन का एक अङ्ग बन गया है इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता। लेकिन टोंक ही क्यों चुना गया इस कुकृत्य के लिए ? चुनाव में अपने सालारजंग की मदद के लिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और अकबर कहां गया ?

श्री मानसिंह महार : वह तो आपका बाप था इसलिए बार बार याद आरहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह आगरे वाला फूफा, रणवास में बैठकर इब्राहीम ....

(अश्रव्य व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : आप हिस्ट्रॉरिकल फैक्टस को सदन में रख रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने रखा जा रहा है। पहले यह तय हो जाय कि वाकई उनका साला था और उनका बाप था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह तय हो जाना चाहिये कि किसका फूफा था और किसका बाप था।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : इसके लिये कोई विद्वानों की मंडली बिठाई जाय जो तथ्य को निकाल पाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उदयपुर वाला जयपुर पर गंभीर आरोप लगाता है, हम नहीं बरदाश्त करेंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं जयपुर-उदयपुर के झगड़े में नहीं पड़ता। उदयपुर वाले भी हमारे भाई हैं लेकिन प्रश्न यह है कि टोंक ही क्यों चुना गया और टाईमिंग कैसा देखा गया कि चुनाव नजदीक है। श्री दामोदरलालजी व्यास टोंक से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या स्टंट होना चाहिए, कहीं फिर मालपुरा वाली दुर्गति न हो जाय। पिछली बार तो ज्यों त्यों लोगों से सांठ गांठ करके जीत कर आए, अभी तो वह भी उम्मीद नहीं। मैं नहीं कहता कि वह किसके आश्रय में आया, वह समय बताएगा क्योंकि दामोदरजी मेरे बड़े परम मित्र हैं इसलिए उनको टोंक में इस प्रकार की लाठी चार्ज नहीं करवानी चाहिए थी। दस दिन पहले इनके जीतने के चांसेज रुपये में से ६ आने थे, अब वह चवन्नी रह गये हैं। ६ महीने अभी हैं। मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अब तो खुराफात को छोड़कर शराफत से काम करें, आपको अपने मित्र ही कहते हैं। आमेर में किसान सम्मेलन हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ एतराज करने के लिए दामोदरजी ने पंचायती कानून में यह सख्ती लगाई कि किसी भी सरपंच को जब भी चाहें मुअत्तिल करें। इनके साथियों ने ऐसा कहा कि वह जालिम आदमी है। इसका नतीजा होगा, प्रजातंत्र की हत्या। मैं अपनी जबान से नहीं कहता कि वह जालिम है लेकिन उनके साथी कहते हैं। आज जो जनता में जोश आ रहा है, मालपुरा में, टोंक में हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, इसका क्या कारण है? दामोदरजी वहां जायं, सरकारी गाड़ियों में घूमें, सरकारी अफसरों को बुलाएं तो वहां १५०—२०० आदमी इनको सुनने के लिए आएं, कुम्भाराम जी जायं तो बिना गाड़ी के ५०० आदमी जायं और भैरोंसिंह जी जायं तो पांच-दस हजार हो जायं। अभी हालत देखिए, जनता किधर जा रही है, इसको देखना है। जनता में धारणा बनती जा रही। यह गलत परम्परा है।

डाक्टरों ने हाई कोर्ट में रिट की हमारे स्वास्थ्य मंत्री के कारनामों के खिलाफ, तो एडवोकेट जनरल को उसकी पैरवी नहीं दी गई.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : इसका स्थगन प्रस्ताव से संबंध नहीं है।

श्री मानसिंह महार : मैं टोंक के अन्यायों के बारे में कह रहा हूं। आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए।

तो हाई कोर्ट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुकुट बिहारीलालजी भार्गव को दो हजार रुपये में वकील किया गया। क्यों किया गया? महाराजकुमार के खिलाफ मालपुरा से इलेक्शन पिटीशन की गई तो मुकुट बिहारीजी ने मुफ्त में दामोदरजी की पैरवी की। तो इस तरह से उनको दो हजार रुपये दिलाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्टेटमेण्ट से रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री मानसिंह महार : तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री शशालाप्रसाद शर्मा : इसको एक्सपंज कर दिया जाय। वह भी गये और कहते हैं कि नहीं कहूंगा।

श्री मानसिंह महार : देश में बड़ी बुरी हालत हो रही है। कल रात को ही दैनिक पत्र 'राजस्थान पत्रिका' के दफ्तर को तोड़ फोड़ दिया। किसने किया, क्यों किया ? यह मैं नहीं जानता लेकिन जैसा कि मालूम हुआ है राजस्थान के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का उस तोड़ फोड़ में निश्चय ही हाथ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

एक माननीय सदस्य : झूंठ है।

श्री मानसिंह महार : दो चार दिन में ही नया नजारा देखिये। एक लिन्क चल रहा है। राजस्थान में तोड़ फोड़ की कार्यवाही का एक लिंक चल रहा है। यह मसला इतना क्यों गम्भीर है ? टोंक के भाई गोयल साहब, भैरोंसिंहजी, मैं वह बात नहीं कहना चाहता, वह ही बात है करौं हत्याकाण्ड के बारे में पहले कहा कि गंगानगर में हत्यारे बैठे हैं और आखिर वहीं पकड़े गये। टोंक से लिन्क है। नयी पत्रिका है, दो तीन दिन में ही नया नजारा देखिये। यदि हाऊस को आप एडजोर्न नहीं कर देते हैं हठ धर्मी से तो मैं बताऊंगा वह लिन्क है। यदि पहले ही उसको बता दूं तो उसको रोक दिया जावेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

खत्म ही कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं। मैं राजस्थान पुलिस को कहना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी को आपके जरिये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की घटनाओं को साइडट्रैक मत कीजिये। आप इस प्रकार की घटनाओं की सही तरीके से जांच करें। आप मध्य प्रदेश का सा राज्य यहां मत बनाइये। जहां बस्तर के राजा का पोलिटिकल मर्डर किया यह मत कीजिये। आप श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम को कलंकित मत कीजिये इस प्रकार से। मैं यहां के गृह मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आप एस० पी० टोंक, कलेक्टर टोंक और एस० डी० ओ० टोंक को इमिडियेटली सस्पेन्ड कीजिये। अगर आप थोड़ा बहुत भी ईमान और धर्म में विश्वास करते हैं तो आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठाइये और इस कान्ड की जांच कराइये तब ही हम मानेंगे कि आप वाकई में प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। अगर आप यह नहीं करते हैं तो यह सदन और सदन के उधर बैठने वाले लोग तो अपने हृदय में ही गालियां देंगे लेकिन इस पक्ष में बैठने वाले एक होकर इसका विरोध करेंगे और सदन में ऐसा वातावरण बना देंगे कि आपके लिए यहां बैठना मुश्किल हो जायेगा। अगर आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी फेस करने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि आप घर जाइये। आचार्यजी आप लम्बा लैक्चर देने वालों में से हैं। गोविन्दगढ़ के बच्चों में भी आपने भाषण दिया वह मैंने सुना था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों हाथ कानों पर रख कर।

श्री मानसिंह महार : पिता बन कर बड़ी प्रेमपूर्ण बातें कह रहे थे। मैंने सोचा कि हे भगवान् इस दुनियां में भी इस प्रकार काले हृदय के आदमी हो सकते हैं जो ऊपर से क्या कहें और अन्दर में क्या उनके भरा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उनके अन्दर और ऊपर में कोई फर्क नहीं है। जैसे अन्दर हैं वैसे ही ऊपर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और भी फर्क होगा। अभी तो शुरुआत है।

श्री मानसिंह महार : इसीलिये कहता हूं कि इस सदन में आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कीजिए और हमारी मांग को मंजूर कीजिये फिर यह मानेंगे कि वाकई में आदमी हैं वरना और कुछ मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दामोदरजी व्यास से भी प्रार्थना करूंगा कि टोंक और मालपुरा की जनता पर थोड़ी निगाह रखें तो अच्छा हो और ६—८ आठ वर्ष से जो अफसरान वहां पर रखे हुए हैं उनका तबादला कीजिये। चुनाव नजदीक हैं। फिर वही सन् ६२ आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर कुर्सी पर देखना चाहता हूं लेकिन आपके काले कारनामे आपको नहीं आने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ३ बज चुके हैं और हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेन्ट आने वाला है और दो बिल भी पास करने हैं। इस विषय में काफी अकमोडेट किया गया। इस पर विचार रखे गये हैं और आगे भी रखने का और समय आवेगा। इसलिए मैं आप से सहयोग की प्रार्थना करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर अब अधिक समय न लें। मिनिस्टर इन्चार्ज भी इसका जवाब देंगे। करीब करीब सारा ही समय इसीमें समाप्त हो जायगा तो आगे की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। इसलिए केवल निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने निवेदन किया कि यह १५ दिन के लिए केवल अधिवेशन बुलाया गया है। जो नीतियों के प्रश्न हैं वह अलग अलग रूप से आवेंगे और अलग मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी टेक्नीकल बात पर न आए कि एडजोर्नमेंट मोशन पर अधिक वाद-विवाद होना उचित नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह नीतियों का प्रश्न है और नीतियों पर विचार करने के लिए मौका दें। गवर्नमेंट के पास लम्बा चौड़ा कार्य-क्रम भी नहीं है। दूसरे बिजनैस को पीछे रख लेंगे। इसलिए जो समस्या आ रही है उस पर विचार करलें।

श्री उपाध्यक्ष : इसी का विचार रखते हुए इस विषय में यह सारा वाद-विवाद चलने दिया गया है। इतने से सहयोग की आवश्यकता है कि दूसरा बिजनेस इन टाइम में ले लिया जाय। इस प्रकार हुआ तो सेशन के क्रमकार्य को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन वह तो सदन की मर्जी पर ही है। Let-us go to another statement. उस पर भी थोड़ा वाद-विवाद होगा। इस बीच में मन्त्री महोदय भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कार्य सलाहकार समिति के निश्चय के अनुसार कल वाला बिल और आजका बिल दोनों लेने हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो सम्भव नहीं होगा कि आज किसी बिल को ले सकें। चूंकि यह नीति का प्रश्न है इस लिए विभिन्न पार्टीज के लोगों को कहने दीजिए।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैं मूव कर रहा हूं एक प्रस्ताव।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडजोर्नमेंट मोशन तो डिस्अलाऊ हो गया और उस

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
स्टेटमैंट हो गया। फिर वाद-विवाद किस बात का आगे ?

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट के ऊपर, आप को विदित ही है, स्पष्टीकरणात्मक के वक्तव्य कर सकते हैं। इस प्रकार से विवाद तो नहीं हो सकता। इसकी अहमियत और आपकी भावना को देख कर अकोमोडेट किया गया। इस पर अधिक चर्चा न करें और भी मौका मिलेगा। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि श्री रामकिशन और........

(३.०० म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक निवेदन यह है कि कल जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उस समय सरकार की तरफ से कहा गया था कि सोमवार तक बिजनेस है। हिन्दुस्तान में एक राजस्थान की ही सरकार ऐसी है कि जिसके पास इस सत्र के लिये तीन दिन के अलावा कोई बिजनेस नहीं है। उस समय यह बातचीत हुई थी कि जो साधारण नीति के प्रश्न हों, जैसे काल अटेन्शन हैं, स्थगन प्रस्ताव हैं, एवं अन्यान्य प्रश्न हैं तो उन पर चर्चा कर सकेंगे।

अब आज की चर्चा में ऐसा प्रसंग टोंक को लेकर आ गया है कि जिसका सम्बन्ध सभी राजनैतिक दलों से है। जो परिस्थितियां आज हैं, उनमें और विशेष करके महंगाई के खिलाफ जनता आन्दोलन कर रही है, कर सकती है, उसने आन्दोलन किया है, और आगे भी करेगी। अब उन आन्दोलनों को डील विद करने में सरकार की नीतियां किस प्रकार की हों और सरकार इस तरह के जन आन्दोलनों के प्रति क्या क्या सावधानी बरते, इस सम्बन्ध में हर दल के प्रवक्ता अपने अपने विचार रखना चाहेंगे।

टोंक तो एक निमित्त मात्र बन गया है। इसलिये उसका प्रसंग आ जाता है, नहीं तो इस तरह के आन्दोलनों में लाठी चार्ज, गोली चलाना इसे छोड़कर किस तरह की नीति अपनाई जावे इनके प्रति, सरकार इनके प्रति किस प्रकार का रुख अपनावे, सरकार ने अब तक क्या किया और उसे करना क्या चाहिये, इस तरह से इस सम्पूर्ण प्रश्न के सम्पूर्ण पहलुओं पर व्यापक तौर से सभी दलों के प्रवक्ताओं की तरफ से एक विचार सामने आ जावे तो उत्तम ही होगा।

अब जो दो बिल पेन्डिंग में हैं वे दोनों आज वैसे भी पास नहीं हो सकते किसी भी तरह से। बाकी तो आप कैरी ओवर करेंगे ही सोमवार या मंगलवार के लिये। तो आज कोशिश करके जितना बिजनेस खत्म कर सकेंगे उसमें एक ही बिल हो सकेगा। वह पास करने के लिये निश्चित रूप से शासन को हम सहयोग दे सकेंगे, यह आश्वासन मैं दे सकता हूं। पर महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये समय हमारे पास लिमिटेड है।

पर स्थिति यह है कि १५ दिन का सत्र है, सरकार के पास चार दिन का बिजनेस है। ११ दिन के लिये कोई बिजनेस नहीं है। हमें वह बिजनेस प्रोवाइड करना है और वह हम कर रहे हैं। तो आज इस पर चर्चा हो जावे, बाकी का ड्यूटी या मन्डे को कैरी आन हो जावे।

Page No. 78

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामप्रसाद लहड़ा (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनेस नहीं होने की बात जो कही गई है यह गलत है। क्योंकि अभी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तीन दिन का ही बिजनेस तय किया है। इसके बाद और हम मिलने वाले हैं और आगे के बिजनेस के बारे में तय करने वाले हैं। इसलिए यह कहना कि बिजनेस ही नहीं है, यह गलत है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो डाइरेक्शन्स तय किये थे कि आज दो बिल होंगे...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What business? This Government is without business. इसके बाद क्या बिजनस है आपके पास। हाउस में आप गलत बयानी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इसके बाद कोई बिजनेस नहीं है। What business has the Government got after Monday?

श्री रामानन्द अग्रवाल : He is giving a false statement. सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्वयं ने कहा था कि इसके बाद कोई बिजनेस नहीं है।

श्री रामप्रसाद लहड़ा : यह एडजोर्नमेंट मोशन डिसअलाऊ होने के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसकी चर्चा के रूप में काफी बोलते रहना न तो नियमों के अनुकूल है न कि वांछनीय ही है। अगर आगे बिजनेस नहीं भी होगा तो किस विषय पर चर्चा करनी है यह डिसकस करके बाकी के दिनों में कोई भी दिन उसके लिए नियत किया जा सकता है। पर केवल इसी आधार पर जो निर्धारित विषय है उसको न लेकर और उसको पोस्टपोन करके जो निर्धारित विषय से बाहर की बात है उसको इन्ट्रोड्यूस करना यह नियमों के अनुकूल नहीं है। इस पर वैसे भी काफी समय तक चर्चा हो चुकी है। जब कि स्टेटमेन्ट पर केवल क्लेरिफिकेशन के तौर पर केवल कहा जा सकता है, इसके विपरीत उस पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है। इतनी चर्चा होने के बाद भी फिर उसी पर सारा दिन लगाना यह न नियमों के अनुकूल है और न वांछनीय ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल सहयोग करेगा कि निर्धारित बिजनेस पूरा हो। वह पेन्डिंग में न रहे। पर मैं पूछना चाहता हूं वे बतावें सोमवार के बाद आपके पास क्या बिजनेस है? अगर एक वीक का भी पूरा बिजनेस है तो हम अपने भाषण यहीं समाप्त कर सकते हैं। वे खड़े हो कर ऐलान करें और कह दें कि यह यह बिजनेस सरकार के पास और है। केवल ऑफिसियल लैंगवेज बिल है और एक समिति का प्रतिवेदन और है। मैं सही कह रहा हूं कि This is no business at all after this business. This is very pitiable Condition.

The Government is absolutely without business. This is most pitiable.

इसके बाद आपने नियमों का हवाला दिया है। यह सद्बुद्धि दो घंटे के बाद आपको आई है। दो घंटे तक आपने पाध्यजी को तो खड़वा दिया, अब उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं यह कह कर।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आपको मालूम है कि स्टेटमेन्ट के बाद क्लेरिफिकेशन के लिए बात चीत होती है। फिर भी जब जब भी महत्वपूर्ण कोई मसला आ जाता है तो उसे भी अकोमोडेट किया जाता है, किया भी गया है और करीब करीब इसी प्रकार से भाषण हुए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इस विषय में सभी अकोमोडेट किया गया है। अब ऐसा करेंगे कि इस विषय में मेरे पास अभी श्री रामानन्द जी अग्रवाल और रामकिशनजी की रिक्वीजीशन है। उनसे निवेदन करूंगा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री हरिरामजी चौहान भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उस समय वे नहीं थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे अपनी पार्टी के एक मात्र नेता हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अहिंसा अहिंसा की हम बातें करते जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह वाद-विवाद नियमों के प्रतिकूल होगा।

श्री हरिराम चौहान : इस सारे राज्य में सरकार का इस प्रकार की दमन नीति के हम ही तो सबसे अधिक शिकार हुए हैं और हमें अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया जाय, यह हमारे साथ और ज्यादती होगी।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे भी इम्पोर्टेन्ट विषय लेने हैं। तो या तो मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाय ......

श्री रामकिशन : वे जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ....

श्री रामकिशन : हमारे कहने के बाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप चाहेंगे तो यह निवेदन करूंगा कि पांच पांच मिनिट आप ले लें।

श्री रामकिशन : पांच मिनिट की भी जरूरत नहीं है फिर।

श्री हरिराम चौहान : पांच मिनिट ले रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस प्रकार का है और टोंक के सम्बन्ध में जो तथ्य सामने आये हैं वे तो रखे जा रहे हैं दोनों ओर से। पर मेरी मान्यता इनसे भिन्न है। यह हिन्दुस्तान की सरकार चाहे राजस्थान की हो, चाहे हिन्दुस्तान की हो, ऐसे जन आन्दोलनों के प्रति क्या रुख और नीति अपनाना चाहती है इस प्रश्न पर नये ढंग से विचार करना चाहिए। १६–१७ साल के इस कांग्रेसी शासनकाल में सन् १९५४ तक भारत में आमतौर पर बहुत कम आन्दोलन हुए। पर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी योजनाएं असफल होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया और जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव बढ़ता गया वैसे वैसे सारे मुल्क में चाहे वह राजस्थान हो, मद्रास हो, बंगाल हो, चाहे केरल हो, तरह तरह से आन्दोलन खड़े होने लगे। आज उनकी गति और भी तीव्र होती जा रही

(श्री रामकिशन)

है, और इस सब के पीछे किसी की दुर्भावनाएँ नहीं हैं बल्कि यह तो जनता के एक स्वाभाविक व प्राकृतिक व्यापक असन्तोष की अभिव्यक्ति मात्र है ।

तो मैं चाहूंगा कि इस असन्तोष को रोकने के लिए सरकार ने जो पुराने नियम बना रखे हैं पुलिस के बारे के, गोली चलाने के बारे में, लाठी चलाने के बारे में या दूसरे दूसरे तरीकों के बारे में उन सब पर नये ढंग से विचार करना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि जितनी गोली और लाठी इन १८ सालों के कांग्रेस के शासनकाल में चली हैं उतनी शायद दुनिया की किसी लोकतान्त्रिक सरकार ने नहीं चलाई हैं । मैं उनका हावाला देकर सदन का व्यर्थ समय नष्ट करना नहीं चाहता । केवल एक छोटा सा जिक्र कर देना चाहता हूं । इन्दुमति केलकर की लिखी एक पुस्तक है जिसमें बम्बई के गोलीकाण्डों और लाठी चार्जों का जिक्र किया गया है । उसमें लिखा है कि जब तक मुरारजी भाई देसाई बम्बई के मुख्य मंत्री रहे, तब तक ११०० बार बम्बई प्रदेश में गोली चल चुकी है, ५६०० बार लाठी चलाई गई है ।

मैं निवेदन करूं कि जब सन् ४२ का "भारत छोड़ो आन्दोलन" चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब भी सारे बम्बई प्रदेश में जो उस आन्दोलन में पूरा का पूरा पड़ चुका था, उस समय भी ७०० बार से ज्यादा गोली नहीं चल सकी । तो इन सब में मौलिक खराबी कहां है, कौनसा ऐसा मामला है कि आज यह हालत बन रही है, इस सब पर हमें ठंडे दिमाग से और गहराई से सोचना होगा ।

मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जो मंत्री आज कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी व्यक्तियों के प्रति या जनता के प्रति हमदर्दी नहीं है या कि वे किसी दूसरे से लोकतान्त्रिक आचरण वाले व्यक्तियों से पीछे हैं ।

पर असल प्रश्न यह है कि पुलिस का पुराना कोड बना हुआ है । अगर उसको आप आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बदलेंगे और नये ढंग से विचार नहीं करेंगे तो फिर चाहे टोंक हो, चाहे बांसवाड़ा हो, इस तरह की स्थितियां आये बगैर नहीं रह सकती ।

१४४ धारा आज भी है । मुझे इस पर बड़ी हंसी आती है । जब इस धारा को बनाया गया तो उसके उद्देश्य के बारे में लिखा है कि जन जीवन को खतरा जहां हो, वहां इसका प्रयोग किया जाय । मैं पूछता हूं यह जन जीवन को खतरा इन मीटिंगों से है, इन भाषणों से है, या कि आज सर्वत्र व्याप्त भुखमरी की स्थिति से है, इस कमर तोड़ महंगाई से है, या इस सर्वत्र व्याप्त प्रशासन के भ्रष्टाचार से है ?

तो आज आपको इस परिभाषा को बदलना होगा । आर्थिक असन्तोष आज इस जन-जीवन के खतरे का कारण बनता जा रहा है । अगर यह कारण यों ही बनता रहा और सरकार यों ही चलती रही तो यह अधिक दिन चलने जैसा मामला नहीं है ।

इस तरह की बेकार की सरकार इस मुल्क का राज्य चला रही है जो कि जनता के मौलिक प्रश्न को हल करने में असफल है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री रामकिशन)
और क्या उपाध्यक्ष महोदय समाप्त करूं ? मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, टोंक पर अभी आया ही नहीं हूं आप कहें तो बिलकुल ही समाप्त कर देता हूं। मैं बैठ जाता हूं और बोलूंगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल !

(श्री रामानन्द अग्रवाल खड़े न होकर श्री हरिराम बोलने लगे)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार की दमन की नीति है और उस पर जो चर्चा चल रही है मैं इसके संबंध में गृह मंत्री महोदय ने जो कहा उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के नेता ने जो आपके आदेश का पालन कर लिया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई अच्छी परम्परायें नहीं हैं कि किसी एक मुद्दे पर आप दूसरी पार्टियों को घंटे भर बोलने दें और उसके बाद हमको आप ५ मिनट के अन्दर घंटी लगा कर बैठा दें। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अपनी बात को टोंक के निवासियों पर जो लाठी चार्ज हुई है उसके ऊपर अपना दृष्टिकोण रखना चाहती है और यदि आपकी यह मंशा है कि हमारी वाणी उन टोंक के निवासियों को इस विधान सभा के माध्यम से नहीं पहुंचे तो आखिर वह तो हम पहुंचायेंगे। इसके लिये दूसरे साधन भी हैं उनके जरिये हम अपनी भावना उन तक पहुंचायेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि यह लाठी चार्ज आज जनसंघ पर हुआ है और लाठी चार्ज तो हमारे ऊपर ज्यादा होते रहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर शायद हम से भी ज्यादा होते रहते हैं हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप हमको बोलने नहीं दें। और हमारी बात रेकार्ड पर आय या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सरकार दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने के लिये तैयार है और यदि लोकतंत्र में इनकी निष्ठा बिल्कुल उठ गई है और यह किनारे आ चुके हैं और इनका आखिरी दीया जल रहा है और बुझने वाला इसलिये आप ज्यादा छूट दें कि जितना चाहें लाठी चार्ज करें और जनता परेशान हो जाये और फिर कुछ करें मैं आपसे बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर दोनों दल के नेताओं को और माननीय हरिरामजी को पूरी बात कहने की छूट दें और उसके बाद में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को पास करना है तो १२ बजे तक रात में भी बैठ कर हम उसको पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रारंभ रख रहे हैं ?

श्री रामकिशन: नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवाद चालू हुआ उसके बाद में मैंने संकेत किया कि इस प्रकार विवाद तो यह नहीं चलना चाहिए फिर भी एकोमोडेट किया गया और आपके दल के नेता ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं थोड़े ही समय में समाप्त कर दूंगा।

श्री रामकिशन: एतराज इस बात पर है कि कौन सदन में कैसा बोलता है और क्या बोलता है यह मैं जानता हूं। खैर, जब कोई बात आती है तो उस समय रोक देते हैं इसलिये मैं

(श्री रामकिशन)
तो कम से कम नहीं बोलूंगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे बोलें तो बोलें।

श्री हीराराम चौहान (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया उसको हमने देखा। तो हम समझते हैं कि जैसे लाठी चार्ज होती है या अश्रु गस का प्रयोग होता है या गोली चलती है सारे हिन्दुस्तान में, सरकार की यह नीति है कि हम लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बनाये रखने के लिये ऐसा करते हैं और यही जबाब हमेशा आता है कि लॉ एण्ड आर्डर कायम करने के लिए ऐसा करना पड़ा। इस तरह के स्टेटमेन्ट चाहे पहले से टाइप किये हुए रखे हों या यह नीति है कि सरकार दो शब्दों का प्रयोग हमेशा करती है। तो इस सदन में कोई नहीं आये तो वह भी अच्छी तरह से जानता है कि टोंक के अन्दर जो लाठी चार्ज हुआ उसका जबाब मंत्री महोदय यह देंगे। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि कोई भी जनता के आन्दोलन हों, आज यह जनसंघ की तरफ से आंदोलन था। मुझे इस बात पर कोई ज्यादा नहीं कहना कि यह आन्दोलन सफल हुआ या यह आन्दोलन असफल हुआ। लेकिनम यह कहना चाहता हूं कि आज यह जनसंघ की तरफ से ही आन्दोलन नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर चाहे वह बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो और हिन्दुस्तान के जितने भी हिस्सों के अन्दर भूखी जनता है, वह इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार अन्न नहीं दे सकती, जो सरकार कपड़ा नहीं दे सकती, जो सरकार शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती, जो सरकार दवा दारू नहीं देती, उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती, जो सरकार बेकारी को रोक नहीं सकती, फिर ऐसी सरकार के खिलाफ आम जनता का गुस्सा एकदम से उमड़ रहा है, उस गुस्से को रोकने के लिये जो यह सरकार है, राजस्थान की सरकार है या दूसरी जगह की सरकार है वह सरकार यह चाहती है कि हम इस गुस्से के उबाल को रोकने के लिए चार चीजों से इसका सामना कर सकते हैं वह चार चीजें हैं--लाठी, गोली, अश्रु गैस और इस तरह के दमन के तरीके। पहले जिस तरह से आम लोग यह समझते थे कि कांग्रेस का कुछ जन आधार है, कांग्रेस की कुछ परम्पराएं हैं, कांग्रेस ने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसकी वजह से कुछ लोग उनके साथ थे, लेकिन आज उनका जन आधार टूट चुका है और वे केवल चार बातों के ऊपर राज्य चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि यह चार आधार आपके अब रहने वाले नहीं हैं क्योंकि आज आपको बंगाल की जनता से सबक सीख लेना चाहिए। आप उसको गंभीरता से समझिये कि बंगाल का मुख्य मंत्री क्या कहता है? आज बंगाल का मुख्य मंत्री यह बात कहता है कि मैं ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा हूं। आज क्या आप यह समझते हैं कि यह छोटे मोटे आन्दोलन हैं असफल हो गये? हमारे दफ्तर बन्द नहीं हुए, हमारे सारे काम काज चलते रहे। आप यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि आपको उस दिन के लिये तैयार रहना चाहिए कि आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा--वह परिस्थिति भी अब दूर नहीं है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनकी हिंसा और अहिंसा की परिभाषा क्या है? आप किसको हिंसा और किसको अहिंसा कहते हैं? एक कोतवाल का डंडा किसी मजदूर के सिर पर पड़ा तो वह लॉ एण्ड

(श्री हरिराम चौहान)

ऑर्डर है और एक कोतवाल का डंडा मजदूर के सर पर पड़ा और विद्यार्थी के सर पर पड़ा तो वह अहिंसा है और अगर किसी विद्यार्थी का पत्थर किसी पुलिस वाले के सर पर पड़ जाये तो वह हिंसा हो गयी। इस तरह से हिंसा और अहिंसा की परिभाषा कर रखी है। वह भी मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी सरकार को दुबारा विचार करना पड़ेगा और अब तक रोटी, कपड़ा नहीं दे सकती, अनाज सरकार मुहैय्या नहीं कर सकती और किसी तरह से आम जनता को जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं उनको जब तक सरकार नहीं देगी, तब तक आप यह समझते हैं कि दफा १४४ लगा कर दफा १०७ में गिरफ्तारियां करके, डण्डे बरसा कर, जेलों में भेज कर या और किसी तरह से लोगों को दबा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको जरूरत थी दफा १४४ के लगाने की? क्या आपका राज्य बिना इसके नहीं चल सकता? दफा १४४ के बगैर भी राज्य चलाया जा सकता है, दफा १०७ के उपयोग किये बिना भी राज्य चल सकता है, जेलों के अन्दर लोगों को नहीं डालने से भी राज्य चल सकता है। जब जनसंघ के नेता बराबर यह घोषणा करते हैं कि हमारा आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरीके का आन्दोलन है और हम लोकतन्त्र के अन्दर विश्वास रखते हैं, बड़ी वफादारी के साथ वह आंदोलन चलाना चाहते हैं और आपको उसके लिये फिक्र पड़ जाती है और आप दफा १४४ पहले ही लगा देते हैं। यह दफा लगाने के लिए भी आपके पास कुछ आधार होने चाहिए। दफा १०७ के अन्दर गिरफ्तारी करने के लिए आपके पास कुछ आधार होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब स्थिति है। बात बड़ी छोटी लगती है। दफा १४४ का इस्तेमाल आज आम बात हो गई है। आम लोगों को कुछ आदत पड़ गई है दफा १४४ लगा देने की, वर्ना दफा १४४ का इस्तेमाल जब फरीदकोट में किया गया था तो नेहरूजी स्वयं दिल्ली से गए कि दफा १४४ मैं तोड़ूंगा और दफा १४४ तोड़ने के लिए सारे हिन्दुस्तान के लोग इकट्ठे हुए थे। आज दफा १४४ कदम कदम पर लगा देते हैं। आखिर आप उस दफा १४४ का करना क्या चाहते हैं? इसी तरह से दफा १०७ का उपयोग किया जाता है। यह दफा १०७ इतनी गन्दी दफा है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, उसका उपयोग जनतांत्रिक आन्दोलन को कुचलने के लिए किया गया था, मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया, किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया और इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि किसी एम० एल० ए० को गिरफ्तार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही दफा एक महीने पहले रामानन्दजी के खिलाफ इस्तेमाल की गई और यही दफा मेरे खिलाफ की गई। ७-८ दिन के अन्दर आपकी शांति भंग नहीं होती। एक दिन पहले तक उसके बारे में कोई नोटिस नहीं निकलता, कोई इतिला नहीं होती। पुलिस कोई इस तरह का इशारा नहीं देती कि इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो हमारे अमन को खतरा

(श्री हरिराम चौहान)

हो जाएगा। रातों रात आपके अमन को खतरा हो जाता है और दफा १४४ तैयार हो जाती है। उस वक्त मौके पर कोई आन्दोलन नहीं होता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां १०७ का वारण्ट नहीं दिया जाता, वह वारण्ट जेल के दरवाजे पर दिया जाता है..

श्री उपाध्यक्ष : आपके वादे के अनुसार पांच मिनिट हो चुके हैं।

श्री हरिराम चौहान : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह किस किस्म का सवाल है, किसी भी हालत में किसी भी तरह से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह सरकार अपने आपको प्रजातांत्रिक सरकार बनने का दावा करती है उस सरकार के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं यह कह देना चाहता हूं।

(अनवरत-घण्टी)

अभी खत्म करता हूं साहब।

(अनवरत-घण्टी)

घण्टी यों लगातार क्या बजे, एक आध मिनिट का अन्तर तो होना चाहिए। मैंने आपकी घण्टी का इशारा समझ लिया, मैं खत्म कर रहा हूं, फिर भी लगातार घण्टी बजा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री हरिराम चौहान : आपकी घण्टी का इशारा हो गया है, मैं अभी खत्म करता हूं।

(विराम)

तो मैं यहां गृह मंत्री से यह बात कहना चाहता हूं कि आज आपकी दफा १४४ की और दफा १०७ की खास तौर से तौहीन हो रही है। आपने देखा होगा और आप पूछिए गृह मंत्री से जो भारत के गृह मंत्री श्री नन्दा हैं उनसे, उन्होंने दफा १४४ लगाने के लिए बंगाल की सरकार को कहा था। दफा १४४ लगाने के बाद, आपका वहां पर, अगर आपकी पुलिस से काम नहीं चलता है तो आप दूसरे राज्यों की पुलिस बुलाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर आठ राज्यों की पुलिस पहुंची और जब वहां आठ राज्यों की पुलिस से भी काम नहीं चल सका तो फौज बुलानी पड़ी और उस हालत में भी दफा १४४ का इस्तेमाल किया गया। आम जनता लाखों की तादाद में जुलूस बना कर जा रही थी, गृह मंत्री महोदय बंगाल में मौजूद थे और उनकी नाक के नीचे दफा १४४ की मट्टी पलीद की गई थी।

(हियर हियर)

आप यह समझते हैं कि दफा १४४ और दफा १०७ के मुकदमे चला कर, लोगों को जेलों में डाल कर, लाठियां, गोलियां और अश्रुगैस का इस्तेमाल करके आप जनता को दबा सकेंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह बात कह सकता हूं कि जो बंगाल में लहर चली, वही लहर सारे देश में पैदा होगी। जनता चाहती है मकान, जनता चाहती है कपड़ा, जनता शिक्षा का प्रबन्ध चाहती है, जनता खाना चाहती है, जनता की वह आवाज आपकी इन लाठी, गोलियों से नहीं दबाई जा सकती। या तो आपको ये चीजें जनता को देनी पड़ेंगी वर्ना जनता आपको गद्दी से नीचे उतार देगी, वह दिन दूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक में जनसंघ के आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में जो स्थगन-प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो रही है । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न न केवल टोंक से या जनसंघ के आन्दोलन से सम्बन्धित है परन्तु जैसा अभी दूसरे मित्रों ने कहा, आज यह प्रश्न है कि यह आखिर सारे देश में आन्दोलन का एक ज्वार-भाटा, एक उभार क्यों आ रहा है । क्या वास्तव में केवल यही बात है कि चुनाव नजदीक हैं और इसीलिए विरोधी दल कोई हव्वा बनाना चाहते हैं कांग्रेस के विरोध में या वास्तव में कोई बुनियादी गलतियां इस प्रकार की शासन की ओर से देश के अन्दर हो रही हैं कि देश की जनता में एक भारी असंतोष की लहर दौड़ रही है और इसी कारण यह आन्दोलन उठ रहे हैं । दूसरा प्रश्न जो सामने आता है वह यह है कि उस आन्दोलन का मुकाबला आज गवर्नमेन्ट किस रूप से कर रही है । कमीशन बैठ रहे हैं, कई जगह भाषण दे रहे हैं । आज ही प्रधान मंत्री का मैंने भाषण पढ़ा कि वह देश में जो हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं उनके लिए बड़ी चिंतित हैं । विरोधी पार्टियों पर इसका आरोप लगाती हैं और वे चाहती हैं कि इसको रोका जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गंम्भीरता से इस सदन के माननीय सदस्यों को, जो इस ओर बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी कि इस सारी समस्या की बुनियाद पर जाकर सोचना पड़ेगा, तभी हम इसका सही हल निकाल सकेंगे । नहीं तो, आपने टोंक में लाठी चार्ज कर लिया तो इससे समस्या हल नहीं होगी, लोग उससे रुकेंगे नहीं । लाठी चार्ज से नहीं रुकेंगे, गोलियों से नहीं रुकेंगे, बड़ी २ बातों से नहीं रुके, यह आपको भी पूरा तजुर्बा है कि जितनी उत्तेजना से जितना तेज कदम उठाया जाता है, जितना ज्यादा दमन करने की कोशिश करेंगे, उत्तेजना उससे ज्यादा बढ़ेगी और इसीलिए आप भी यह महसूस करते हैं कि जनता सम्भाले सम्भल नहीं रही है और इसीलिए आपको अपनी नीतियों के बारे में विचार करना चाहिए, इन नीतियों के बारे में आपको सोचना चाहिए । बड़े बुनियादी नीतियों के प्रश्न आज देश के सामने खड़े हो गए हैं शायद आपके दल में भी खड़े हो गए हैं । शायद उन सवालों के बारे में आप खुद आज डेफिनेट नहीं हैं, आप निश्चिंत नहीं हैं कि वे ठीक हैं या नहीं । आज जो अवमूल्यन के बाद स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण आज देश की तमाम पार्टियां आज उनके विरोध में हैं । मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी का भी बहुमत उसके पक्ष में नहीं है, उसके विरोध में है । आपके लीडर्स ने उसका निर्णय ले लिया और डिसीप्लिन के नाते आप उसे माने, वह अलग बात है । परन्तु उसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है देश पर, अपने आप पर और अपने परिवार पर, अपने समाज पर, उससे आप और हम अलग अछूते नहीं हैं ।

तो उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से आज कांग्रेस की इन नीतियों के विरोध में आज जनता के अन्दर एक भारी असंतोष उठ रहा है । बजाय इसके कि सरकार उन नीतियों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे, आज केवल अपनी इन विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में बहुमत के बल पर आज सरकार इस बात पर दृढ़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रतिज्ञ है कि अपोजीशन को, उनका जब तक बहुमत है, उनकी बातों के सामने, उनके कानून के सामने सिर झुकाना चाहिए। और केवल जब वह बहुमत बदल कर और इन विधान सभाओं में और पालियामेंट के अन्दर बहुमत आ जाय तो नया कानून बना दें, इसके अलावा कोई आन्दोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। वे आन्दोलन अंग्रेजों के जमाने में जायज थे, अब जायज नहीं हैं। उनकी लोकतंत्र की इस प्रकार की तस्वीर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हम हमारे देश में लोकतंत्र की इस परिभाषा को जो कांग्रेस दल अपने निहित स्वार्थों के लिए या जिस वर्ग को वह रिप्रजेंट करता है उस वर्ग के स्वार्थों के लिए जो लोकतंत्र की परिभाषा करते हैं उस परिभाषा को हम मानने से इन्कार करते हैं। हम यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता को, कांग्रेस का चाहे बहुमत पालियामेंट रहे चाहे विधान सभा में रहे, जनता को अपनी बात को जो उसे पसन्द नहीं आए उसका विरोध करने का अधिकार है और हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में भी, जिसको कि इन्होंने ही बनाया है, उस कॉन्स्टीट्यूशन में भी, उस विधान में भी वह अधिकार निहित है। लेकिन हर आन्दोलन में सरकार की तरफ से उन मौलिक अधिकारों की हत्या होना शुरू होता है। चूंकि अधिकार है हमको मीटिंग करने का, अधिकार है हमको प्रदर्शन करने का, आप जैसे ही आन्दोलन शुरू होता है, धारा १४४ लगा देते हैं, लोगों के बोलने पर पाबन्दी लगा देते हैं। यह दफा १४४ आपने केवल जनसंघ पर नहीं लगायी, या कोई एक मीटिंग पर ही नहीं लगाई, २९ मार्च को जब राजस्थान भर में औद्योगिक मजदूरों ने हड़ताल का नारा दिया, राजस्थान बन्द का नारा दिया तो सरकार ने लोगों को रोक दिया, नेताओं को, मजदूरों को उठा कर पहले ही, कई रोज पहले ही जेलों में बन्द कर दिया।

स्ट्राइक करने का हमारा अधिकार है। स्ट्राइक करना कोई गैर-कानूनी चीज नहीं है। मालिक और मजदूर के बीच में खुले रूप से शर्तें तय करने का हमारा अधिकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर उनकी गलत नीतियां हैं तो उनके बारे में रोष प्रकट करने का हमारा अधिकार है, लेकिन हर प्रश्न पर आपने एक ही रवैया बना रखा है। आपके ही द्वारा बनाया हुआ हमारा संविधान है, उसके अन्दर यह दिया हुआ है। यह हमारा मौलिक अधिकार है आजादी से बोलने का, जुलूस निकालने का और अखबार की आजादी है। इन पर पाबन्दी लगाकर आप हमारे इन अधिकारों को छीनना चाहते हैं और लोगों को जेलों में डालते हैं। फिर शुरू होता है लोग १४४ तोड़ते हैं तो लाठी चलती है और गोली चलती है। इसलिए एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि आप अपने विधान के अन्दर रह कर आज लोकतन्त्र में आस्था नहीं रख कर आप विचार करने को तैयार नहीं हैं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हिन्दुस्तान की जनता आपकी नीतियों से असंतुष्ट है । उन नीतियों में बदलावट करना पड़ेगी । और यह नहीं करके जब वर्तमान बहुमत की बुनियाद के ऊपर लोगों को अपने दमन से, अपने इस तरह के कार्यों से आप दबाना चाहते हैं आप अवैधानिक कार्य करते हैं । आप अवैधानिक कार्य करते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं फिर भी आप हम से उम्मीद करेंगे कि हम आपके अवधानिक कार्यों के आगे सिर झुका दें । १४४ धारा गैर-कानूनी तौर से लगाते हैं उस के आगे सिर झुका दें ? लोगों को आप गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करते हैं, कोई वारन्ट नहीं है, कोई कुसूर नहीं है फिर भी आप गिरफ्तार करें कोई जुर्म नहीं है फिर भी आप गिरफ्तार करें तो हम आपका रेसिस्टेन्स करने वाले हैं आगे रेसिस्टेन्स ज्यादा स्टिफ होगा । उस रेसिस्टेन्स का, जिस तरीके से आप हमला करते हैं, उसी तरीके से जवाब दिया जायेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आप विधान सभाओं और संसद् में बहुमत का नाज करते हैं तो जनता आज इस हद तक उतारू हो गई है कि इस विधान सभा से आपको पकड़ कर खींच ले जायेगी । त्रिपुरा में हम उनको समझाने के लिए नहीं गये थे । इस तरीके से आप लोगों की आवाज को घन्टी से बन्द करना चाहते हैं । आज लोगों के अन्दर रोष है । वहां त्रिपुरा में घन्टी के अन्दर बान्ध कर लोगों को बाहर निकाल दिया । अगर आप बहुमत के आधार पर लोगों को बोलने नहीं दें और सदन से बाहर निकाल दें तो जनता बाहर से आकर कान खींचकर बाहर निकाल सकती है । यह नतीजा आने वाला है । आप विधान का गला घोट रहे हैं । विधान का गला घोटकर आप जनता को वहां से रोक नहीं सकते । आपकी घन्टी की अब इज्जत नहीं रही है, आपके आदेशों की इज्जत नहीं रही है, इसलिए कि आप जनता की भावनाओं की इज्जत करना भूल गये हैं । उनकी आप मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं । लोग कहते हैं कि भूख से लोग मर रहे हैं तो आप यहां पर उनका ठट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर मजाक करने के लिए १५ दिन खोने के लिए आये हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं विरोधी पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि जब हमने आन्दोलन किया तो गवर्नमेन्ट ने यही आरोप लगाये कि कम्युनिस्ट देश के अन्दर हिंसा फैलाना चाहते हैं, इनका विश्वास नहीं है लोकतन्त्र के अन्दर जो जनसंघ के हमारे भाई उनके इस गलत तरीके के रिप्रेजेन्टेशन से या कुछ बहकावे से या कुछ मिसगाइडेन्स से कुछ भरोसा कर लेते हैं जैसे ही उन्होंने आंदोलन को छेड़ा और सरकार से टकरावट में आये और किस तरीके से सरकार स्टेटमेंट देती है तो उन्होंने देखा कि कितनी आस्था इन गांधीजी के चेलों में हिंसा के प्रति है जैसे ही वे आगे बढ़े, टकरावट में आये और आगे आयेंगे तो वे देखेंगे कि किस तरीके से वे काबू करते हैं, किस तरीके से वे बनावटी मुकद्दमें चलाते हैं, लोगों पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, किस तरह से फर्जी जुर्म आपके और हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की जायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज प्रश्न यह है कि देश के अन्दर आन्दोलन, जनता के आन्दोलन दिन पर दिन जोर पकड़ रहे हैं राजस्थान में यहां पर जनवादी आन्दोलन कमजोर है उसका आप फायदा उठा रहे हैं, यह नहीं कि यहां की जनता बड़ी सुखी है, यह नहीं है कि आप की जनता बड़ी भारी आनन्द में है । इसको हम लोग अपनी कमजोरी मानते हैं । राजस्थान के अन्दर जनवादी आन्दोलन कमजोर है इसीलिए आप कह कहे लगा रहे हैं । लोगों के भूखों मरने की बात पर जवाब में आपको मजाक उड़ाने का मौका मिलता है । आप याद रखें कि अगर आप इस तरीके से लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करेंगे, लोगों के स्टार्वेशन का मजाक करेंगे तो केवल १०५-११० या १२० भी आप यहां हों अपना बहुमत बना कर आप चाहेंगे कि लोगों को काबू में रख सकेंगे तो यह मुमकिन नहीं है ।

देश का जिस तरह का विधान है, जिस तरह का चुनाव का सिस्टम है यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का न रख कर, केवल इस कारण कि आपके पास सत्ता है, आपके पास पैसा है, जीपें हैं, इस कारण से आप कुछ बनावटी चुनाव करके अगर आप अपना बहुमत प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित तौर से हिन्दुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस के शासन को हर्गिज बर्दाश्त नहीं करने वाली है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर चुनाव के जरिये, इन आन्दोलनों के जरिये, जनता के स्ट्राइक्स के जरिये, जिसके ऊपर आपको नाज है कि आपकी कलेक्टरी का काम बदस्तूर चलता रहा, जिसका आपको नाज है कि दफ्तर का काम बदस्तूर चलता रहे, लेकिन जनता के आन्दोलनों के जरिये ऐसी स्थिति पैदा कर दी जायगी कि कांग्रेसी राज्य खत्म हो जायेगा, कांग्रेस का राज्य बन्द हो जायेगा ।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

राजस्थान का कोई आदमी आपको कोआॅपरेट नहीं करेगा ऐसे भ्रष्ट शासन को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, और आपका खुद का, क्षमा करें, सड़कों पर निकलना बन्द कर देंगे । आप भूले नहीं होंगे, अलवर के स्टूडेन्ट्स के एजीटेशन को, भूले नहीं होंगे जयपुर के हाई कोट के एजीटेशन को जब आप पांच-पांच मील का चक्कर लगा कर आते थे । वही हालत आपकी हो जायगी अगर आपने जनता की मांग के बारे में आपने इस तरीके का रुक अपनाया तो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल टोंक का ही प्रश्न नहीं है । जब ६ मार्च को राजस्थान बन्द हुआ तो इसी तरीके के कितने ही बड़े बड़े जुल्म इस सरकार ने किये हैं । अलवर के किसानों का आन्दोलन हुआ, घर बैठे लोगों को गिरफ्तार किया और झूठे आरोप लगाये । जगह जगह हमारे साथी एस० एस० पी० वाले आन्दोलन करते हैं और और साथी आन्दोलन करते हैं तो यही तरीका सरकार ने अपनाया हुआ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस रास्ते को बदलें, वर्ना इसका नतीजा बंगाल, या आसाम या त्रिपुरा से भयंकर होने वाला है । आप इस आराम की नींद में मत सोइये कि जनता को आप अब भुलावे में डाल सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री दुर्गालाल बाढवार (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो मिनिट का समय....

श्री उपाध्यक्ष : Please accommodate him now.

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक की स्थिति को लेकर सदन ने कई मसलों के ऊपर विचार किया, नीतियों के ऊपर विचार किया और विशाल विषमताओं को सदन के सामने रखा। जहां तक टोंक की स्थिति का प्रश्न है, मैंने स्वयं ने देखा है इस बात को कि एक स्थिति वहां जो नहीं होनी चाहिए थी वह पैदा हो गई। यों तो राजस्थान के स्तर पर वे आन्दोलन और धरने कुछ व्यापकता के आधार पर प्रारम्भ किये गये। इस बात की खुशी है कि दूसरे स्थानों पर जनसंघ का यह धरना किसी भी प्रकार की विषमता ग्रहण नहीं कर सका। यहां अभी तक कितने ही धरने दिये गये लेकिन राज्य सरकार ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कहीं पर किसी प्रकार की विषमता न आये इस आधार पर मुझको यह कहते हुए खुशी होती है कि राजस्थान में धरना देने वाले कार्यकर्ता करीब ३ हजार के गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसी स्थिति दूसरे स्थानों पर नहीं आ पाई। यह दुःख का विषय जरूर है कि टोंक में एक स्थिति बनी। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख कुछ तथ्य जरूर रखूंगा। संभवतः उन तथ्यों का ध्यान कर कुछ निर्णयों पर माननीय सदस्य स्वयं पहुंच जायेंगे।

जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेन्ट में निवेदन किया था कि तारीख १२ को एक घटना घटी और उस घटना के आधार पर कुछ लोगों ने धरना ही नहीं दिया बल्कि कलेक्ट्री में दाखिल हुए। इधर इस्तेमाल करने का वे प्रयास करने लगे। उस प्रयास में पुलिस ने उनको रोका और कुछ स्थिति ऐसी हुई जो सम्भाली गई, कुछ तो गिरफ्तार किये गये। १२ तारीख की स्थिति जो बलप्रयोग की थी वह सम्भाली।

एक तथ्य यह है, इस तथ्य के संदर्भ में तारीख १४ का जो प्रश्न है उसका अध्ययन किया जाना चाहिये। तारीख १४ को जो कुछ हुआ उसके संबध में माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में जो एक धारणा है वह गलत है, १४४ धारा के बारे में बार बार कहा गया कि टोंक में इस स्थिति का नियंत्रण करने के लिये पहले से ही १४४ धारा लगा दी गई थी। यह बात ठीक नहीं है। कोई १४४ धारा नहीं थी। जहां तक धरनों का प्रश्न है, राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश था कि शान्तिपूर्वक धरना दिया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं की जाय। टोंक के मसले के बारे में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा जिससे संभवतः निष्कर्ष निकल सके। मैं पुलिस के अधिकारी, जो घायल हुए हैं उनका ब्यौरा आपके सामने रखता हूं। पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

एस. आई. (सब इन्सपेक्टर)	२ घायल हुए
हैड कांस्टेबल	२ घायल हुए
कांस्टेबल	३२ घायल हुए

टोटल ३६ पुलिस अधिकारी घायल हुए, इन घायलों का मुआयना तारीख १४ को वहां के अस्पताल में किया गया। और साथ ही जनता के लोग जो घायल हुए उनका भी मुआयना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वहां पर किया गया, करीब २३ का तारीख १४ को और ४१ का तारीख १५ को मेडिकल एक्सामिनेशन हुआ। तारीख १५ को जिनका मुआयना हुआ बदकिस्मती से उनमें २ व्यक्ति वे भी थे जो तारीख १३ को कारावास में थे उनका मुआयना नहीं हो पाया। २ व्यक्ति और थे जिनके मुआयने पर इन्जरीज नहीं पायी गई। तो मैं दोनों तरफ के घायलों को देख कर निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुलिस अधिकारी ३६ घायल हुए जिनका मुआयना १४ तारीख को हुआ और जनता के लोग भी इसमें घायल हुए। यह इसका प्रमाण है कि दोनों तरफ से या एक तरफ से किसकी तरफ से उत्तेजना हुई इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। माननीय सदस्य जो टोंक से आये हैं वे चश्मदीद गवाह हैं जैसा कि उन्होंने कहा और सार जो उनके कथन से निकला वह है—उन्होंने कहा कि जनता ने क्षुब्ध होकर पथराव किया वह भी बाद में पहले नहीं। यह विवादास्पद प्रश्न है। उनके कथानुसार जनता ने पत्थर फेंके घटना के बाद में फेंके या पहले फेंके इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ता हूं। जनता ने पत्थर जरूर फेंके, लेकिन कब फेंके, किस स्थिति में फेंके, मैं इसमें नहीं जाता—यह शहादत का प्रश्न है, संभवतः आगे खुलासा हो सके।

उन्होंने एक बात और कही उससे भी प्रकाश पड़ता है। उन्होंने कहा टिक्कीवाल, आर. एस. एस. कार्यकर्ता ने पुलिस का डंडा प्रोटेस्ट में पकड़ा। मैं इस प्रश्न को भी छोड़ देता हूं। क्यों पकड़ा? यह क्योंकि विवाद का प्रश्न है इसलिये छोड़ता हूं। लेकिन यह प्रश्न सामने जरूर आता है कि पुलिस के ३७ आदमी सब-इन्सपेक्टर, हैड कांस्टेबिल, आदि गिरफ्तार हुए ...

एक माननीय सदस्य : गिरफ्तार हुए या घायल हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : घायल हुए। इन सर्कमस्टांसेज पर निष्कर्ष पर पहुंचने का आगे का प्रश्न है। निष्कर्ष पर पहुंचने का कि जहां पुलिस के आदमी घायल हुए, जहां डंडा पकड़ा, जहां जनता के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके यदि उनको लिन्क किया जाय तो एक स्टोरी जरूर बनती है। वह स्टोरी किस प्रकार से बनती है उसको मैं यहीं छोड़ता हूं, लेकिन माननीय सदस्यों के विचारार्थ महत्व का प्रश्न जरूर है।

१४ तारीख को जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया असामान्य घटना रही। राजस्थान के किसी भी हिस्से में, इस बात की सरकार को प्रसन्नता है, ऐसा उग्र आन्दोलन जिसके संबंध में पहले भाषण दिये गये जैसा कि मैंने पहले स्टेटमैन्ट में निवेदन किया—भाषण नेता लोग यदि सयंम से देते हैं, एक दो वाक्य उग्रता के आ जाते हैं तो सुनने वाले नेता की भावना को उस रूप में नहीं समझते जिस भावना से नेता ने कहा है। उसके पीछे पृष्ठभूमि जरूर रही। भाषण उग्र रहे जनता उसको किस किस तरह लेगी यह प्रश्न है? तारीख १४ और १२ की घटना टोंक में देखी जाय तो स्पष्ट हो जाता है, सर्कमस्टांसेज ऐसे थे जिसे वहां के कार्यकर्ता और जनता उग्र होकर धरना देने को आगे बढ़ी थी। मैंने पूरा विश्लेषण किया है तारीख १४ को कोर्डन कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) एक बात और स्पष्ट कर दीजिये। धारा १४४

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं थी, प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो गये तो फिर कोर्डन करने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : वहां मैं आता हूं। जिस जगह कलेक्टोरेट है जिसमें कई अदालतें हैं। उन अदालतों के दो दरवाजे हैं। जो दरवाजों से दाखिल होकर जैसा कि भाषणों से प्रकट होता है कि यदि कलेक्टर अन्दर रह गये तो अन्दर ही रहेंगे और यदि बाहर आ गये तो अन्दर नहीं जा सकेंगे। यह स्पष्ट है कि इतनी मोब कलेक्टोरेट के अहाते में जहां पर कई अदालतें हैं, धरना दें, मुमकिन है १२, १४ आदमी अनुशासन में रह सकें कार्यकर्ता जिनको अनुशासन में रहने की ट्रेनिंग हो, लेकिन उनके पीछे भीड़ धक्का देकर दरवाजे में घुसने का प्रयत्न करे। ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिये कोर्डन लगाया गया है उसको तोड़ने का प्रयत्न करे, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न और परिस्थिति अपने आप किसी कदम को लेने को बाध्य करती है। ऐसी स्थिति में दरवाजा तोड़ने को भीड़ दाखिल हो, अदालत को डिस्टर्ब करने जा रही है, धरने का रूप उग्र हो—ऐसी स्थिति में पुलिस को रोकने की कार्यवाही और रोकने की कार्यवाही में उनका घायल हो जाना, एक को डंडा पकड़ते जरूर देखा लेकिन प्रोटेस्ट में रोका था जैसा कि उन्होंने कहा, पत्थर जरूर फेंके लेकिन बाद में फेंके। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ब्रीच ऑफ पीस का अंदेशा हो गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है माननीय मंत्री जनता द्वारा चुनी गई एसेम्बली में जिम्मेदार मंत्री की तरह नहीं बोल कर एक अदालत में जिस तरह प्रोसीक्यूशन का वकील बोलता है उस तरह से बोल रहे हैं। माननीय सदस्य ने स्टेटमेन्ट दिया उनके शब्दों को इस तरह से इधर उधर तोड़ मरोड़ कर, उनके शब्दों को पकड़ कर इस तरह से बोल रहे हैं कि पुलिस को बचाया जाय। उन्होंने कहा कि डंडा पकड़ा इस बात को छोड़ देता हूं, पथराव किया इसको छोड़ देता हूं। यह शर्म की बात है कि इस एसेम्बली के अन्दर गृह मंत्री इस तरह से बोलते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया ...

(श्री राधाकृष्ण गोयल भी साथ में बोलने लगे अश्रव्य)

वहां पर गंभीर स्थिति हुई, सदन में कहा कि वहां पर उसमें से पत्थर निकाले गये और भयंकर रूप से पथराव हुआ, जिसमें ३७ पुलिस अधिकारी घायल हुए। कोर्डन को बचाने के लिए पुलिस ने लाठियों से पुश बैक किया और पुश बैक करते हुए कहा जाता है कि पुलिस की लाठी पकड़ी यह सब हुआ—ब्रीच ऑफ पीस, डिसऑर्डर और आगे की भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी यह प्रमाणित है। मैं उससे आगे नहीं जाना चाहता। तारीख १२ का वाकया है और तारीख १४ का वाकया है उनमें धारा १४७, १३२ और कुछ और सैक्शन्स है जिनमें पकड़ा गया है—मैंने सारी व्यवस्था सदन के सामने रख दी जो कुछ तथ्य निकलते हैं वह रख दिये। इससे आगे मैं नहीं कह सकता इसलिये कि वहां पर इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, कहीं हमारी मान्यताओं का असर उस पर नहीं पड़े। इसलिये यह जरूर कहूंगा कि पुलिस ने जो संयम रखा, आगे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
आने वाले भयंकर नतीजे हो सकते थे उनको अवोइड किया।

अगर माननीय सदस्य संतुलित दिमाग से इस प्रश्न पर सोचें कि पुलिस की इस मौके पर प्रसंशा की जानी चाहिए। यह मैं बता देना चाहता हूं कि इसके कांसीक्यूएन्सेज क्या होते, जिस ढंग से पथराव हुआ, जिस ढंग से परिस्थितियां उत्पन्न हुई वह यदि पुलिस के नियंत्रण के बाहर चली जातीं तो विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस संबंध में मैं अब अधिक नहीं कहना चाहूंगा।

इसके अलावा जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाए वह मुझसे संबंधित नहीं हैं। टौंक का जो प्रश्न उठाया गया वह इन्वेस्टीगेशन में चल रहा है और इसलिए मैं इस मसले पर अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहता। इतना विश्वास मैं अवश्य दिलाना चाहता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टीगेशन में टैम्परिंग नहीं होगा, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि श्री गोयल इस मामले में एक चश्मदीद शहादत हैं उनसे इन्वेस्टीगेशन के अन्दर मदद ली जायगी ताकि और ज्यादा इन्वेस्टीगेशन हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्री!

भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मन्त्रीजी ने स्टेटमैन्ट दिया है उस स्टेटमेन्ट पर रूल्स के अनुसार मुझे आपत्ति है क्योंकि उसमें दो प्रकार की बातें कह कर उन्होंने रूल्स की अवहेलना की है—एक तो उन्होंने यह कहा कि मुकदमे चल रहे हैं इसलिए वह कोई अधिक बात नहीं कहना चाहते। आपने उपाध्यक्ष महोदय, इनके भाषण को शुरू से लेकर अन्त तक सुना और इसके पहले उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया वह भी सुना। दोनों स्टेटमेन्ट में इन्होंने जो स्पष्ट रूप से पुलिस ने जो कुछ किया है उसके एक्शन की प्रसंशा की है। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है वह जस्टीफाइड था और जिन लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई वह उनकी गलती थी, और आपके अनुसार उन्होंने कानून का उलंघन किया इसलिए कई धाराओं के अन्तर्गत उनके खिलाफ मुकदमें बने और अब उनका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। यह बात उन्होंने अपनी जबान से कह कर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अब उन अदालतों में और खास तौर से उन अधिकारियों की अदालतों में, जिनका जिक्र किसी न किसी भाषण के अन्तर्गत सदन में आया है और जो अदालतें ऐसे सरकारी अधिकारियों से प्रभावित हैं, जो मुकदमे चलेंगे उनके लिए ऐसे तथ्य कह कर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अब जो मुकदमें चलेंगे उन मुकदमों का फैसला, जो कुछ भी मंत्री जी ने इस सदन में कहा है, उसके विपरीत नहीं जा सकता है और सारे मामले इन्वेस्टीगेशन की स्टेज में चल कर आगे जब कोर्ट में इन्क्वायरी चलेगी, उस इन्क्वायरी के स्टेज तक सारे मामले को जो आज सबजुडिश है, उसके सम्बन्ध में एक कैटेगोरीकल स्टेटमेंट देकर मंत्री महोदय ने प्रभावित किया है। इसलिये मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री के स्टेटमेंट के उन अंशों को, जो अंश पुलिस के एक्शन के को जस्टीफिई करते हैं और विपरीत पार्टी के खिलाफ हैं, मुकदमों में जो विपरीत पार्टी है उसके खिलाफ हैं, और जिस प्रकार का इन्होंने वर्णन दिया है हाउस में होम मिनिस्टर के नाते, उन सब अंशों को प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज किया जाय। इसका फैसला आप कर दीजिये फिर दूसरा पोइन्ट उठाऊंगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट में यह साफ नहीं हो सका कि लाठी चार्ज हुआ कहां ? कलेक्टर ऑफिस की बाउन्ड्री में हुआ या बाहर हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो प्रश्न आया है...

श्री केदारनाथ : दूसरे यह कि लाठी चार्ज होने के पहले दूसरे तरीके इस्तेमाल में लिये गये या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका पहले जवाब दे दिया जाय।

माननीय भैरोंसिंहजी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने जो कुछ थोड़े शब्द कहे स्पष्टीकरण के अन्दर, वह किसी प्रकार से इन्क्वायरी को प्रभावित करेंगे, इसलिये क्या उनको एक्सपंज कर दिया जाय ? तो ऐसी स्थिति परम्परा एवं नियमों के अनुकूल उपस्थित नहीं होती और इसलिये मैं इसको आवश्यक नहीं समझता कि वह अंश एक्सपंज कर दिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या रूल्स नहीं हैं ऐसे ? रूल्स नहीं हैं क्या ऐसे ?

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंशन के लिये यही रिवाज है कि कोई अभद्र या अनपार्लियामेंट्री चीज कही जाय तो वह एक्सपंज हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा तो निवेदन नहीं करना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना कर सकता हूं आप बुरा नहीं मानें, आप रूल्स को पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स को पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रूल्स को पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बतादें, किस रूल के मुताबिक ?

श्री भैरोंसिंह : रूल्स की किताब मेरे पास नहीं है। आपके सामने सेक्रेटरी महोदय बैठे हैं, उनको आप आदेश दीजिये कि रूल्स निकाल कर, पर्टीक्युलर सेक्शन निकाल कर आपके सामने रखें।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का कोई रूल नहीं है जिसमें यह हो कि यहां कोई स्टेटमेंट दिया जाय और उसका किसी प्रकार का कहीं भी प्रभाव पड़ता हो तो उसको एक्सपंज किया जाय। इसके बारे में मैं बिल्कुल निश्चयमत हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप निश्चय हैं तो मैं भी निश्चय हूं। रूल्स में है कि जो केसेज अन्डर इन्क्वायरी या अन्डर इन्वेस्टीगेशन हैं उन पर चर्चा न की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो केसेज अन्डर इन्क्वायरी हैं उन पर चर्चा सदन में नहीं हो-यह एक चीज है और उन पर चर्चा हो जाय उसको एक्सपंज करायें यह दूसरी चीज है और उसको.........

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि जो चर्चा नहीं होनी चाहिये वह हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : अब वह एक्सपंज नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : आपके बैठे बैठे हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी हो।

श्री भैरोंसिंह : क्योंकि चर्चा हो गई इसलिये वह एक्सपंज नहीं हो सकती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चर्चा तो आपकी वजह से हुई है।

श्री भैरोंसिंह : हमारी वजह से हुई या नहीं हुई लेकिन हमने इसलिय चर्चा उठाई कि सरकार ने जिस समय लोगों को जेल से छोड़ा, उस समय कह दिया था कि आज तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, तुम्हारे से बल नहीं ली जायगी, तुम्हारे से पर्सनल बॉण्ड नहीं लिया जायगा, तुम्हारे मुकदमे सारे वापिस कर लिये गये हैं और यही कह कर स्टेट गवर्नमेंट ने रेडियो पर अनाउन्समेंट किया है कि १२, १३ और १४ को जो व्यक्ति इस सिलसिले में पकड़े गये ह उनको छोड़ दिया जायगा और उनके खिलाफ मुकदमे वापिस ले लिये जायेंगे। जिनको सजायें हो चुकी हैं और जिन्होंने सजा भुगती नहीं हैं उनको वापिस ले लिया जायगा। इस लाइट में और गवर्नमेंट के एश्योरेन्स के ऊपर, गवर्नमेंट के एश्योरेन्स के ऊपर और पूरे एक्शन के ऊपर हमने इस चर्चा को उठाया है। अगर इस चर्चा के पहले माननीय मंत्री कहते कि मुकदमे चल रहे हैं और चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि डिबेट का टर्न दूसरी तरफ होता। लेकिन उन्होंने अब कहा है। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने कुछ शब्दों को लेकर उन्हें किस प्रकार से तोड़ा–मरोड़ा है – उस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वह उनकी कला है क्योंकि वह प्रेक्टिस करते थे और प्रेक्टिस का अभ्यास कभी कभी सदन में कर लेते हैं। वह अभ्यास पूर्ति उन्होंने की है। उन्होंने पुलिस ऑफिसरों को जितनी चोटें आई हैं उनकी गिनती बताई है और बाकी की जनता को चोटें खिलाकर डाक्टरी मुआयना किया गया है, उसकी गिनती बता कर उन्होंने जस्टीफाई करने की कोशिश की है कि आखिर झगड़ा हुआ। हमने कब इन्कार किया है कि झगड़ा नहीं हुआ, हमने कब इन्कार किया है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ? हमने यह कब कहा? लेकिन मेरी एक बात, जो मैंने कैटेगोरिकली कही थी उससे वह इन्कार नहीं करते हैं। उनकी तरह ही मैं आर्ग्यूमेंट देऊं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पहला पत्थर टोंक के कलेक्टर के चपरासी ने फेंका और पुलिस ने बिना ऑफिसर के लाठी चार्ज के ऑर्डर के डण्डे बरसाये यह बात भी उन्होंने स्वीकार की। यह दो बातें स्वीकार करने के बाद मैं, जब शुरूआत पहले पुलिस ने की, शुरूआत टोंक के कलेक्टर के चपरासी ने पत्थर फेंक कर की, उसके बाद में आप पुलिस के एक्शन को किस तरह जस्टीफाई करते हैं, किस तरह उसके एक्शन को न्यायोचित मानते हैं—यह कह कर कि सेंतीस पुलिस के आदमियों को चोटें आई हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह न्याय का तकाजा है इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे मेरे साथ चलें और उन पुलिस के सिपाहियों को देखें कि उनके कितनी चोटें आई हैं और कितने लोगों के खून निकला है। किसी भी सिपाही के खून निकलने का सवाल नहीं है। मुझे खुद लोगों ने बताया है कि उनको यह हुक्म दिया है कि पत्थर लेकर रगड़ो ताकि तुम्हारी चोटों को दिखाया जा सके ; यह लिखाया जा सके कि सिपाहियों के इतनी चोटें आई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय उन पुलिस के सिपाहियों के चोटें आईं उस समय वहां पर एस. पी. खड़े थे, वहां के कलेक्टर खड़े थे और

(श्री भैरोंसिंह)

बाकी के ऑफिसर खड़े थे तो उनको भी चोटें क्यों नहीं आईं ? इनके सिर क्यों नहीं फूटे ? उनकी टांग क्यों नहीं टूटी ? क्या मैं यह समझूं कि आपके कायर ऑफिसर सिपाहियों को चोट खाने को छोड़ कर कलेक्टोरेट में जाकर घुस गये और उन्होंने कायरता दिखाई। इसका मतलब यह है कि पुलिस के ऑफिसरों को और दूसरे ऑफिसरों को अपने शरीर की चिन्ता है। सिपाही मरते हैं या नहीं मरते हैं इसकी चिन्ता नहीं है, सिपाहियों के सिर फूटते हैं या नहीं, इसको चिन्ता नहीं है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जो एस. पी. हैं उनको इस विधान सभा के सामने लाकर खड़ा करें और उनके सिर से लेकर ऐडी तक देख लें, उनके कहीं पत्थर लगने का निशान नहीं होगा। वहां जो कलेक्टर खड़े थे, वहां जो ए. डी. एम. खड़े थे, वहां जो डिप्टी एस. पी. खड़े थे और जो इन्स्पेक्टर खड़े उनको यहां बुला लीजिये और देखिये कि कहीं उनके चोट आई हैं या नहीं ? उनके कहीं चोट आई नहीं और आप कहते हैं कि वह बीच मैदान में खड़े थे। जो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट यह कहते हैं कि मैंने लोगों को पत्थर फेंकते देखा है, तो उन्होंने लोगों को पत्थर फेंकते देख कहां से लिया जबकि वह भीड़ में खड़े ही नहीं थे और इसलिए ही उनके एक भी पत्थर नहीं पड़ा।

मैं ऐसा समझता हूं कि जनता की हमदर्दी पुलिस के सिपाहियों के साथ हो सकती है और वह सिपाहियों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहेगी। लेकिन जो ऑफिसर इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं उनका वह सिर फोड़ सकती है। तो जो वहां ऑफिसर थे उनके तो चोट आई नहीं और सिपाहियों के चोट आ गई, यह एक इसमें एनोमॉली है। इसके अलावा आप डाक्टरी मुआयने की बात करते हैं, ३७ व्यक्तियों के जिन डाक्टरी मुआयने की बात करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन सब लोगों को इस विधान सभा के सामने लाकर खड़ा किया जाय। मैं आपके मुंह पर उन सिपाहियों से कहला सकता हूं कि उन्हें मजबूर किया गया है कि निशान बनाओ। मैं उनके मुंह से कहला सकता हूं कि उन्हें यह कहा गया है कि तुम यह कहो कि अमुक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका और मेरे चोट आई। आप कहते हैं कि १४४ लगी हुई नहीं थी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब १४४ धारा लगी हुई नहीं थी और प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो गये थे उसके बाद में रस्सा लगा कर आमद-रफ्त का रास्ता बन्द करने का जो अधिकार आपने प्रयोग किया वह आपको किसने दिया था ? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया था ? क्यों कलेक्टोरेट में रस्सा लगाकर जाने वालों को रोका गया ? जो हॉस्पीटल में मरीज आते हैं उनको क्यों रोका गया—इस तरह रोकने का आदेश किसने दिया था।

(४.०० म. प.)

अब आप यह कहते हैं कि मॉब वोइलेंट हो गया और इस वजह से आपको लाठी चार्ज करना पड़ा। मैं समझता हूं कि इसके लिये भी कानून है और मैं कानून का जानने वाला नहीं हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी कानून जानते हैं और मैं यह कह सकता हूं कि अधिकारियों को पहले से ही वहां पर धारा १४४ लगानी चाहिये थी और नहीं लगाई गई और बाद में लगाई तो लोगों को यह कहा जाना चाहिये था कि धारा १४४ लगादी गई है। मॉब यहां से

Page No. 96

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्पर्स हो जावे। मगर ऐसा नहीं किया गया। आपको यह चाहिये था कि पहले लोगों को इसकी इत्तिला और जानकारी देते कि धारा १४४ लागू कर दी गई है और वे लोग यहां से चले जावें और उसके बाद में अगर वे लोग वहां से नहीं जाते तो लाठी चार्ज कर सकते थे और उसके बाद में अश्रु गैस का प्रयोग करते। मगर जब आपने वहां पर धारा १४४ लागू ही नहीं की और लोगों को कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं दी और महज लोग इधर-उधर खड़े हों, उन पर लाठी चार्ज किया गया यह कहां तक उचित था ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कल मैं टोंक में था। जलसा निकल रहा था। मैंने लोगों से कहा कि जो मैं आपको नारे बताऊं उनके विपरीत एक भी नारा आपने लगाया तो मैं कभी भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं हूं। यह मैंने कलेक्टर को कहा और वहां एस. पी. को कहा। मगर वहां हुआ क्या ? मैं यह कहूंगा कि मेरे पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई ताकि वहां पर बलवा हो जावे। खुशकिस्मती से मेरे कोई पत्थर सिर पर नहीं लगा। अगर मेरे पत्थर लग जाता और सिर फूट जाता तो सिपाहियों का वहां पर जो चित्र था, वह किस रूप में सामने आता। मुझे कहा पत्थर आ रहे हैं। मैंने कहा कि एक-आध पत्थर आया होगा लेकिन एक आध पत्थर नहीं बहुत से पत्थर आये। दो तीन पत्थर नहीं आये बहुत से पत्थर आये और कई कार्यकर्ताओं के लगे। एक को लगा उसने कहा पत्थर आते हैं, दूसरे को लगा उसने कहा पत्थर आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा चुपचाप पत्थर खाते रहो मगर इसकी चर्चा मत करो। उसकी चर्चा करने के लिये मैंने उनसे मना कर दिया। आज वही हुकूमत यह कहे कि पुलिस ने जो कुछ किया वह वाजिब है। मैं यह कहूंगा कि गृह मंत्रीजी इस प्रकार की बातें कहते हैं वे शोभनीय बातें नहीं हो सकतीं। इसका प्रमाण तो उनको तभी मिल सकता है जब गृह मंत्री वहां चल कर देखें।

आप यह कहते हैं कि थानेदार का डंडा पकड़ा। आप थानेदार के डंडे पकड़ने की बात कहते हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर कोई मेरे डंडा मारे और मैं उसका अपने बचाव के लिये डंडा नहीं पकड़ूं और डंडे खाता रहूं बेकुसूर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उस डंडे को लेकर उसका सर फोड़ देता, यह मेरा डिफेन्स है। अगर कोई बिना कसूर लाठी मारे और चलाए तो महात्मा गांधी के अनुयायी उसको खाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हमको भी डिफेन्स का कानून में अधिकार दिया है। उन अधिकारों का प्रयोग किया जाए। आप उसके डंडा पकड़ने की बात कहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह लोकतन्त्र का प्रश्न है और आप उसकी रक्षा के लिये विराजमान हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण की सीमा होनी चाहिये। लाठियों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : झूठ बोलने की भी तो कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री **भैरोंसिंह** : मैं यह कहूंगा कि आपको वहां की समस्या का पता तो उस समय लगता

(श्री भैरोंसिंह)

जब आप स्वयं वहां पर उपस्थित होते और आप वहां पर देखते। जैसा रामानन्दजी ने अभी कहा, आज लाठी हम पर पड़ती है, कल उन पर पड़े। यह सरकार तो शिष्टाचार के नाते लाठी चलाती है। सरकार हमेशा जनता के आन्दोलन को लाठी के जरिये से दबाने की कोशिश कर रही है। उसको जिस प्रकार से आप जस्टीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यह आपका रवैया ठीक नहीं है। जहां जहां आन्दोलन हुए हैं उनको दबाने की कोशिश गोली और लाठी चार्ज के बिना नहीं की है। सारी कांग्रेस की हुकूमत ने केवल लाठी के बल पर हुकूमत की है। अगर लाठी की हुकूमत नहीं है तो आपको कहूंगा कि अधिकारी वहां पर चाय की प्याली नहीं पी सकते। पहले भी निवाई में चाय पी। अगर गृह मंत्री स्वयं वहां पर चले चलें तो उनको सारी स्थिति का पता लगे, आखिर वहां पर १५ पुलिस के सिपाही और एस. पी. और कलेक्टर और कहां वहां टोंक की १२ हजार जनता, वे वहां पर कैसे घुसते? आपने पत्थर फेंकने के इल्जाम लगाये। आपने पत्थर इकट्ठे करा कर रखे। आपने वहां पर फोटो खिचवाये। मैं यह कहूंगा कि जो तीन पत्थरों को एक तरफ रख दिया जावे तो दूसरी तरफ कलेक्टर और एस.पी. को बिठा दिया जावे; इतने वजनी पत्थर हैं। यह सिद्ध करता है कि पत्थर पहले से इकट्ठे किये गये।

मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार का अगर यही रवैया हो कि जब तक सरकार के कागजात नहीं जलाए जाएं, भवनों की तोड़ फोड़ नहीं की जावे, लोगों पर जूते और कूड़ा मुंह पर नहीं फेंकेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी और जब तक जनता की दुकानों में आग नहीं लगेगी, हम झुकने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत मामूली सी बात है। एस. पी. और कलेक्टर ने ज्यादती की। जनता को अधिकार है कि जब उन पर लाठी चार्ज किया गया तो उसकी जूडिशियल इन्क्वायरी करावें। आप जांच उन लोगों से कराते हैं जिन्होंने इस प्रकार के काण्ड किये हैं। तो उनके द्वारा जो जांच होगी वह निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो आप मुकदमे की बात कह कर लोगों को हैरान करने का दूसरा तरीका अपना रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को फौरन ऑर्डर करना चाहिए कि उसकी जुडिशियल जांच होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक विधान सभा चलेगी तब तक प्रतिदिन यह प्रश्न विधान सभा में आता रहेगा। इस लाठी चार्ज की निन्दा हमेशा की जावेगी और मैं तो यह कहूंगा कि आपके पक्ष की ओर बैठने वाले लोग हैं वे इस बात को छोड़ें कि आज जनसंघ पर लाठी चल रही है उन पर नहीं चलेगी। आज आप में भी जो असंतुष्ट ग्रुप हैं उन पर भी लाठी चलाने की व्यवस्था हो सकती है और आप करते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि आप लोग तो अपने घर वालों को भी खाने के लिये तैयार हैं तो दूसरों को छोड़ने की बात नहीं है।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले भी इसी मंत्री महोदय ने कहा था कि डीडवाना में गोली नहीं चली और किसी के गोली नहीं लगी। जब यहां बताया गया कि इसके बारे में मजिस्ट्रेट ने झूठा बयान नहीं दिया और जोर दिया गया तो

(श्री भैरोंसिंह)
१५ मिनट के बाद हमने सदन में रेकर्ड पेश किया तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसे स्वीकार किया और १५ मिनट बाद उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये कहा। लेकिन आज हमें अफसोस इस बात का है कि बदकिस्मती से आज यह कुर्सी ऐसे व्यक्ति को मिली है जो एक हिसाब से तो मेरे दोस्त हैं मगर दूसरे हिसाब से वे गलत बात कहने में और बातों को तोड़-मरोड़ करने और कहने में बड़े माहिर हैं। मुझे इस बात का पता नहीं कि उन्होंने इस बारे में किसी युनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया है या नहीं। अगर ऑल इंडिया बेसिस पर या इंटरनेशनल बेसिस पर झूठ बोलने का कोई कॉम्पीटीशन हो तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारे मंत्री महोदय राजस्थान की नाक कभी भी नीचा नहीं होने देंगे।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (गृह मंत्री) : एक लेवल के आदमी हैं। अगर ये फर्स्ट आते हैं तो मैं सैकिंड आऊंगा।

श्री **रामकिशन** (वैर) : ऐसा तो माननीय मंत्री मान रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : आपने यह फरमाया कि हम दोनों एक लेवल के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सब बातें गलत कही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने आप झूठे हो गये। मैं यह कहूंगा कि जो मंत्री हाउस में खड़ा होकर इस बात को स्वीकार करे कि मैं झूठा हूं और हाउस में इस बात को स्वीकार करे कि मैंने झूठ नहीं बोलने की संविधान की शपथ ली है, तो उसने इसमें संविधान का उल्लंघन किया है। इसलिये इस नाते भी वे सदन के बाहर तशरीफ ले जावें और अगर वापिस आना है तो दुबारा शपथ संविधान की लेकर आवें और कहें कि आज से सही बात कहने की शपथ ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह उनकी समस्या होगी। मैं कहूंगा कि यह आपकी समस्या नहीं। मैं यह कहूंगा कि यह दामोदरजी व्यास के लिये समस्या पैदा हो गई है। आप घर में ही चाहते हैं कि यह नाइत्तफाकी हैं। आप टोंक में फिज़ा पैदा करना चाहते हैं जिससे उनको टोंक से खड़ा होने की सुविधा न हो और वहां की स्थिति खराब हो गई। यह स्थिति पैदा करना . . .

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यह ऊंचे दर्जे की कलाबाजी है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी ऊंचे दर्जे की कलाबाजी है या नहीं, पर एक बात कह रहा हूं कि आप इनको कलाबाजी खिला रहे हैं। बाकी के मन्त्रियों को पोर्टफोलियोज सुखाड़ियाजी ने दिये तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई पर जब लोगों ने सुना कि श्री निरंजननाथजी आचार्य को गृह मन्त्रालय मिल गया तो लोगों ने ऊंची अंगुलियां कर के कहा—हे भगवान! न मालूम यह कितने अन्याय करेगा, कोई सीमा नहीं। आज यह स्थिति राजस्थान में आपके लिये बनी हुई है। बाहर आप कोई खुराफात करें, कोई मिस्चीफ करें वह तो जनता जानेगी पर इस सदन में आप खुराफात की भावना को छोड़ दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टोंक में जब आप गये तो हमने भी हाथ ऊंचे कर दिये कि न मालूम क्या क्या तोड़-मरोड़ करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है, पत्थर आपने फिकवा दिये, पर मैं भगवान की कृपा से बच कर आ गया, इस बात का आपको दुःख है। पर मैं आपको यह कह दूं कि इस मामले की जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं करायेंगे तो हमें तो टोंक में फिर जाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, लाठी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार भाषण दे चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कृपा है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तो क्या कृपा है, आप सदन पर कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : सदन ने मुझ पर कृपा कर रखी है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मसूदा में किसान किसी बात को लेकर आन्दोलन करें और मसूदा के किसानों पर लाठी चला दी जाय तो आपकी भावनाएं तब तक उभरती ही रहेंगी जब तक कि उसकी जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं करवाई जाय। मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, इस वकालत के लिये समय नहीं दिया जाय तो यह मेरी बदकिस्मती है।

मैं राजस्थान के मंत्री-मण्डल से निवेदन करूंगा कि सिच्युएशन अग्रेवेट न हो जाय उससे पहले सम्भल जांय, सिच्युएशन को काम डाउन करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस सारे मामले की जुडिशियल एन्क्वायरी करा लें, जुडिशियल एन्क्वायरी होगी, आपकी खुशी से हो या ना खुशी से हो। आज जनता जानती है कि सरकार को किस तरह झुकाया जाता है, वह झुकाने का तरीका मिल कर इस्तेमाल किया तो सरकार तो साष्टांग प्रणाम करती है। रात-दिन देखते हैं कि सरकार को किस तरह साष्टांग प्रणाम कराया जाता है। अगर सरकार उस तरीके को इस्तेमाल करने के लिये मजबूर ही करना चाहती है तो मजबूरी में क्या नहीं होता, इस चीज पर विचार करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री-परिषद् इस मामले को गम्भीरता से ले और इसकी जुडिशियल एन्क्वायरी करा लें। जिसके पक्ष में फैसला होता है उसके अनुसार जिसको दण्ड देना हो दण्ड दें।

एक बात मैं अन्त में निवेदन कर देना चाहता हूं। मन्त्रीजी ने कहा कि पहले २३ आदमियों के चोटें आई उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर बाद में ४१ आदमियों का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ जिनके कि चोटें आई थीं, इससे स्पष्ट हो गया कि अगर हम वहां नहीं पहुंचते और उनको यह विश्वास नहीं दिलाते कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको गिरफतार नहीं किया जायगा तो इन ४१ आदमियों का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ही नहीं होता। यह इस बात का सबूत है कि लोग वहां कितने डरे हुए हैं, पुलिस ने कितना भयंकर आतंक वहां फैला रखा है। जिन लोगों के चोटें आई वे घरों में सो गये, हॉस्पिटल पट्टी बंधाने नहीं गये। इससे साफ साबित होता है कि पुलिस ने कितना आतंक फैला रखा था। जो हॉस्पिटल में गये थे उनके रिश्तेदारों को धमकाया गया कि वे लोग जुलूस में शामिल नहीं हों, अगर शामिल हुए तो उनकी चोटों से यह साबित किया जायगा कि ये लोग भी उस घटना में शामिल थे, इनके खिलाफ मुकदमे बनाये जाएंगे और दो-दो,

(श्री भैरोंसिंह)
तीन-तीन वर्ष की उन्हें सजा होगी, यह प्रचार सारे टोंक शहर में राज्य के भक्तों ने किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जुडिशियल एन्क्वायरी करायें। अगर जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं करा कर उन्हीं अधिकारियों के तहत तफतीश करवायेंगे, जो कि बदनाम हैं, तो उस दशा में हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि जुडिशियल एन्क्वायरी कराने के लिये हम पूरी ताकत लगा कर और साधन जुटावें।

मैं राजस्थान की मन्त्री परिषद से इतना ही कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक जुडिशियल एन्क्वायरी इस मामले की नहीं होगी हमें टोंक के मामले पर बोलने का आपकी ओर से अवसर प्रदान किया जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटमेंट को रैफर करते हुए मंत्री महोदय ने बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस मामले में दो पक्ष हैं—एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जनता, दोनों पर एक दूसरे द्वारा आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं। तो जिस पर जनता ने आरोप लगाया है उसी पक्ष के जरिये से जांच करवाना चाहते हैं तो यह तो आपकी बुद्धि का नमूना है। जो दोषी हैं उनके हाथों में न्याय करने का अधिकार दे दें तो कैसे न्याय करा सकेंगे? इसलिये इस मामले की जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग की है। उसके सम्बन्ध में सरकार आज नहीं तो कल या सोमवार को घोषणा कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का उत्तर हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम वाक आउट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी इच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वाक आउट करते समय हमें हमारी बात रखने का अधिकार है, उसी अधिकार का हम प्रयोग करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी बहस को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि राजस्थान की हुकूमत इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं। ३६ पुलिस वालों के लाठियां लगीं, चोटें आईं ऐसा मन्त्री महोदय कहते हैं। जनता के ४० आदमियों के चोटें आई हैं, उनकी चोटों के मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद हैं, पांच पांच इंच लम्बी चोटें आई हैं, एक नहीं पांच आदमी ऐसे हैं, जिनके पांच पांच इंच लम्बी चोटें लगी हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय, ३६ पुलिस के आदमियों के और ४१ जनता के आदमियों के इस तरह की चोटें आ जायं, एक सिविलवार की सी स्थिति, गृह युद्ध की सी स्थिति पैदा हो जाय, उसमें जनता में और पुलिस में लाठी चार्ज हो जाय, इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो। हमारे माननीय लायक दोस्त जो पहले वकील रह चुके हैं, साथी निरंजननाथजी...

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप भी थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं भी रह चुका हूं। वे पैरवी के तरीके से विधान सभा में जो पुलिस ने किया, उसकी सफाई पेश करें तो मैं कहना चाहता हूं कि यह आप पुलिस की सफाई नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से सुखाड़िया सरकार के कफन में कील डालने का कार्य कर रहे हैं। आप जनता को भड़का रहे हैं और हम लोग जो विधान सभा में बैठे हैं उनको आप यह कहना चाहते हैं कि हम जनता को बधाई दें कि ३६ पुलिस के आदमियों को घायल कर दिया और डंडों का जवाब डंडों से दिया।

हम फिर कहना चाहते हैं, यह सरकार फिर सोचे, जुडिशियल इन्क्वायरी करानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करानी पड़ेगी। हमें सरकार मजबूर करना चाहती है कि जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिये हम अपनी पूरी ताकत जुटावें। हम जुडिशियल इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं, इस मांग के साथ, सरकार के रवैये के प्रोटेस्ट में अपनी पार्टी के साथ सदन से वाक आउट करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया, हम उम्मीद करते थे कि सारे इस किस्से को रखते हुए कि सरकार का इन आन्दोलनों के प्रति क्या रूख होना चाहिये, इस पर सरकार मौलिकता से विचार करेगी। लेकिन जो गृह मंत्री ने उत्तर दिया है, उसके बजाय सरकार इन सारी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घटनाओं पर खेद प्रकट करती, कोई जुडिशियल इन्क्वायरी का आश्वासन देती या ये घटनायें भविष्य में न हों, इस पर किस तरह से अपोजीशन के साथ बैठ कर कोई बातचीत की जा सके, यह इच्छा प्रकट करती, तो समझ में आता। लेकिन मंत्रीजी ने इस सारे कार्य के लिए पुलिस की प्रशंसा की है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको पदक देना चाहती है। मेरा दल सरकार के इस रवैये पर रोष प्रकट करता है। हम समझते हैं कि वह जनता के उठते हुए आंदोलन को अपनी ताकत से दमन करना चाहती है यही उनका जवाब है। वह अपनी

(घंटी)

नीतियों को, जिनसे जनता परेशान है, बदलने के लिए तैयार नहीं है और वह अपोजीशन से कह देना चाहती है कि हम जनता की ताकत पर कुछ भी करें, क्योंकि उनका बहुमत है, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और बहुमत के आधार पर जनता पुलिस के काबू में न आए तो सेना का इस्तेमाल करके इस प्रकार की घोषणा गृह मंत्री करना चाहते हैं। आप ख्याल रखें कि आपके पास कितनी

(अनवरत-घंटी)

भी पुलिस हो, सेना हो, लेकिन जनता के आंदोलन दबेंगे नहीं। अभी तो पुलिस पर पत्थर पड़े हैं, अगर पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो पत्थर पड़ेंगे ही, कल आपके घर पर भी पड़ेंगे,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुख्य मंत्री पर पड़ेंगे । अब तक कलेक्टरी के अन्दर घेरा डाला है, आपके मकानों के अन्दर भी घेरा डाला जायगा, निकलने नहीं दिया जायगा । आप इस तरह से बात करें, इस बहुमत के बिना पर लोगों पर लाठी चलाने की प्रशंसा करके पदक बांटना चाहते हैं । हिम्मत करो, अगर आप टोंक के अन्दर जाकर भाषण दीजिये, वहां पदक बांटे फिर पता लगेगा कि डाक्टरी मुआयना कैसे होता है । तो मैं सरकार की इस तरह की जन विरोधी नीतियों के विरोध में अपने साथियों सहित प्रोटेस्ट के रूप में वाकआउट करता हूं ।

(साम्यवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा-सु०) : मैं पुलिस की दमनकारी नीतियों के विरोध में.......

(घंटी)

(श्री भीखाभाई के खड़े होकर पढ़ने पर-व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : Point of Order,........

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो आप मंत्री को आदेश दे रहे हैं बोलने के लिए, तो आप समझते हैं कि हमें बोलने और वाकआउट करने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आदेश नहीं दिया । अधिकार........

श्री भैरोंसिंह : हम चेयर की रेस्पेक्ट करते हैं, डेलीबरेशन्स में इस बात का ध्यान रखते हैं कि चेयर को रेस्पेक्ट पे करें, तो हम भी चेयर से आशा रखते हैं कि हम कम से कम ऐसे मामलों में जहां जनता पर लाठियां पड़ें, उन मामलों पर कम से कम सदस्यों को अपने ग्रीवान्सेज को वेन्टीलेट करने का चांस दिया जाय । आपने मंत्रीजी को आदेश दिया और हमें फौरन बिठाया, इससे मैं समझता हूं कि यह हमारे सदन के लिए शोभा की चीज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आदेश नहीं दिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री ऐसे नहीं बैठते हैं, सरकार का यह रवैया है कि प्रस्तावों से नहीं मानती, प्रदर्शनों से नहीं मानती, जब लाठियां बरसाई जायें, पत्थर बरसाये जांय, तब सरकार मानती है । इसलिए देश में हिंसा बढ़ रही है । इसकी सारी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी

(घंटी)

पर नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी पर है । जालोर में कॉलेज नहीं खुला, हिंसा होगी तो खुलेगा, केरल में चावल नहीं भेजे जायेंगे—हिंसा होगी तो जायेंगे । आज भारत में हिंसा को पनपाने का अगर कलंक है तो वह कांग्रेस के माथे पर है । इसलिए सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वह गलत है । कोई भी बात लीजिये—अनाज नहीं, न्याय नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं, पीने का पानी नहीं, सीमा सुरक्षा नहीं, मंत्रीमंडल में कटौती नहीं, राज्यपाल का पद समाप्त नहीं, महंगाई बढ़ रही है, सरकार ध्यान

Page No. 103

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं देती। आपको जनता की मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं? दामोदरजी को परवाह नहीं। हाईकोर्ट के जज के और आचार्यजी के लड़के को गलत तरीके से मेडीकल कॉलेज में

(अनवरत घंटी)

एडमिशन दिलाए। गृह मंत्री ने तीन दिन से चार्ज लिया है और राजस्थान में लोकतंत्र का बेस जो है जैसे डाक्टर राधाकृष्णन् ने कहा है—'फ्रीडम ऑफ प्रेस' वह नहीं। एक पत्र कुम्भारामजी के समर्थन में "राजस्थान-पत्रिका" लिखता है तो दामोदरजी और आचार्यजी मिलकर रात को डेढ़ बजे उसकी प्रेस लुटवाते हैं। आज किसी पत्रकार को संरक्षण नहीं, अखबार वाले डरे हुए हैं, उनमें भय छा गया है, लोकवाणी पर हमला होता है।

(अनवरत घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, घंटियां बज रही हैं, मुझे अफसोस है कि ज्यादा नहीं कहता हूं। मैं अपने सभी साथियों के साथ सरकार के रवैये के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए बहिर्गमन करता हूं और स्वतंत्र पार्टी के बंधुओं से भी अपील करता हूं कि वे भी विरोध प्रकट करने के लिए सदन से बहिर्गमन करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हम तो आपसे भी पहले तैयार हैं।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि जनसंघ के नेता ने कहा—आज देश के अंदर ऐसी हालत हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रजातंत्र खतरे में है। राजस्थान में जब से आचार्यजी ने गृहमंत्री का पद संभाला है, उस दिन से अराजकता का बोलबाला है और वह चरम सीमा पर पहुँच गई है। अब यह लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। जब तक श्री निरंजननाथ-आचार्य जैसे दुष्ट लोग गृह मंत्री बन कर बैठे हैं तब तक विधायकों की जिंदगी भी खतरे में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जैसा ढाङिकी (विलंबी) नहीं हूं।

श्री मानसिंह महार : आप जैसे दुष्ट लोग जब तक राजस्थान में गृह मंत्री पद पर बैठे रहेंगे तब तक हम लोगों की जिंदगी भी खतरे में है, हम लोग यह बरदाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस में बैठने वाले चाहे अंदर-अंदर कहते हों कि किसको सुखाड़ियाजी ने गृहमंत्री बना लिया लेकिन मेरा दल तो वाकआउट कर रहा है, इसलिए मैं अपने विचार एक मिनट में रख कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आप जैसे भ्रष्ट आदमी जहां सरकार के अंदर हों, तो जनता के साथ न्याय की अपेक्षा कैसे करेंगे? अपने साले से कहकर अपने बेटे को गलत तरीके से भर्ती करवाएं, जो आदमी टोंक में लाठी चार्ज करवाए, अखबारों की स्वतंत्रता का हनन करके और दोनों साले बहनोई मिलकर अखबार की प्रेस को लुटवाएं,

(घंटी)

ऐसी विधान सभा के अंदर बैठना मैं अपना अपमान समझता हूं..

(श्री मानसिंह महार)

(व्यवधान—लगातार घंटी)

तो एज़ ए प्रोटेस्ट मेरा दल इस सदन से बहिर्गमन करता है।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक के प्रश्न को लेकर....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बहिर्गमन करना चाहें तो संक्षेप में कह दें।

श्री अब्दुल जब्बार : यह बहिर्गमन का सवाल नहीं है। रोष प्रकट करने का मेरा अधिकार है, जिसको कोई नहीं रोक सकता।

श्री उपाध्यक्ष : No debate will be allowed.

श्री अब्दुल जब्बार : मैं उस जनता के लिये बात करना चाहता हूं जिसको पेट भर रोटी नहीं मिलती है और राजस्थान सरकार की तरफ से जहां इतना जुल्म होता है। पाकिस्तान से आई हुई एक मासूम औरत को जलील करके····

(व्यवधान-अश्रव्य-अनवरत घंटी)

इस पाप को बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उसको बचाया है।

श्री अब्दुल जब्बार : किसी नारी पर बलात्कार हो टोंक में, उसके बाद आप प्रोटेक्शन देते हों उन अधिकारियों को, यह बात चलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

यह बात कभी नहीं चलने वाली है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(अनवरत घंटी—शोरगुल)

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय,....

(अनवरत घंटी—अश्रव्य)

(बाहर जाओ की आवाजें)

मासूम बहिनों पर इस प्रकार का अत्याचार हो....

श्री उपाध्यक्ष : बहिर्गमन करना चाहो तो इतने लम्बे-चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, बहिर्गमन का मतलब कम से कम यह नहीं है कि मैं कुछ भी बात नहीं रख सकूं। सरकार गरीब जनता के ऊपर जुल्म कर रही है, उनके अपने अधिकार नहीं देना चाहती है। इस प्रकार का जुल्म का जनता पर हो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

(शोरगुल—अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपने काफी कह दिया है।

श्री अब्दुल जब्बार : लाठी चार्ज किया है आपने टोंक में। एक मार्के की बात कहता हूं।

(अनवरत घन्टी—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । आप यदि बहिर्गमन करना चाहते हैं तो आप बहिर्गमन के विषय में थोड़ा संक्षेप में कह कर वैसा कर सकते हैं लेकिन इस पर लम्बा-चौड़ा भाषण देकर जाना चाहें, वह सम्भव नहीं है ।

(शोरगुल)

श्री अब्दुलजब्बार : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : No debate is allowed on 'Bahirgaman.'

श्री अब्दुलजब्बार : मैं अभी पत्र दूंगा और बतलाऊंगा कि कितना जुल्म हो रहा है । सरकार का यही रवैया रहा...

(शोरगुल–अश्रव्य–अनवरत घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । मैंने आप से कहा कि आप यदि बहिर्गमन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं । आप भाषण नहीं दे सकते । अब आपका कोई शब्द रिकार्ड नहीं किया जावेगा ।

श्री अब्दुल जब्बार : थोड़ा कुछ कह कर जाना चाहूँ वह भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ भी कहें आपका

(व्यवधान–घन्टी)

एक शब्द भी रिकार्ड नहीं होगा ।

श्री अब्दुल जब्बार : बाहर जाने के लिये कह कर जाऊं वह भी रिकर्ड नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मर्जी हो वह करें ।

श्री अब्दुल जब्बार : आपके जो आदेश होंगे उसकी पालना करूंगा फिर भी बात कहने का हक है वह भी रिकर्ड नहीं होगा ? मैं बाहर चला जाऊँ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी यही इच्छा है तो आप बाहर चले जायें ।

श्री अब्दुल जब्बार : आप आदेश तो फरमाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आदेश है कि आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री अब्दुल जब्बार : (स्थान ग्रहण करने के पश्चात्) : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक के सिलसिले में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(अनवरत घंटी)

श्री अब्दुल जब्बार : (अश्रव्य)

(बहिर्गमन किया)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा–सु.) : उपाध्यक्ष महोदय,............

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल संक्षेप में कहें ।

श्री हरिराम : मुझे तो बोलने ही नहीं दिया है ।

सरकार का यह जो तरीका है लाठी, गोली, अश्रु गैस से जन आन्दोलन को दबाने का, कम्युनिस्ट पार्टी ये अधिकार सरकार के हाथ में नहीं देना चाहती । जो लाठी चार्ज किया गया है उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं कराना यह जन आन्दोलनों के साथ गद्दारी करना है । इसके विरोध में मैं बहिर्गमन करता हूँ ।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाभाई !

Page No. 106

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल--अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : On point of order, Sir,......

(शोरगुल)

श्री श्रवणलाल : On a point of order, Sir,

(श्री भीखाभाई अपना स्टेटमेन्ट पढ़ते रहे)

(शोरगुल--अश्रव्य)

कुछ माननीय सदस्य : On a point of order, Sir,......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Point of order, Sir,......

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी....

(शोरगुल)

श्री वृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : No point of order in Vacuum मंत्री महोदय को आप सुनिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मंत्री कोई खुदा है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मानसिंह महार : क्या समझते हैं मंत्री अपने आपको ? मंत्री महोदय तो क्या खुदा हो गये ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप खुदा हो गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मूंड हिला रहे हो....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी जब कि टोंक में हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्रीजी के उत्तर से असन्तुष्ट होकर विरोधी पक्ष के नेता अपना स्टेटमेंट दे करके वाक आउट कर रहे थे और जब श्री अब्दुल जब्बार अपना स्टेटमेन्ट देना चाह रहे थे तो आसन की तरफ से आपने यह व्यवस्था दी कि यह स्टेटमेन्ट रिकार्ड न किया जाय जब कि उस भाषण में कोई भी ऐसा शब्द न था जो अनपार्लियामेन्टरी हो या कुछ ऐसी चीज हों। हमारे रूल्स में कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जहां इस प्रकार के भाषण हों, एक तरफ हमें अधिकार है वाक आउट करने के पूर्व एक शोर्ट स्टेटमेन्ट देने का और उसमें कोई अनपार्लियामेन्टरी शब्द न हो तो भी आप आदेश दे दें कि रिकार्ड न हो, यह एक गलत परम्परा पड़ेगी। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस पर पुनः विचार करके दूसरी व्यवस्था करावें ताकि कोई गलत परम्परा न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि माननीय अब्दुल जब्बार भाषण कर रहे थे उसके कुछ अंश आसन द्वारा रोकने के बाद वाले एक्सपञ्ज किये गये जो उचित नहीं था। आसन का यह अधिकार है कि डिबेट को कन्ट्रोल करे और यदि उसकी अवहेलना की जाय तो उस डिबेट को रिकार्ड न कराने का स्वतः सिद्ध आसन को अधिकार

Page No. 107

(श्री उपाध्यक्ष)
हो जाता है। इस प्रकार की परम्परा पहले भी यहां रही है। यह विवेक पूर्ण बात है। यह कह दिया गया था कि आपका भाषण रिकार्ड नहीं किया जावेगा फिर भी वह अपना भाषण देते रहे।

श्री भैरोंसिंह : आपकी यह व्यवस्था है कि घंटी देने के बाद भी बोलें तो वह रिकार्ड न हो?

श्री उपाध्यक्ष : घंटी की बात नहीं है। काफी टोकने के बाद नहीं रुके तो रिकार्ड नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : किस समय घंटी की समाप्ति समझें? क्या जिस वक्त इन्कार करें कि मत बोलो तब समझें? आखिर कोई क्राइटेरिया तो हो?

श्री उपाध्यक्ष: घंटी कितनी ही बार बजती है, और क्यों बजती है, यह आप सब समझते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री अब्दुल जब्बार केवल अपने वाक आउट का प्रोटेस्ट रिकार्ड कराना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : वाक आउट का प्रोटेस्ट बहुत संक्षेप में होता है। यह सदन की परम्परा है। लम्बा भाषण होता है तो चैक करने का भी आसन का फर्ज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आखिर सदन से क्यों जा रहे हैं—यह न बतायें तब कैसे वाक आउट करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : उसका अवसर दे दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आज्ञा दीजिये कि जितने शब्द कहे हैं सदन में वे रिकार्ड रहें।

श्री उपाध्यक्ष : उचित आदेश दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी ऐसी कृपा रही है, घंटी बजाने के बाद भी बोलने का मौका देते हैं तो कम से कम कलम से और जबान से बात होती है जो प्रोसीडिंग्स में रहनी चाहिये, उसको एक्सपन्ज न करने के आदेश प्रदान करने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रोसीडिंग्स इसमें रिकार्डेड हैं वह रिकार्डेड रहेंगी।

श्री राधाकिशन गोयल : टोंक के बारे में लाल लाल होने से जरा ज्यादा दुख हुआ।

(४.३६ म. प.)

शाह इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जयपुर के मजदूरों की हड़ताल संबंधी शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री भीखाभाई) प्रारम्भ रखिये।

श्री भीखाभाई : एक स्टेटमेन्ट तो दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाली बैंचों को स्टेटमेन्ट देना चाहते थे क्या?

(शोरगुल)

आखिर यह क्या मखौल है? क्या विधान सभा को एक मखौल बनाना चाहते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुर्सियां खाली पड़ी थीं और मंत्री महोदय खाली कुर्सियों को सुना रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आदेश दें कि वे दुबारा स्टेटमेंट दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें विशेष क्या बात है ? रिकार्डिंग तो होगा नहीं और ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि बहिर्गमन के बाद सदन की कोई कार्यवाही ही न चले।

श्री भैरोंसिंह : लोकतन्त्र और पार्लियामेन्टरी पद्धति तो यह कहती है कि यदि पूरा विरोधी पक्ष बहिर्गमन कर जाते तो यह घटना मामूली नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात को सदन में मामूली श्रेणी की बात समझकर इग्नोर नहीं करें। प्रेक्टिस यह होनी चाहिये कि विरोधी पक्ष अगर सारा वाक आउट कर जावे तो सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यह अब तक तो कहीं नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह ; नहीं हुआ तो अब होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : अगर नहीं हुआ है तो हम उस परिपाटी को बदलेंगे। नहीं हुआ है ऐसा तो वह गलत हुआ है। यह परम्परा उचित नहीं है।

श्री मानसिंह महार : एक अवसर पर दुबारा पढ़ने के आदेश दिये हैं आपने।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister may read it again मैंने आदेश दे दिये हैं कि वे दुबारा उसे पढ़ दें। वे दुबारा पढ़ रहे हैं।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, शाह इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जयपुर के श्रमिकों ने उनके संगठन "शाह इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन" के द्वारा दिनांक ५-६-६६ को मांग-पत्र मालिक कारखाना एवं समझौता अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा दिनांक १४-८-६६ से हड़ताल पर चले गये। समझौता अधिकारी, जयपुर ने उक्त मांगों को समझौता वार्ता में लेकर दिनांक २१-६-६६ से समझौता के प्रयत्न प्रारम्भ किये। समझौता अधिकारी का कथन है कि अन्य सब मांगों पर समझौता होने की पूर्ण आशा थी, परन्तु श्रमिक संघ की ओर से हड़ताल के समय के पूरे वेतन की मांग के कारण समझौता सम्पन्न नहीं हो सका। समझौता अधिकारी ने दिनांक २-९-६६ को वार्ता समाप्ति पर अपनी रिपोर्ट सरकार को श्रम आयुक्त के जरिये भिजवाई। सरकार ने दिनांक ९-९-६६ को मांगों को औद्योगिक न्यायालय को रेफर करने का निर्णय लिया तथा रेफरेन्स की विज्ञप्ति जारी की। रेफरेन्स के पश्चात् भी हड़ताल जारी होने के कारण तथा इसके कारण धारा २३ (ब) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की अवहेलना होने की वजह से दिनांक १४-९-६६ को सरकार ने धारा १० (३) के अन्तर्गत हड़ताल को तुरन्त समाप्त करने के आदेश जारी किये। हड़ताल अब भी जारी है।

सरकार की ओर से आवश्यक कार्यवाही विवाद के सम्बन्ध में की जा चुकी है। श्रमिक संगठन को वैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाओं

(श्री भीखाभाई)

के जरिये अपनी मांगों पर निर्णय प्राप्त करना चाहिये। मौजूदा हड़ताल का, रेफरेन्स के पश्चात्, क्या महत्व है, स्पष्ट है। अतः मेरा अनुरोध है कि श्रमिक वर्ग वास्तविकता को स्वीकार कर, तुरन्त हड़ताल वापिस लेने की घोषणा करें।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले से ही निवेदन कर दूं कि स्टेटमेन्ट के बाद में भाषण के रूप में कोई चीज नहीं होनी चाहिये। जो स्पष्टीकरण के लिए पूछना चाहें वे थोड़े में पूछ लें।

श्री हरिराम चौहान : कोई स्टेटमेन्ट तो हो। दो तीन लाइनें पढ़कर सुना दीं तो यह कोई स्टेटमेन्ट हुआ। कुछ लेना नहीं, देना नहीं तथ्य छिपाये गये हैं। फिर भाषण तो अपने आप ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : जिस बात को लेकर झगड़ा चला उस पर इस रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सेठ साहब हैं, फैक्टरी के मालिक हैं, उनके सामने मजदूर अपनी यूनियन के कुछ साथियों को लेकर गये, अपनी मांगें पेश की तनख्वाह बढ़ाने की, बोनस देने की, छुट्टियों की, और इस तरह की अन्य बातों की।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं करें।

श्री हरिराम चौहान : भाषण नहीं करें तो क्या करें ?

होती है तो फिर समय नहीं रहता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें थोड़ा बोल लेने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना गम्भीर यह मामला हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता आसानी से। शाह इन्डस्ट्रीज के मैनेजर ने रौब में आकर मजदूर बच्चों पर कार चला दी और कोई रेफेरेन्स नहीं उसका इस रिपोर्ट में। उसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ मामला सुपुर्द कर दिया आर्बिट्रेटर को और हो गया आपका काम पूरा। क्या केस बनाया आपने मैनेजर पर ?

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : These were the terms of reference.

Whether the following demands raised by the Majdoor Union Jaipur vide their demand charter dated 5.6.66 are justified ?

That the wages of the workmen should be raised by 50% and the D. A. should be linked with consumers price index.

That the management should reinstate the following six employees whose service were terminated from the 7th June, 1966

1. Shri B. C.

2. Shri Shafik.

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर विवेद असाज आप रिकार्ड किया हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मजदूरों का यह सवाल है और यह आप क्या पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में ? हिन्दी नहीं आती आपको ? हिन्दी में बोलें।

श्री भीखाभाई : Shri Chhotey Lal. Shri Sita Ram.

That the workmen who are working on the wo.k of the permanent nature should be made permanent, तो अब कोई बात नहीं रही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑल राइट। पर रूथलेसली मजदूरों को मारने की गरज से अपने अहंकार में चूर होकर कार मजदूरों पर छोड़ना क्या आपके श्रम विभाग ने इस केस को रजिस्टर करवाया ? उस सेठ ने पैसे के जोर से कोई कार्यवाही नहीं होने दी—यह तथ्य है।

श्री भीखाभाई : डिमाण्ड में इस तरह की कोई बात नहीं थी, न हमारे नोटिस में लाया गया। अगर यह मामला है तो लॉ और ऑर्डर का सवाल है। फिर भी मजदूरों ने इस सिलसिले में कोई सूचना हमें की होती तो अवश्य उसकी कार्यवाही की जाती।

श्री हरिराम चौहान : भूखे मजदूर उनकी गाड़ी के नीचे आ रहे थे। वे तो बड़ी मुश्किल से नीचे से निकल कर गाड़ी पर चढ़ गये और एक मील तक तेज रफ्तार से सेठ साहब और मैनेजर साहब उसे भगाये ले गये। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये पुलिस में गये। पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और इस तरह से बजाय उनको सजा देने के उनको मुश्तिल कर दिया। आज वे दो महीने से मोअत्तिल हैं और ३२ दिन से आम हड़ताल चल रही है। मजदूर तो समझौता करना चाहते थे, पर मालिक को मदद नौकरशाही की है। मालिक भी तैयार था, पर नौकरशाही ने खुले आम मालिक को यह कहा कि हम इस हड़ताल को गैर कानूनी करार देने वाले हैं इसीलिये आपको कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, और सदन के माननीय सदस्यों को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि यह बातचीत तय हुई भी नहीं थी कि उससे पहले आम लोगों के सामने कह दी सरकार कि यह हड़ताल गैर कानूनी होने वाली है।

मन्त्री महोदय से बात की तो कहा कि हम इसे गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं, और १४ तारीख को आर्डर हो गया और श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा इसे गैर कानूनी करार दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यह सवाल इस किस्म का है कि जिस तरह से अभी टोंक के मामले को लेकर वाक-आउट किया गया उस तरह की स्थिति कहीं इस मामले में भी न बन जाय। आठ दिन से मजदूर वहां पर भूख हड़ताल पर है। उसकी हालत नाजुक है। तमाम मजदूर वहां इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे मन्त्री महोदय याद करें कि इसी तरह से कुछ दिन हुए कामरेड हबीब मर चुके हैं। मन्त्री महोदय से मैंने खुद ने कहा कि आप मजदूर और मालिक के बीच बैठकर इसका फैसला कराइये। मजदूर फैसला करना चाहते हैं। समझौते के लिए तैयार हैं। वे अपनी रोजी रोटी के लिये लड़ रहे हैं, अपनी रोटी के लिये वे मांग कर रहे हैं।

(श्री हरिराम चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, जब इतवार को छुट्टी थी तो इतवार की छुट्टी न करके सोमवार को की, क्योंकि इतवार को छुट्टी थी और १५ को सोमवार था, जिस दिन १५ अगस्त पड़ती थी। १५ को छुट्टी चूंकि करनी थी, इसलिये इतवार की छुट्टी कैंसिल कर दी जब कि श्रम कानून के तहत इस तरह का परिवर्तन करने के लिये २१ दिन का नोटिस देना चाहिये था। मालिक को अगर किसी तरह की रद्दोबदल करनी हो तो २१ दिन के नोटिस देने के बाद करनी चाहिये। पर बगैर २१ दिन का नोटिस दिये छुट्टी में रद्दोबदल कर दिया साप्ताहिक छुट्टी में शुरूआत की हड़ताल की और उसकी छुट्टी काटी। तनख्वाह नही बढ़ा रहे हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं। कार मजदूरों पर चलाते हैं, फिर भी उनको नौकरी से बरख्वास्त कर दिया जाता है।

इसके विरोध में आज भूख हड़ताल हो रही है और मंत्री महोदय इस तथ्य का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह मंत्री महोदय अपने आपको मजदूरों का पोषक कहते हैं, और हिमायत करते हैं पूंजीपति वर्ग की। इतना कमजोर मंत्री जो सेठियों की हिमायत करे, इस तरह के कमजोर मंत्री को कम से कम इस तरह का विवाद नहीं करना चाहिए वर्ना मैं उनसे यह उम्मीद करूंगा कि वह अपने अन्दर इतनी हिम्मत पैदा करें कि वह किसी भी सेठ से दबे नहीं किसी भी परिस्थिति में। यदि आप एक छोटे से सेठ से दब गए तो फिर आप बिरला को कैसे दबा सकेंगे? टाटा और सिंघानिया जैसे सेठ को कैसे दबा सकेंगे? ३२ दिनों के अन्दर श्रम विभाग से इसका कोई फैसला नहीं हो सका।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और मैं तो यह समझता हूं कि श्रम विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है। श्रम विभाग के अधिकारियों के वहां रिश्तेदार हैं और उसके कारण मजदूरों का दमन कराना चाहते हैं और मुझे यह उम्मीद नहीं है कि यह किसी तरह से बातचीत में दिलचस्पी लेंगे बल्कि इस मामले को और बढ़ायेंगे, और मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज ऐसी नाजुक स्थिति के अन्दर कोई इस तरह की हालत पैदा नहीं हो जावे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटे ऐसे मंत्री महोदय को खड़े होकर सदन के सामने यह बात कहनी चाहिए कि मैं दिल और जान से कोशिश करूंगा कि मजदूर और मालिकों के अन्दर समझौता करायेंगे और उनके ऊपर दबाव डालेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट के अन्दर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त होने वाला है।

श्री हरिराम चौहान : आज इस बात का समय है कि कोई सरकार किसका प्रतिनिधित्व करती है? वह अगर पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है और जैसा अभी तक का रवैया है कि ३२ दिनों तक पूंजीपतियों की सरकार ने मदद की है, मालिकों की मदद की है। आज यदि आप पूंजीपतियों की मदद करना चाहते हैं तो खुले आम ऐसा कह दो और यदि मजदूरों की मदद करना चाहते हैं तो दिल खोलकर उनकी मदद करो, मालिकों को दबाओ चाहे वह छोटे सेठ हों या बड़े सेठ

Page No. 112

(श्री हरिराम चौहान)

हों। कल आप उनकी मदद के लिए पुलिस भेजोगे और चोरी डाका और पता नहीं कैसे कैसे केसेज मजदूरों के खिलाफ बनाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत पैदा कर रखी है।

(४.५५ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

अभी कोटा के अन्दर सभापति महोदय, मजदूरों ने हड़ताल की। उनके ऊपर केसेज बनाये गये। उनकी २२ हजार की जमानत ली गयी। इस तरह का अन्याय और एलीगेशन्स राजस्थान की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैं समझता हूं कि इससे सरकार को सबक सीखना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मैं कुछ प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

पहला सवाल तो यह है कि यह हड़ताल ३३ दिन से चल रही है और जैसा कि मंत्री महोदय कहते हैं कि आर्बीट्रेशन हुआ और बहुत सी बातों पर समझौता हो गया, रजामन्दी हो गयी, कन्सीलियेशन हो गया; जैसे कि भत्ते के प्रश्न पर या वेतन वृद्धि के प्रश्न पर या छुट्टियों के प्रश्न पर, और बावजूद इसके कि वह रेफरेन्स भी हो गया लेकिन फिर उन सारे प्रश्नों को डिस्प्यूटेबल क्यों बना दिया गया पहला प्रश्न तो यह है?

दूसरा, ३३ दिन की कन्टीनुअस स्ट्राइक के अन्दर आपके लेबर ऑफिसर्स बराबर किस्तूरमल शाह को यह कहते रहे कि यह सब कागजी कार्यवाही है और इस हड़ताल को हम इल्लीगल करार दिलावा देंगे और मेरी नॉलेज में यह बात आई है कि हड़ताल को इल्लीगल करार देने में यह सेठ कामयाब हो गया है।

तीसरे, उस मिल के मैनेजर, बेराठी ने, जब कि मजदूर बाहर इकट्ठे थे, मजदूरों के ऊपर कार चढ़ाई। चार मजदूर बोनट के साथ चिपक कर घसीटते हुए गये। मैनेजमेन्ट ने जाकर उन्हीं पांच मजदूरों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई। मजदूरों की एफ० आई० आर० नहीं ली गई जो कि कार की बोनट के साथ घसीटते हुए बहुत दूर तक चले गये और इसके विपरीत उन पांच मजदूरों को अपनी इन्डस्ट्री से शाह कस्तूरमल ने निकाल दिया और उन्हीं पांच मजदूरों को सस्पेन्ड कर दिया। आपके लेबर डिपार्टमेन्ट ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

चौथे, अन्दर स्ट्राइक पर बैठे हुए मजदूरों को आज ८ दिन हो गए उसकी हालत बहुत चिंताजनक है। मजदूरों के नेताओं ने इस संबंध में आपसी बातचीत कराने की कोशिश की लेकिन आपने इस संबंध में कोई बातचीत अब तक नहीं की और स्थिति को और गंभीर बनाते जा रहे हैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्हें अपने उत्तर में कम से कम यह बतलाना चाहिए कि मजदूरों की यह यह मांगे थी और उन्होंने यह भी कहा कि कन्सीलियेशन हुआ कन्सिलियेशन ऑफिसर के जरिये और मांगों पर समझौता होने की सम्भावना हो गयी है या समझौता हो गया है? केवल एक मांग पर रह गया है।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : होने वाला था लेकिन एक मांग को लेकर नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो कम से कम यह बतायें कि कौन-कौन सी मांगों पर हो गया था और कौन-कौनसी टूटी ?

श्री भीखाभाई : समझौता होने की आशा थी यह कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो आप यह बतायें कि कौन-कौनसी मांगों पर, किस किस का क्या रुख था जिससे कि सदन कोन्क्रीटली जान सके कि कौन सही रुख ले रहा है। मजदूरों का गलत रुख है या मालिकों का है। आपने सूक्ष्म रूप में एक बात कह दी तो उससे कैसे नतीजा निकालेंगे। तो आप बतायें कि कौन कौनसी मांगों पर समझौता हुआ और कौन कौनसी पर टूटा और फिर यह चर्चा है कि आपने बजाय इसके कि मजदूरों का यह कहना है कि उनके ऊपर कार चढ़ाई गई, जो मजदूर इन्ज्योर्ड हुए उन लोगों को ही सस्पैन्ड किया गया, तो अगर गवर्नमेन्ट की तरफ से, चाहे वह गृह विभाग का मामला हो अगर एक्शन मालिकों के खिलाफ ले लिया जाता तो उनको यह एनकरेजमेंट नहीं मिलता। इसके बजाय उन्होंने अपने असर से उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराया और उल्टे मजदूरों को सस्पैन्ड किया। इसने सिचुएशन को और एग्रीवेट किया मालूम पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय बतायें कि कौन-कौनसी मांगों पर समझौता हुआ था। कम से कम समझौता मंत्री महोदय को अपने इनफ्ल्यूएन्स से करना चाहिए। आप कहते हैं कि रेफरेंस कर दिया और हमारा ख्याल है कि तमाम मामले को झमेले में डाल दिया। यह आप एम्पलॉयर की इनडाइरेक्टली मदद कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली मजदूरों की मदद करना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो, जोर जबरदस्ती आप उस हड़ताल को गैर कानूनी करके मालिकों की मदद कर रहे हैं इसके बजाय, आपको सही रूख लेना चाहिए। मालिकों को मजबूर करना चाहिए और मजदूरों की मदद करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सूचना देना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आपके कर्मचारियों का यह कहना है कि जो कुछ करेंगे वह हम करेंगे। भीखाभाई क्या कर सकते हैं। यह आपके कर्मचारियों ने हमारे मजदूरों के नुमाइन्दों को कहा है कि भीखा-भाई निहायत××× हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके कर्मचारियों का कथन है।

(घंटी)

और उनका यह कहना है कि उनसे मिलने से कोई लाभ नहीं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : ५ बज चुके हैं, या तो समय बढ़ायें....

(५.०० म. प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कम से कम अगर यही तरीका रहा तो यह तो मैं कहता हूं कि सदन के लिए यह कोई भली बात नहीं है। कम से कम सम्माननीय सदस्यों को····

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह मैं नहीं कहता हूं, आपकी नौकरशाही कहती है। आप नौकरशाही की मदद करना चाहते हैं, वे लोग कहते हैं भीखाभाई के लिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह सर्विसेज का एटीट्यूड है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं चेयरमैन महोदय, आपकी इस बात के लिए व्यवस्था चाहता हूं कि आज कौन, क्या, किस के लिए कहता है, इस तरह की काल्पनिक चीजों को यहां पर शुरु किया गया तो उसका अंत कहां होगा और हर मेम्बर के लिए कौन क्या कहता है इस तरह की कोई व्यवस्था कायम कर दी गई तो काल्पनिक रूप से, झूठे रूप से किसी के लिए भी, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए हमको आपस में जो सदस्य है, हमको सही तौर से एक दूसरे की प्रतिष्ठा कायम रखने की तरह से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं कोई इस बात के लिए ही नहीं कह रहा हूं कि भीखाभाई के लिए कहते हैं और कौन कहते हैं, आपके लिए भी कौन क्या कहते हैं, वह आपके बारे में भी क्या कहते हैं, अगर इसको कहा जाय तो आपको भी मिर्चें लग जायेंगी। इसलिए यह कोई उचित बात नहीं है, ठीक नहीं है इसलिये मैं कहता हूं। और लेबर की जहां तक बात हो, लेबर की जहां तक हिमायत करने की बात हो, तो लेबर के इधर वाले भी हिमायती है। लेकिन कानून की जहां बात होगी तो वहां हमें भी कानून को देखकर चलना होगा। हम भी उनके साथ हैं लेकिन कानून से अगर कोई कैपिटलिस्ट हो या दूसरे लोग हों वे किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उस बात को यहां रखिये, कानून के मातहत यह कोशिश कीजिए कि जो कुछ मदद मजदूरों की की जा सके, वह मदद की जाय, गरीबों की मदद हो वह की जाय। पुलिस ने किसी को पकड़ लिया और पुलिस ने किस की सिफारिश पर किससे जमानत ले ली कहां खेत की और कहां खलियान की ? इस तरह से बात करने से क्या होगा ?

श्री हरिराम चौहान : यह कौन से विषय पर लेक्चर हो रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि किसी मजदूर के साथ ज्यादती की गई है, किसी पर मोटर चलाने की कोशिश की गई है तो उस पर पुलिस से मिल करके बात करें, उस बात की जांच करावें। किसी के साथ ज्यादती को बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट क्या कहता है और लेबर मिनिस्टर के बारे में क्या कहते हैं—इस बारे में नहीं पड़ करके जो लेबर मिनिस्टर कह रहे हैं उस पर गौर करें और किस प्रकार से गरीबों की मदद की जा सकती है कानून के जरिये से और किस तरह से मिनिस्टर मदद कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने श्री भीखाभाई के बारे में जिस शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैंने यह प्रयोग नहीं किया है, लेबर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं भीखाभाई के लिए....

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह चाहे किसी अधिकारी ने प्रयोग किया हो या किसी दूसरे के नाम से प्रयोग किया गया हो, उस पर पूरी तरह से विचार करके

Page No. 115

(श्री सभापति)

ही मैंने यह व्यवस्था दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे स्वीकार करेंगे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं इतनी ही जानकारी माननीय सदस्य से····

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हीराभाई ।

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री सभापति : श्री हीराभाई । श्री हीराभाई ।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

मैं सब प्रकार की सुविधा वाद-विवाद के लिए देने को तैयार हूं—आप जो चाहेंगे वह सब प्रकार की, लेकिन हर चीज पर वाद-विवाद करना चाहेंगे तो वह सम्भव नहीं होगा । इसलिए आप खुद अनिवार्य रूप से इस विवाद में न पड़ें । यह जो मैंने निर्णय दिया है कि ×××× शब्द गलत है, अन-पार्लियामेंट्री है उसको निकाला जाना चाहिए और इसीलिए उसको निकालने के आदेश दिए हैं ।

श्री हीराभाई : मैं उस बात में नहीं पड़ता हूं, लेकिन ऐसा अगर मजदूर कहते हैं तो हम बरदाश्त कर लेंगे लेकिन जो सर्विस क्लास के लोग हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं, कि भीखाभाई पिछड़ी जाति के मिनिस्टर हैं, उनके बारे में अफसर लोग इस तरह से कहते हैं तो यह बरदाश्त नहीं होगा । · · ·

(शोरगुल)

श्री सभापति : श्री हीराभाई ।

(शोरगुल)

श्री हीराभाई, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीराभाई : हम इस बात को कभी बरदाश्त नहीं कर सकते ।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ी मौलिक बात कही है । उनका कहना है कि भीखाभाई पिछड़े वर्ग के हैं और हिन्दुस्तान में जिस तरह से जाति विशेष की बात रहती है, उस दृष्टि से ये अफसर लोग ऐसा कहते हैं, तो या तो डांडा साहब उस ऑफिसर का नाम बतायें कि किस ऑफिसर ने यह कहा है, और अगर डांडा साहब नहीं बताते हैं तो उसके लिए तो आपने व्यवस्था दे ही दी है । इनसे पूछा जाय कि किस ऑफिसर ने यह कहा है ? यह बहुत बुरी बात है किसी मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, इस हड़ताल के पहले · · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, समय नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री सभापति : जब मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, सारा सदन बैठा है तो जब तक हाउस के बिजनेस का डिस्पोजल नहीं हो जाता है तब तक समय बढ़ा हुआ ही है ।

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री केदारनाथ : हड़ताल के दौरान रिहेबिलिटेशन की कोई कंसोलेशन प्रोसिडिंग हुई है या नहीं और फिर रेफरेंस के बाद 'स्टेट्स-क्यो' मेन्टेन रखना सरकार का फर्ज है। अब मालिकों ने किसी मजदूर को रेफरेंस के बाद सस्पेंड किया है तो यह अवैधानिक है। मैं आदरणीय मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे अपने लेवल पर इसमें इंटरवीन करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, आप मुझे आज्ञा देंगे, मैं कुछ अर्ज कर दूं। यह मैंने जो कुछ भीखाभाई के सम्बन्ध में शब्द कहा है, मैं स्वयं काफी आदर करता हूं भीखाभाई का और लेबर इश्युज के अन्दर भीखाभाई काफी एक्टिव हैं। जब भी मैं हाजिर हुआ उनकी सेवा में उन्होंने एक्शन लियाहै। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि भीखा भाई ने लेबर अधिकारियों को टेलीफोन किया है, सार्दूल टेक्सटाइल मिल के मामले में टेलीफोन किया है, शुगर मिल के मामले में टेलीफोन किया है लेकिन उनकी लगातार अवहेलना की है। मैंने उनको लेबर विभाग का जो उनके प्रति एटीट्यूड है, जो उनके प्रति रवैया है उनको बताया है और बड़े खेद से यह शब्द कहे हैं। मुझे भीखा भाई से कोई गरज नहीं है। मैं जब भी कभी इनकी सेवा के अन्दर उपस्थित हुआ हूं इन्होंने फौरन एक्शन लिया है। टेलीफोन किया है लेवर अधिकारियों को, कमिश्नर को टेलीफोन किया है, इनसे जो प्रयत्न हो सका इन्होंने किया है। लेकिन इनके टेलीफोनों की जो अवहेलना इनके विभाग में होती है, इनके टेलीफोनों पर जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इनके टेलीफोन करने के बाद भी लेबर अधिकारी मोके पर नहीं पहुंचते हैं और जो कान्सीजेंस नहीं लिया जाता है, उसका मुझे खेद है। और मैं यह कह सकता हूं कि जैसा अभी रामकिशन जी ने कहा—यह शब्द जो मैंने कहा और जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता उस XXXX शब्द, को लेकिन उसका उपयोग उनके संबंध में विभाग में होता है, मुझे इस बात का कष्ट है वे पिछड़ी जाति के मन्त्री हैं, उनके हृदय में लोगों के प्रति दर्द है। यह दूसरी बात है कि वह अपनी सरकार की नीतियों से बन्धे हुए हैं, अपने दल की नीतियों के बन्धे हुए हैं, जो नीतियां मजदूरों के पक्ष में नहीं हैं और इसलिए वह भला नहीं कर सकते मजदूरों का, जब तक कि उस हद तक नीतियां नहीं बदल जातीं। लेकिन उनके हृदय में दर्द है मजदूरों के प्रति, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जो इस शब्द का प्रयोग भीखाभाई के लिए किया मैंने कोई नहीं किया, मैंने तो जो किया, जाता है वह उनको बताया, इस पर भी अगर भीखाभाई को कोई महसूस हुआ हो तो वे मुझे क्षमा करदें। मैंने तो अपना कर्त्तव्य जान कर उनको सूचना दी है।

(५. ८ म. प.)

महालक्ष्मी-मिल, ब्यावर के ताला बन्दी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री सभापति : (श्री मनफूलसिंह, उद्योग उप मन्त्री की ओर मुखापेक्ष) आपको महालक्ष्मी मिल ब्यावर के बारे में कोई स्टेटमेंट देना है ?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मन्त्री) : आज ही देना होगा ?

(विराम)

आपकी इजाजत हो तो कल दे दूं।

XXXX अध्यक्ष—पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सोमवार को दे दें।

श्री सभापति : महालक्ष्मी मिल के सम्बन्ध में वक्तव्य सोमवार को दिया जायगा।

(विराम)

भू-राजस्व विधेयक पर विचार चल रहा था कल और दूसरा बिल था मोटर गाड़ी करारोपण के सम्बन्ध में। इसके सम्बन्ध मे श्रीयुत् मुरलीधरजी व्यास का संशोधन-प्रस्ताव है, क्या वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे?

श्री रामकिशन : मेरा है साहब पहले तो।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह तो निश्चित हो जाय कि कब तक सेशन चलता रहेगा।

श्री सभापति : जब तक आप चलते रहेंगे मैं चलाता रहूंगा।

श्री चन्दनमल बैद (यातायात मन्त्री): बिल को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव तो कर दूं।

श्री सभापति : हां करिये।

(४.६ म. प.)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापन)

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

चेयरमैन महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति जी, एक स्थगन-प्रस्ताव मैंने दिया था "राजस्थान पत्रिका" के बारे में और स्पीकर साहब ने कहा था कि आज उसका स्टेटमेंट हाउस में होगा। मैं जानना चाहूंगा कि वह स्टेटमेंट आज देंगे या नहीं?

श्री सभापति : क्या गृह मन्त्रीजी यहां हैं?

(विराम)

गृह मन्त्रीजी यहां नहीं हैं।

(४.१०. म. प.)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन व वैधकरण) विधेयक, १९६६—(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति जी, मेरा यह निवेदन है कि वैसे तो सलाहकार समिति ने जो प्रोग्राम निश्चित किया था उसके अनुसार लेण्ड रैवेन्यू एमेंडिंग एण्ड वेलिडेशन बिल और मोटर वेहीकल्स टेक्सेशन बिल आज पास हो जाने चाहिए थे,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन जिस प्रकार की बहस आज हुई, जनसंघ पार्टी की ओर से जो आन्दोलन हुआ और उसमें जो टोंक में लाठी काण्ड हुआ उसके बारे में, हमें यह आशा नहीं थी कि सरकार के द्वारा इस तरह की बर्बरता का, इस तरह की जन-विरोधी भावना का, इस तरह की क्रूरता का रूप लिया जावेगा और उसके ऊपर श्री सरकार ने जवाब दिया इसलिए इस सदन के विपक्ष में बैठने वाले विभिन्न दलों को इस बहस में बहुत ज्यादा हिस्सा लेना पड़ा और सभी दलों के नेताओं और दूसरे लोगों को अपने विचार रखने पड़े जिसकी वजह से बहुत काफी समय आज का उसमें लगा है और जिसके विरोध स्वरूप इस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को बहिर्गमन भी करना पड़ा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशेष परिस्थिति में जो सलाहकार समिति की ओर से प्रोग्राम निश्चित किया गया था उसमें आपकी आज्ञा से कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं और इनके ऊपर जो भी बहस पहले हुई है उसमें काफी मुद्दे कॉन्स्टीट्यूशनल भी हैं और लीगल भी हैं और न केवल यह ऑर्डिनेन्स इल्लीगल था बल्कि जो यह बिल लाया जा रहा है वह भी प्रॉपर है या नहीं, यह भी देखना है ? इसकी जरूरत है इस बात से इन्कार नहीं करता। इन दोनों बिलों के बारे में इनकी जरूरत से इन्कार नहीं करता, लेकिन प्रॉपर फार्म में आयें उन पर प्रॉपर डिसकशन हो सके उसके लिए प्रॉपर मूड होना चाहिए, प्रॉपर समय होना चाहिए।

श्री सभापति : कहने का मतलब यह है कि आज बहस नहीं हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पेपर्स और कागजात गवर्नमेंट को रखने हैं उस कार्य को करके इन बिल्स को मंगलवार के दिन तक स्थगित किया जाय। गवर्नमेंट की ओर से सलाहकार समिति को पता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम उनके पास नहीं है जिसमें बिले हो रही है, न ये ऐसे बिल्स हैं जो मंगलवार तक यदि बहस स्थगित हो जायेगी तो, बिलें हो जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट दल भी इसको एग्री करेगा और इसके लिए जो भी जरूरी कागजात हैं उनको रख कर फिर लेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : सोमवार को दोनों बिल हो जायेंगे। सोमवार को पास हो जायेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : सोमवार को जैसे का तैसा रहेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सोमवार तो राष्ट्र-भाषा विधेयक का रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन बिल्स का पुनः स्थापन तो हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये दोनों बिल सोमवार और मंगलवार को इसी क्रम से चलेंगे।

श्री मानिकचंद सुराना (कोलायत) : सभापति जी, इस बहस को मंगलवार को स्थगित कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सारे हाउस ने निवेदन किया है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कल यह कहा था कि केबिनेट की यह प्रोसीडिंग्स, जिसका उन्होंने जिक्र अपने भाषण

(श्री मानिकचन्द सुराना)

में किया और उन्होंने यह कहा था कि प्रोसीडिंग्स ले आऊंगा और सदन की मेज पर रख दूंगा, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दूंगा, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको यह आदेश दें कि सारी प्रोसीडिंग्स इस सदन की टेबिल पर रखें ताकि मंगलवार को जब सारी बहस हो तो उसमें जो रेलेवेन्ट मुद्दे हैं उनको इस हाउस में उठाया जा सके। यह निवेदन मैं आप से करना चाहता हूं ताकि इस हाउस के एड-जोर्न होने से पहले सारे कागजात जो हैं वे सदन की टेबल पर आ जायं।

श्री सभापति : राजभाषा विधेयक को पुरःस्थापन कर दें।

(५.१५ म. प.)

राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक १९६९ (पुरः स्थापन)

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री) : सभापति जी, मैं राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज-स्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यक्रम संबंधी विवाद

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने जो अभी अपने विचार प्रकट किये मैं इस समय ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि जो विधेयक आज पारित किये जाने को थे उनको मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दूं। यह संभव हो सकता है कि वाद-विवाद ज्यादा नहीं कर सदन की कार्यवाही आज स्थगित बाकी कर दें, लेकिन ये तीनों बिल लेण्ड रेवेन्यू बिल और मोटर टेक्सेशन वाला बिल और उसके बाद ऑफिशियल लेंग्वेज का बिल सोमवार को लिये जायेंगे इसी क्रम में और उसके बाद जैसा सोमवार को संभव होगा सलाहकार समिति निर्णय करके उसके आगे मंगलवार की बात तय करेगी और सदन की बैठक में तय होगा। मैं समझता हूं कि सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैंने निवेदन किया था कि जो प्रोसीडिंग्स रखने की बात थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था वो यह मुद्दा उठा था। केबिनेट की यदि वे प्रोसीडिंग्स ले आये हों तो वह भी रख दें और अपने वायदे के अनुसार प्रोसीडिंग्स सदन की मेज पर रख देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बिल को विचारार्थ लिया जा रहा है?

श्री सभापति : बिल पहले से ही चल रहा है विचारार्थ?

एक मुद्दा उठाया है उसके बारे में गवर्न-मेंट को कुछ कहना हो तो, कहें नहीं तो मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करूं।

श्री कुम्भाराम आर्य : सोमवार को कह दूंगा।

Page No. 120

श्री सभापति : सोमवार को विधेयकों का क्रम इसी प्रकार से होगा। लैण्ड रेवेन्यू एमेंडमेंट बिल पहले, मोटर वेहीकल वाला उसके बाद और ऑफिशियल लैंग्वेज वाला उसके पश्चात्।

सदन की कार्यवाही सोमवार प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर १६ मिनट पर सोमवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६६ के ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।)

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

धौलपुर सब-डिविजन में जुर्म

४२. श्री रामकिशन (बैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६५-६६ में धौलपुर सब-डिविजन में डकैती, डकैतों द्वारा अपहरण तथा कत्ल की कितनी वारदातें हुई हैं ?

(२) डकैतों द्वारा कितनी सम्पत्ति लूटी गई है और पुलिस ने कितनी बरामदगी की है ?

(३) पुलिस-डकैत मुठभेड़ों में कितने डकैत गिरफ्तार हुए तथा मारे गये हैं और कितनी मुठभेड़ें हुई हैं और उनमें पुलिस की क्या क्षति हुई है ?

उत्तर

(१) सन् १९६५-६६ में धौलपुर सब-डिविजन में डकैतों द्वारा १२ डकैती तथा ३ अपहरण की घटनाएं घटीं। जिनमें २ ग्रामीणों की हत्या की गई और ४ ग्रामीणों का अपहरण किया गया।

(२) इन घटनाओं में डकैतों द्वारा २००६५) रुपयों की सम्पत्ति लूटी गई। जिसमें से पुलिस ने ४६६) रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति बरामद की है।

(३) डकैतों के साथ पुलिस की आठ बार मुठभेड़ें हुई जिनमें ५ डकैत मारे गये। पुलिस द्वारा २६ डकैत गिरफ्तार किये गये। एवं पुलिस की कोई क्षति नहीं हुई।

गोपालपुरा प्रोजेक्ट पर व्यय

४३. श्री देवीलाल (सराड़ा-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर जिले में गोपालपुरा प्रोजेक्ट का कोई सब-डिविजन है ?

(२) यदि हां, तो इसका हैडक्वार्टर कहां है ?

(३) गोपालपुरा प्रोजेक्ट पर कुल कितनी राशि अब तक स्वीकृत की गई है और इस राशि में से किस किस वर्ष में कितनी कितनी रकम खर्च की गई है ?

(४) इस खर्च की हुई राशि में प्रतिवर्ष निर्माण कार्यों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया व आफिस व स्टाफ वगैरह पर प्रतिवर्ष खर्च का प्रतिशत क्या रहा है ?

(५) क्या जयसमन्द के पूर्ण विकास व उस क्षेत्र के किसानों की सुविधा की दृष्टि से गोपालपुरा सब-डिविजन का हैडक्वार्टर सलूम्बर रखने का निर्णय लिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस सब-डिविजन का हैड क्वार्टर उदयपुर में है।

(३) गोपालपुरा प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ७,८१,६००) राशि स्वीकृत हुई और इस स्वीकृति राशि में से प्रति वर्ष खर्च का ब्योरा इस प्रकार है:—

सन्	पैसा
१९६०-६१	२८,२५३.८०
१९६१-६२	१,०२,७७८.०७

(श्री सिंचाई मंत्री)

१९६२-६३	४८,२८२.००
१९६३-६४	५८१,८८०.००
१९६४-६५	८४,८४०.००
१९६५-६६	४४,७०५.००

(४) निर्माण एवं स्टाफ पर खर्च का प्रतिशत इस प्रकार है:—

सन्	प्रोजेक्ट पर व्यय	स्टाफ पर व्यय
१९६०-६१	३.६० प्र.श.	०.३३ प्र.श.
१९६१-६२	१३.१०	०.३१
१९६२-६३	६.२०	०.३५
१९६३-६४	१०.४०	०.३४
१९६४-६५	१०.८०	०.३५
१९६५-६६	५.७०	०.५६

(५) जी हां यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अलवर जिले में बन्दोबस्त के सम्बन्ध में शिकायतें

४४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में जिन २ तहसीलों में बन्दोबस्त खत्म हो गया है वहां पर बन्दोबस्त विभाग के खिलाफ जनता को भारी शिकायतें हैं कि किसानों के जमीन पर हुकूक ठीक तौर पर दर्ज नहीं किये हैं और लगान भी बहुत ऊंचा निर्धारित कर दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि किसानों की इस प्रकार की शिकायतें भी हैं जिनमें बन्दोबस्त विभाग ने किसानों की खातेदारी की जमीन को सिवाय चक बना दिया है और सिवाय चक को खातेदारी में दे दिया है ?

(३) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त के बारे में कलेक्टर अलवर ने भी शिकायत लिखकर भेजी है कि बहुत सी जगह सिवाय-चक जमीन को खातेदारी में दे दिया है ?

(४) क्या सरकार भारी तादाद में बन्दोबस्त के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए इस बन्दोबस्त को दोबारा कराने का प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(१) शिकायतें हैं। लगान की शिकायतें नहीं आई।

(२) जी हां।

(३) जिलाधीश, अलवर ने भू-प्रबन्ध आयुक्त को इसके लिए लिखा था।

(४) विचाराधीन है।

जयपुर-टोंक रोड पर टैम्पू

४५. श्री जगन्नारायण सारोदिया (निवाई): क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर-टोंक रोड पर प्राइवेट टैम्पू चलते हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस रूट पर स्टेट रोडवेज की बसें चलती हैं ? यदि हां, तो फिर इस टैम्पू को क्यों चलने दिया जाता है ?

(३) गत एक साल से इन टैम्पू से जयपुर व टोंक के बीच कितने एक्सीडेन्ट्स हुए हैं ?

(श्री गृहमंत्री)

उत्तर

(१) प्राइवेट टैम्पू चलते हैं। कितने प्राइवेट टैम्पू जयपुर टोंक मार्ग पर चलते हैं यह सूचना रखने की व्यवस्था नहीं है।

(२) जी हां। प्राइवेट टैम्पू सब जगह चल सकते हैं।

(३) दिनांक १-६-६५ से ३१-८-६६ के बीच टैम्पू की कुल ४ दुर्घटनायें हुई हैं जो स्थान नगर परिषद् की सीमा में है।

सांगानेर में खुले कैम्प में कैदी

४६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सांगानेर में कैदियों का ओपन कैम्प चलाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि उस कैम्प से कुछ कैदियों को वापिस हटाकर सेन्ट्रल जेल में साधारण कैदी की तरह रखा गया है ?

(३) यदि हां, तो कितने कैदियों को और किस कारण से ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। जो कैदी खुले शिविर से जेल में वापिस आते हैं वे जिस श्रेणी के होते हैं उन्हें उस ही श्रेणी में रखा जाता है।

(३) ८ बन्दियों को—६ अस्वस्थता के कारण व २ बुरे आचरण के कारण।

तहसील मांगरोल के काश्तकारों को मुआवजा

४७. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील मांगरोल में नहर के निमित्त भूमि अवाप्त की गई है ?

(२) इस तहसील में नहर के लिये किस २ काश्तकार की कितनी २ भूमि अवाप्त की गई है और किस किस काश्तकार को मुआवजा दे दिया गया है तथा किस २ को नहीं ? नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस तहसील के नहरों के निर्माण हेतु १२६५० बीघा भूमि (४४६२ खसरा नम्बर के काश्तकारों की) अब तक अवाप्त की गई है। इनमें से (३४४४ खसरा नम्बरान के काश्तकारों की) ११२५० बीघा भूमि का मुआवजा चुकाया जा चुका है शेष १७०० बीघा का भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड प्राप्त होते ही चुका दिया जाएगा।

ग्राम सिंघानिया में पनिहारी के कुए पर बलवा

४८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सिंघानिया तहसील टोडाभीम, थाना हिण्डौन में दिनांक ११-६-६६ को दिन में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा

(श्री जोधसिंह चौहान)
पनिहारी के कुंए पर गोलियां चलाई गई थीं ?

(२) क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द मीणा नामक एक व्यक्ति के पैर में से गोली आर-पार निकल गई जिससे वह घायल हो गया और हिण्डौन के हॉस्पिटल में भरती किया गया और उसके पास डाक्टरी रिपोर्ट भी है कि गोली पैर में लगी ?

(३) पुलिस घटनास्थल पर कितनी देर बाद पहुँची और बयान लेने के पश्चात् कितने दिनों तक गोली चलाने वाले पुलिस कस्टडी में नहीं लिये गये ?

(४) इस बलवे में कौन कौन और कितने व्यक्ति थे और यह घटना क्यों घटी और इस संबंध में आज तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) घटना स्थल पर पुलिस घटना के दूसरे रोज ही प्रातः १० बजे पहुँच गई, तथा उसी रोज गवाहान के बयान लेकर मुलजिमान की तलाश की किन्तु उनका फरार होना पाया गया। तलाश जारी रही किन्तु उनका पता नहीं लग सका और वे स्वयं अदालत में दि० १५-८-६६ को उपस्थित हुये।

(४) तफतीश से इस घटना के दोषी सात मुलजिमान सर्व श्री रामकिशोर, राम खिलाड़ी, कालिया मंगू, रामभरोसे, बद्री, प्रभू मीने पाये गये जिनका चालान दिनांक २५-८-६६ को अदालत में पेश किया गया। अभियोगी के अनुसार उसने मुलजिमान को जूते पहिने कुए पर चढ़ने तथा खड़े खड़े नहाने से मना किया जिस पर उन्होंने उस पर गोलियां चलाई।

प्राम हरियाडा में गाडोलिया लोहार परिवारों को भूमि

४६. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) ग्राम हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में कितने गाडोलिया लोहार परिवारों को बसाया गया है ?

(२) ऐसे परिवारों को कुल कितनी भूमि सामूहिक रूप से कृषि हेतु आवंटित की गई है ? आवंटन आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) यदि भूमि व्यक्तिगत रूप से आवंटित की गई हो तो व्यक्तियों के नामों का विवरण मय पृथक् २ क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि इन लोहारों ने आवंटित की गई जमीन से अधिक जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो ऐसा कब्जा कब तक खाली कराया जायेगा ?

(५) क्या ऐसे कब्जे को छुड़ाने के लिये प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(१) ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा परिवार जिला जोधपुर में ४४ गाडोलिया

(श्री राजस्व मंत्री)
लोहार परिवार को बसाया गया है ।

(२) इन परिवारों को ६१८ बीघा १२ बिस्वा कृषि भूमि बताई गई थी चूंकि यह आवंटन बन्दोबस्त से पूर्व सम्वत् २०१३ में हुआ था आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है ।

(३) कृषि भूमि व्यक्तिगत रूप से आवंटित नहीं की गई । सामूहिक रूप से बताई गई थी । पटवारी द्वारा कब्जे के आधार पर जमाबन्दी परिवर्तनशील तैयार की गई । उसके अनुसार परिवारों की सूची मय क्षेत्रों के संलग्न है ।

(४) जी हां, यह कब्जा हटाने की कार्य-वाही जारी है ।

(५) जी हां, अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा ९१ के अन्तर्गत कार्यवाही तहसील कार्यालय में जारी है ।

राजस्थान की सीमा पर तस्कर व्यापार

५०. श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाकिस्तान से संघर्ष समाप्ति के पश्चात् फिर से राजस्थान की सीमा पर तस्कर व्यापार आरम्भ हो गया है ? इस अवधि में कितने व्यक्ति तस्कर व्यापार में पकड़े गये और क्या २ माल ले जाते या लाते ?

(२) क्या सरकार राजस्थान की सीमा पर तस्कर व्यापार रोकने के लिये अब पूरी तरह से जागरूक है ?

उत्तर

(१) पाकिस्तान से संघर्ष के बाद व ३१ अगस्त, ६६ तक कुछ तस्कर व्यापार की घटनाएं हुई हैं । इस अवधि में अगस्त, १९६६ के अन्त तक ४४ तस्कर व्यापारी पकड़े गये तथा ४ मारे गये । इनमे भारत से ले जाते हुये कपड़ा, इलायची, सफेद मूसली, खाद, गोंद, कमर-कस, मगज, ताल-मखाना, बन्स लोचन, चाय, कौड़ियां, रेशमी धागे, चूड़ियां, प्लास्टिक के खिलौने तथा भेड़ बकरी पकड़े गये तथा भारत में लाते हुये नमक, लौंग, कपड़ा, अफीम, बाजरा, चावल, भैंसें तथा घोड़े पकड़ी गई ।

(२) इस सम्बन्ध में सरकार सदैव ही जागरूक रहती है तथा राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार रोकने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं ।

राजस्व तथा वन विभाग की भूमि सम्बन्धी रेकार्ड

५१. श्री जुझारसिंह (चेचट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामगंज मंडी व सांगोद तहसील में ऐसा कितना रकबा है जो जंगलात व राजस्व विभागों के अपने अपने रेकार्ड में साथ २ दर्ज है और उसको सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित करने की अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पीपल्दा, तहसील रामगंज मण्डी में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉट की गई जमीन को इसलिये एलाटीज को नहीं बांटा गया है कि उक्त जमीन पर वन विभाग ने अपना

(श्री जुझारसिंह)

कब्जा बतलाया है ? यदि हां, तो ऐसी जमीन इस पंचायत में कितनी है और कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं ?

(३) विभागीय फैसला हो जाने के पूर्व ही विवादग्रस्त भूमि को एलॉट कर देने के लिये कौन व्यक्ति व महकमा जिम्मेवार है ?

(४) जिन व्यक्तियों ने उनको एलॉट हुई भूमि को सुधारने में खर्चा कर दिया है और यदि विभागीय झगड़ों के कारण वह भूमि विवादग्रस्त हो गई है तो इस प्रकार खर्चा कर देने वालों को किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जावेगी ?

उत्तर

(१) तहसील सांगोद में १७५०४ एकड़ भूमि ऐसी है जो लैण्ड रेकार्ड में बंजर दर्ज है परन्तु वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। तहसील रामगंज मण्डी में ५४२ बीघा २ बिस्वा रकबा ऐसा है जो सेटिलमेंट खतौनी में राजस्व विभाग का दर्ज है किन्तु वन विभाग इसे अपना बतलाता है।

इस बारे में राजस्व विभाग व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मिल कर मामले को तय करने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी हां; ऐसी जमीन का रकबा ५४२ बीघा २ बिस्वा है, और ८१ व्यक्ति इसमें प्रभावित हुए हैं।

(३) चूंकि यह भूमि सेटिलमेंट खतौनी में राजस्व विभाग को दर्ज थी अतः एलॉट कर दी गई जिसके पश्चात वन विभाग ने इसे अपनी भूमि बतलाया अतः किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई थी उनको, वन विभाग की आपत्ति को दृष्टि में रखकर कब्जा ही नहीं दिया गया अतः किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर खर्चा किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सार्दूल टैक्सटाइल मिल, गंगानगर में हड़तालें

५२. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सार्दूल टैक्सटाइल मिल, गंगानगर में वर्ष १९६३-६४, १९६४-६५, १९६५-६६ में कितनी बार हड़तालें हुई ?

(२) १९६५-६६ में हुई हड़तालों के क्या कारण थे ? १९६५-६६ में हुई हड़तालों को निपटाने के लिये श्रम विभाग द्वारा क्या किया गया ?

(३) १९६५ के वर्ष में हुई हड़तालों के कारण कितना नुकसान हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि सार्दूल टैक्सटाइल मिल की मजदूर यूनियन द्वारा बार-बार श्रम मंत्री को यह सूचित किया गया है कि श्रम विभाग द्वारा कराये गये किसी भी समझौते को मिल का मैनेजमेंट कतई नहीं मानता एवं यूनियन के कार्यकर्ताओं पर गुण्डों द्वारा घातक हमले करता है ? यदि हां, तो श्रम मंत्री द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) कुल चार बार हुई।

(२) कारण अवार्ड का लागू करने बोनस वितरण, १९६१ की हड़ताल के समय के निकाले गये श्रमिकों को काम पर लेना,

(श्री श्रम मन्त्री)
बाद में श्रमिक जो ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं मिल को कांगोता में प्रवेश कराया, और श्री बालप्रसाद भूतपूर्व कर्मचारी को काम पर लेना थे। श्रम विभाग ने हस्तक्षेप कर आपस में मिलाने के प्रयत्न किये —इसके फलस्वरूप दोनों पक्षों ने या तो आपसी समझौता किया अथवा पंच फैसले द्वारा अपने विवाद हल करने का निर्णय लिया।

(३) १९६५ में निम्न नुकसान हड़ताल के कारण हुए—

(१) १९,९२३ श्रमिक दिनों (मेन डेज लॉस) की हानि

(२) १,४०,००० रु० का वेतन का नुकसान।

(३) ८,९०,०००रु० का उत्पादन का नुकसान।

(४) जी हां, इस बारे में मजदूर यूनियन द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई परन्तु श्रम विभाग के अधिकारियों के समक्ष इस मिल तथा यूनियन में कोई समझौता नहीं हुआ जो भी समझौते हुए वे आपसी बातचीत के दौरान हुए। अतः उस पर कानूनी कार्यवाही इस विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक गुण्डों द्वारा हमला करने का प्रश्न है यह श्रम विभाग से सम्बन्धित विषय नहीं है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को नहीं है।

हिन्दी में कार्य

५३. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मंत्री, भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय सचिवालय में कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है?

उत्तर

इस समय सचिवालय का आधे से अधिक काम हिन्दी में हो रहा है। इस बात का पूरा प्रयत्न है कि जो काम अब तक अंग्रेजी में हो रहा है, वह भी ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में हो।

तहसील पीपल्दा के काश्तकारों को अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

५४. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में नहरों के निमित्त कितनी कितनी भूमि काश्तकारों की सन् १९६१ में अवाप्त की गई थी?

(२) क्या यह सच है कि सम्बन्धित कई काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को मुआवजा दे दिया गया है और किन किन काश्तकारों को नहीं दिया गया है? नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) कोटा जिला की तहसील पीपल्दा में आरम्भ से लेकर अब तक ११ हजार १२७ बीघा भूमि अवाप्त की गई है।

(२) अभी तक ६७७२ बीघा भूमि का मुआवजा काश्तकारों को चुकाया जा चुका है। जिन शेष काश्तकारों को मुआवजा चुकाना है उनकी संख्या का सही पता लगाने

(श्री सिंचाई मन्त्री)
के उपरान्त ही पता चल सकता है। शेष ४३५२ बीघा भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना, कोटा के कार्यालय से अवार्ड प्राप्त होने पर ही चुकाया जा सकेगा।

हरिजनों को भूमि पर काश्त की अनुमति

५५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-मु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील हिन्डौन के गहीपुर के हरिजनों को ७५ बीघा जमीन एलॉट की गई है?

(२) क्या यह सच है कि उन्हें तहसील द्वारा कब्जा भी दिला दिया गया है?

(३) क्या यह सच है कि कब्जा दिलाये जाने पर भी उन्हें काश्त नहीं करने दी गई है? यदि हां; तो क्यों और सरकार उन हरिजनों की क्या मदद कर रही है?

उत्तर

(१) इन हरिजनों को ७२ बीघा भूमि एलॉट की गई थी।

(२) केवल ५७ बीघा का कब्जा दिलाया गया था।

(३) इस एलॉटमेंट के विरुद्ध कार्यवाही राजस्व मंडल, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है।

नोवलपुरा तालाब से सिंचाई

५६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांव बागोर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में नोवलपुरा नाम से कोई तालाब है? यदि हां, तो इस तालाब से कितनी जमीन पीवल होती है तथा इस तालाब का पानी किस-किस गांव में जाता है?

(२) क्या यह सही है कि इस तालाब में अभी कुछ परिवर्तन कर इसकी रपट को ऊंचा की गई है तथा कोई नहर गोड़ास की तरफ बनाई गई है?

(३) क्या यह सही है कि जब से यह नहर बनी है, उन गांव वालों को पूरा पानी नहीं मिलता है जिन्हें पहले इस तालाब से पानी मिलता था? सन् १९६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ में कितनी कितनी जमीन किस किस गांव की पीवल हुई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बागोर ने नहर बनाई जिसकी वावत बागोर आदि गांवों के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में सिंचाई विभाग व जिलाधीश को कई शिकायतें दरख्वास्तें दी हैं? यदि हां, तो विभागों ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(१) जी हां, इससे १००० एकड़ के आसपास भूमि में सिंचाई होती है तथा इससे गांव १. नवलपुरा २. बीगोरा ३. बावलास ४. मानकिया ५. लछमनगढ़ कॉलोनी ६. सारनों का खेड़ा ७. गोडास में पानी दिया जाता है।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(२) जी नहीं, तालाब की रपट ऊंची नहीं की गई है और न कोई नई नहर बनाई गई है अपितु नहर नं० २ को सन् १९६१ में कुछ आगे जरूर बढ़ाया गया था।

(३) जी नहीं, तालाब पूरा भरने पर सभी पहले वाले गांवों को पूरा पानी मिल जाता है सन् ६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ में ग्रामवार सिंचित भूमि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ग्राम बागौर व नवलपुरा के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें वर्णित तथ्य सही नहीं थे। प्रार्थना-पत्र का उत्तर उन्हें अधिशासी अभियन्ता भीलवाड़ा द्वारा दिनांक १९-५-६१ को दे दिया गया था।

सूची

क्रमांक नाम मौजा	सन् १९६१-६२	६२-६३	६३-६४
१. घोड़ास	६७	२५७	१९५
२. नवलपुरा	७२	१४४	—
३. बागौर	१९६	५२६	५५६
४. सारनों का खेड़ा	—	१०	१२
५. बावलास	७४	८९	१०३
६. भानलिया	—	—	३
७. लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी	३	—	—
योग	३८२	१०२९	८६९

सराड़ा एवं सलूम्बर तहसीलों में लगान की छूट

५७. श्री देवीलाल (सराड़ा-सु.):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रुपये में ६ आना फसल खराब होने पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में लगान में छुट देने व लगान की वसूली स्थगित करने के प्रावधान हैं ?

(२) उदयपुर जिले की सराड़ा एवं सलूम्बर तहसीलों के कितने ग्रामों में ६ आना नुकसान हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और उनसे पूरा लगान वसूल किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसे ग्रामों में रबी की फसल भी कुछ नहीं पकी है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लक्ष्य

५८. श्री रामकिशन (बैर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे और उनमें में कितने पूर्ण रहे और कितने अपूर्ण ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) यदि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है तो किन कारणों से ?

(श्री सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना में नहरों व तालाबों से सिंचित क्षेत्र ५.६० लाख एकड़ से बढ़ा कर १३.७६ लाख एकड़ करने का लक्ष्य था। लक्ष्यों की पूर्ति की विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगभग ढाई लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र की कमी रही है जिसका मूल कारण अन्य राज्यों से पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलना तथा राज्य में लगातार ६४-६५ व ६५-६६ में व्यापक सूखा पड़ना है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मुरब्बों की कीमतें

५६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंग कैनाल कॉलोनाईजेशन एक्ट के तहत गंगनहर क्षेत्र में एक मुरब्बा बारह मासी नहरी, दो मुरब्बे छः मासी नहरी तथा तीन मुरब्बे बारानी के बराबर माना गया है? यदि हां, तो नहरी बारह मासी छः मासी एवं बारानी की कीमत क्या-क्या रखी गई है?

(२) क्या यह सही है कि बारानी या मनकमाण्ड जमीन जो नहरी चक में है और जो बारानी गांव में है, उनकी कीमतें अलग-अलग हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी कीमतें हैं और अलग-अलग क्यों हैं?

(३) क्या यह सही है कि जब जमीन परमानेन्ट एलॉट हो जाती है तो बारानी एवं नहरी छः मासी और नहरी बारह मासी में समान दर से रु० १-५० पैसे मालकाना खरीददारी देना पड़ता है? यदि हां, तो क्या यह उचित है?

उत्तर

(१) जी हां, बारह मासी की कीमत ४००) रु० प्रति बीघा और इसके अलावा १००) प्रति बीघा कीमत आराजी जो मण्डी के एक मील दायरा में आती हैं ज्यादा वसूल की जाती हैं छः मासी नहरी जमीन की कीमत ३००) प्रति बीघा तथा बारानी जमीन की कीमत १००) रु० प्रति बीघा रखी गई है।

(२) जी हां, बारानी चक में बारानी भूमि की कीमत १००) रु० प्रति बीघा हैं सो वसूल की जा रही है। लेकिन जो भूमि नहरी चक में है और मौके पर बारानी है। उसकी कीमत २००) रु० प्रति बीघा वसूल की जा रही है। क्योंकि इनकी दोनों की स्थितियों में अन्तर है।

(३) जी हां, जब तक तमाम कीमत लॉट शुदा भूमि की एलॉटी दाखिल नहीं करता तब तक १) ५० पै० प्रति बीघा मालकाना वसूल किया जाता है जो नियमानुकूल है और उचित है।

अलवर और भरतपुर जिलों में शिकमी काश्तकारों से लगान

६०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर जिलों में शिकमी काश्तकारों (सब-टिनेन्ट्स) का खसरा गिरदावरी में गत दो वर्षों में नाम दर्ज न होने के कारण सरकार ने उनसे जमा लेने से इन्कार कर दिया है और जमा (लगान) के पर्चे मालिक जमीन को दे दिये हैं ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस हुक्म से शिकमी काश्तकारों में तीव्र असन्तोष फैल रहा है क्योंकि यह तरीका उनके हकूक को खत्म करता है ?

(३) सरकार इन शिकमी काश्तकारों के हकूक की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार पटवारी खसरा गिरदावरी का खाना नम्बर १६, २४, ३२ और ४० में कब्जा परिवर्तन सम्बन्धी कोई इन्द्राज नहीं करता परन्तु शिकमी काश्तकार को खाना नम्बर ६ में दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है और यह इन्द्राज गत जमाबन्दी के आधार पर किये जाते हैं।

डिमाण्ड स्लिप खातेदारों को दी जाती है न कि शिकमी काश्तकारों को।

(२) राज्य सरकार को किसी प्रकार के असंतोष का ज्ञान नहीं है और न ही खसरा गिरदावरी में किसी इन्द्राज से किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई कुप्रभाव पड़ता है। खसरा गिरदावरी रेकार्ड ऑफ राइट में शामिल नहीं है।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कानून स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसको भूमि काश्त हेतु दी गई है, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत निष्कासित नहीं किया जा सकता।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४०	१३	छ	कुछ
२४२	२	च हतथे	चाहते
,,	अन्तिम से १	जतन	जनता
२४३	अन्तिम से १३	ने	से
२४४	अन्तिम से ११	वयान	बयान
२४६	अन्तिम से ११	गोकुलचन्द : (कठूमर-सु०)	गोकुलचन्द (कठूमर-सु०):
२४७	४ .	नेग्लिजेट	नेग्लिजेंट
,,	१५	अव्यक्ष	अध्यक्ष
२४८	अन्तिम से ६	१० १२	१०-१२
२५३	१५	जांव	जांच
२५६	अन्तिम से ८	मोहदय	महोदय
२५७	४	इन्टेन्शली	इन्टेन्सिवली
,,	१७	फूटस	फूट्स
२५८	६	ढावरिया	ढाबरिया
२५९	अन्तिम से ६	शर्त्तो	शर्तों
२६०	१०	र जस्थान	राजस्थान
,,	१४	ोडसल	डोडसल
,,	२४	ह गी	होगी
,,	अन्तिम से ३	किय	किया
,,	अन्तिम से २	ये ोन्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
२६१	अन्तिम से ११	ये गेन्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
२६२	१० व १२	निगोशियेट	नेगोशियेट
२६३	८	फार्म	फर्म
२६४	४	बैण्डस	बैण्ड्स
,,	१६	औपन	ओपन
,,	२२	५४ लाख, ७५४ के	५४,००,७५४) रु०
२६५	३	बैंडस	बैंड्स
२६६	१	निगोशियेशन	नेगोसियेशन
,,	६	रामकिसन	रामकिशन
२६७	अन्तिम से ३	अवाप्ति	अवाप्त
२६८	अन्तिम से ६	वलह	वजह
,,	अन्तिम से ६	मुआवजा	मुआवजे
२७६	६	माननी	माननीय
२७८	३	ज्ञो	तो
२८०	४	अ	आ

१	२	३	४
२८५	१२	णा	था
२८७	७	१९३३६६ रु०	१९३३६६)
२८८	अन्तिम से १	वसली	वसूली
२९७	१४	अगवाल	अग्रवाल
२९८	अन्तिम से ४	लिय	लिये
२९९	५	म	में
३००	अन्तिम से ६	जो	—
२९५ से ३०८	शीर्षक	प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव
३०३	७	चहि	चाहें
३०६	७	छोगा	छपेगा
३०८	१३	भैरोंसिह	भैरोंसिह
३१०	६	उपस्थापन	प्रतिवेदन
३१६	अन्तिम से ५	मुह	मुंह
३२७	२	एनोर	इग्नोर
३३४	अन्तिम से ५	राधाकृष्ण जी	राधाकृष्णजी
३४१	६	इतने	इतना
३४३	१६	आवश्यकता।	आवश्यकता है।
३५०	१५	म	में
,,	अन्तिम से २	कार्यकर्ताओं	कार्यकर्ताओं
३५६	१५	कमंचारी	कर्मचारी
३५८	अन्तिम से १४	स्वगंवासी	स्वर्गवासी
,,	,, १२	मागूंगा	मांगूंगा
३६४	१६	हमार	हमारे
,,	१८	पालना	पालन
३७०	अन्तिम से १२	मानेग	मानेगा
३७२	३	वेवारे	वेचारे
३७७	अन्तिम से ४	बनिस्पत	बनिस्वत
३७९	४	मुड़कियां	मुंडकियां
३८२	अन्तिम से १३	हिस्ट्रॉरिकल	हिस्ट्रॉरीकल
,,	,, ,, १२	फैक्टस	फैक्ट्स
३८३	८	है	हैं
३८४	९	जा रही।	जा रही है।
३८६	१४	जांत्र	जांच
३८८	१९	क्रमकार्य	कार्यक्रम
,,	अन्तिम	उस	उस पर
३९१	अन्तिम से ६	न कि	न
,,	,, ,, २	कसता	सकता
३९२	७	केवल कहा	कहा
,,	अन्तिम से ७	wi nout	without
३९४	१५	सामने	सामने
३९५	१५	हावाला	हवाला
३९७	३	विलकुल	बिल्कुल

१	२	३	४
३९८	४	आय	आये
,,	१०	वाला	वाला है
३९९	४	हीराराम	हरिराम
,,	८	गस	गैस
,,	२४	लेकिनम	लेकिन में
४०१	६	ओर	और
४०२	अन्तिम से ७	इस्तैमाल	इस्तेमाल
४०३-४०४	शीर्षक	यक्तव्य	वक्तव्य
४०४	४	तौहीन	तोहीन
,,	१९	मट्टी	मिट्टी
४०७	१९	पार्लियामेंट रहे	पार्लियामेंट में रहे
४०८	अन्तिम से ६	गौली	गोली
४०९	१०	अवधानिक	अवैधानिक
,,	१५	करें कोई	करें, कोई
४११	१०	कह् कहे	कहकहे
४१२	११	कोट	कोर्ट
,,	१४	आपने	—
,,	१५	रु	रुक
,,	२०	जुलस	जुलूस
४१३	१४	वे	ये
४१४	३	इवर इस्तैमाल	जवर इस्तेमाल
,,	७	सम्भाली	सम्भली
,,	११	संबध	संबंध
४१६	२१	संयंम	संयम
,,	अन्तिम से ४	वढी	बड़ी
,,	,, ,,	विश्लेशण	विश्लेषण
,,	अन्तिम से २	जयपुर)	जयपुर):
४१७	११	दे	दें
,,	१७	ओर	और
,,	१९	वाध्य	बाध्य
,,	अन्तिम से ८	फेंके	फेंके
४१८	अन्तिम से ९	वाक्या	वाकया
४१९	१	सकत	सकते
,,	४	कि पुलिस	तो पुलिस
,,	अन्तिम से १०	भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	अन्तिम से ७	मुझ	मुझे
०	७	उलंघन	उल्लंघन
,	९	मुकदमें	मुकदमे
,	१८	,,	,,
	अन्तिम से ७	जस्टीफिई	जस्टीफाई
	अन्तिम से ६	पार्टी	पार्टी
२	अन्तिम से ८	यह-दूसरी	—यह दूसरी
	५	भरोंसिह	भैरोंसिह

१	२	३	४
४२३	६	इसलिय	इसलिये
४२३	१०	वल	बेल
४२४	१६-१७	शुरूग्रात	शुरुग्रात
४२५	११	नहीं हैं।	नहीं है।
,,	१८	खडे	खड़े थे
४२६	२३	था।	था ?
,,	२८	हैं	है
४२७	१४	जलसा	जलूस
४२८	१२	वेकुसूर	बेकसूर
४३०	१६	ग्रोर	ग्रोर
४३२	६	हें	हो
४३४	११	गनक्वायरी	एनक्वायरी
,,	ग्रन्तिम	ग्रोर	ग्रौर
४३६	१८	गहोदय	महोदय
४३७	ग्रन्तिम से ४	रूख	रुख
४४४	ग्रन्तिम से ६	जुल्म का जनता	जुल्म जनता
४५१	,, ८	श्री उपा यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	ग्रन्तिम	श्री उपर ।क्ष	श्री उपाध्यक्ष
४५६	ग्रन्तिम से २	लि	लिए
४५७	१५	ग्रोर	ग्रौर
४५८	ग्रन्तिम	य	या
४५६	१४	में	मैं
४६१	२२	गृह	श्रम
४६५	१७	हंगा	होगा
४६७	४	क्यो	को
,,	३२	विभान	विभाग
४७७	१५	डककता	डकैती
४७६	७	दुघर्टना	दुर्घटना
,,	१०	चंडावत	चूंडावत
,,	१५	वैम्प	कैम्प
,,	१७	वैदी	कैदी
,,	२२	शिवर	शिविर
४८०	४	मीण	मीणा
,,	३०	दिनाक	दिनांक
,, (२)	५	ग्रमरिपाडा	ग्राम हरिपाड़ा
,,	५	गाडलिय	गाडोलिया
,,	अन्तिम	जाधपुर	जोधपुर
४८१	१	परिवार	परिवारों
,,	२२	प किस्तान	पाकिस्तान
४८२	२१	रा स्व	राजस्व
४८५	१०	बागीर	बागौर
४८६	४	पूति	पूर्ति